रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, 5 मार्च 1966 (फाल्गुन 14, 1887)

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 5, 1966 (PHALGUNA 14, 1887)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 17 फरवरी 1966 तक प्रकाशित किये गये थे :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 17th February 1966 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
35.	No. 32-ITC (PN)/66, dt. 16th Feb. 66.	Ministry of Commerce	Import of Artsilk yarn under export promotion Scheme—April 1965—March 1966 period.
36.	No. 33-ITC (PN)/66, dt. 17th Feb. 66.	Do.	E. P. Scheme for Gas Mantles—Revision of.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

(CONTENTS)

	पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं ..	189
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	205
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं ..	11
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं ..	129
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—

पृष्ठ (Pages)

भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) 357

भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं 597

भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश 39

भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ-लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .. 157

भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें .. 81

भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं .. 29

भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं .. 157

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .. 49

पूरक सं० 10—

26 फरवरी 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट .. 317

5 फरवरी 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े .. 327

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 189

PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 205

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence 11

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence 129

PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. —

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. .. —

PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 357

PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 597

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. 39

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India 157

PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta .. 81

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners 29

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 157

PART IV—Advertisement and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. 49

SUPPLEMENT No. 10—

Weekly Epidemiological Reports for week-ending 26th February 1966 317

Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 5th February 1966 327

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 1966

सं० 29-प्रेज/66—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये निम्नलिखित पदक प्रदान करते हैं :—

वीरता के लिए पुलिस पदक का बार

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंघल, आई० पी० एस०,
पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़,
उत्तर प्रदेश ।

श्री सुखरामपाल सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक, फतेहगढ़ जिला,
उत्तर प्रदेश ।

वीरता के लिए पुलिस पदक

श्री रमेन्द्र नारायण पाण्डे,
पुलिस उप-निरीक्षक, फतेहगढ़ जिला,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किये गये

नवम्बर, 1962 में कुख्यात डाकू गंगा सिंह ने एक लड़के सुधीर कुमार को अपहृत कर लिया और मुक्तिमूल्य के लिये रोक लिया। डाकुओं ने सूचना भेजी कि यदि उन्हें 30,000 रुपये अदा किये जायें तो वे लड़के को छोड़ने के लिये तैयार हैं। 2 दिसम्बर को श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंघल, पुलिस अधीक्षक, श्री रमेन्द्र नारायण पाण्डे और श्री सुखरामपाल सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक, तथा लड़के के पिता निश्चित स्थान पर गये। श्री सिंघल और श्री पाण्डे साधु और श्री सुखरामपाल सिंह मुनीम के वेश में थे। करीब 3 बजे अपराह्न दो डाकू श्री सिंघल के पास आये और पास के खेत से लड़के को ले जाने के लिये कहा। जब वे अरहर और गन्ने के खेतों से थोड़ी दूरी पर थे तो श्री सिंघल ने भय का बहाना कर आगे जाने से इन्कार कर दिया तथा लड़के को वहीं ले आने को कहा। डाकू इस बात से चिढ़ गये और अपने साथियों को बाहर आने के लिये पुकारा। कुछ देर बाद तीन आदमी लड़के के साथ खेत से बाहर आए। श्री सिंघल किसी तरीके से दुलारे डाकू के पास आ गये जिसने जिद् की कि रकम तत्काल वहीं गिनी जाये। मुनीम (श्री सुखरामपाल सिंह) ने जमीन पर चौकड़ी लगाई और कुछ नोटों के बंडल निकाले। इतने में उप-निरीक्षक श्री पाण्डे लाखन डाकू के नजदीक पहुंच गये। बहुत से बंडल नकली पा कर डाकू दुलारे ने श्री सिंघल को गोली मारनी चाही मगर इसके पहले उन्होंने तेजी से उसको गोली मार दी और गिरते हुए डाकू को दबोच लिया। उप-निरीक्षक श्री सुखरामपाल सिंह उनकी मदद को दौड़े लेकिन डाकू मर चुका था। उसी समय श्री रमेन्द्र नारायण पाण्डे ने लाखन को पकड़ा और जमीन पर दे मारा। इतने में दूसरे तीनों डाकू लड़के को ले कर खेत की ओर भागे। तीनों पुलिस अधिकारियों ने भागते हुए डाकुओं का पीछा किया जो वहां खड़ी फसल में गायब हो गये थे। खेतों की छानबीन के बाद लड़के को बचा लिया गया और डाकू उजागर को उप-निरीक्षक श्री सुखरामपाल सिंह ने बहुत दूर तक पीछा करने के बाद पकड़ लिया।

सर्वश्री भारतेन्दु प्रकाश सिंघल, रमेन्द्र नारायण पाण्डे और श्री सुखरामपाल सिंह ने अपनी जान पर खेल कर वीरता, पहलशक्ति तथा उच्च स्तर की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं। श्री सुखरामपाल सिंह को नियम 5 (बी) और श्री रमेन्द्र नारायण पाण्डे को नियम 5 (ए) के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 दिसम्बर, 1962 से दिया जाएगा।

वाई० डी० गण्डेविया, राष्ट्रपति के सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 1965

सं० 24/3/(4)-(पी०)(I) (पी० 4)—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को नागा प्रदेश में विशिष्ट सेवा के उपलक्ष में पुलिस (कठिन सेवा) पदक (मरनोपरान्त) प्रदान करते हैं :—

1. श्री आई० जे० जोहर, आई० पी० एस० पुलिस के उप महा-निरीक्षक।
2. श्री खुशहाल सिंह, प्लाटून कमाण्डर, 12वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल।
3. श्री कोगल सिंह, हैडकान्स्टेबल, 14वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल।
4. श्री नथ्थू सिंह, हैड कांस्टेबल/270, 13वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल।
5. श्री लाल बहादुर, हैड कांस्टेबल/187, 14वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल।
6. श्री हसमत खान, हैड कांस्टेबल/560, 13वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल।
7. श्री शिवपूजन, कान्स्टेबल/546, 12वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल।
8. श्री दूध नाथ, कान्स्टेबल/648, 12वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल।
9. श्री नर बहादुर, कान्स्टेबल/574, 12वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल।
10. श्री देवी सिंह, कान्स्टेबल/552, 12वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल।
11. श्री इन्दल सिंह, कान्स्टेबल/342, 13वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल।
12. श्री लक्ष्मी नारायण, कान्स्टेबल/19, 13वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल।
13. श्री नारायणसिंह, कान्स्टेबल/283, 13वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल।
14. श्री रतन बहादुर, कान्स्टेबल/673, 13वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल।

15. श्री राजबली सिंह, कान्स्टेबल/211, 13वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल ।
16. श्री कालिब सिंह, कान्स्टेबल/एम० टी० 22, 13वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल ।
17. श्री यदुनन्दन, कान्स्टेबल/481, 13वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल ।
18. श्री त्रिम्बक राव, कान्स्टेबल/592, 13वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल ।
19. श्री राम असीस सिंह, कान्स्टेबल/551, 13वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल ।
20. श्री राधेश्याम, कान्स्टेबल/295, 14वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल ।
21. श्री भोपाल सिंह, कान्स्टेबल/241, 14वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल ।
22. श्री अवतार सिंह, कान्स्टेबल/244, 14वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल ।
23. श्री महिन्दर सिंह, कान्स्टेबल/270, 14वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल ।
24. श्री विलोक सिंह, कान्स्टेबल/266, 14वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल ।
25. श्री रघुनन्दन सिंह, कान्स्टेबल/254, 14वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल ।
26. श्री नथुसिंह, कान्स्टेबल/271, 14वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल ।
27. श्री मदन सिंह, कान्स्टेबल, 14वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल ।
28. श्री राम राव, कान्स्टेबल/610, 14वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल ।
29. श्री देवबहादुर, कान्स्टेबल/152, 14वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल ।
30. श्री करबू तमंग, कान्स्टेबल/793, 14वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल ।
31. श्री जयनारायण, कान्स्टेबल/814, 14वीं बटालियन विशेष सशस्त्र दल ।

2. ये पदक पुलिस कठिन सेवा पदक नियमावली के नियम 3 के अन्तर्गत दिये जा रहे हैं ।

जी० एल० बैलूर, अवर सचिव

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 1966

सं० 20/1/66 ए० आइ० एस० (I)—निम्नलिखित सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए, अक्तूबर/नवम्बर, 1966 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता-परीक्षा के नियम, संबंधित मंत्रालयों की और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के सबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की सहमति से, आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं :—

वर्ग—I

(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा, और
(ii) भारतीय विदेश सेवा I

वर्ग—II

(i) भारतीय पुलिस सेवा, और
(ii) दिल्ली, हिमाचल-प्रदेश तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा II

वर्ग-III

(क) श्रेणी I की सेवाएं :—
(i) केन्द्रीय सूचना सेवा, (ग्रेड II) श्रेणी I,
(ii) भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा,
(iii) भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा ।
(iv) भारतीय रक्षा लेखा सेवा,
(v) भारतीय-आय कर सेवा (श्रेणी I),
(vi) भारतीय आर्डिनेन्स फैक्टरी सेवा, श्रेणी I (सहायक प्रबंधक गैर-तकनीकी),
(vii) भारतीय डाक सेवा, श्रेणी I,
(viii) भारतीय रेलवे लेखा सेवा, और
(ix) भारतीय रेलवे की उच्च राजस्व स्थापना के परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग ।

(ख) श्रेणी II की सेवाएं :—
(i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी II
(ii) सीमाशुल्क मूल्य निरीक्षक (एप्रेजर) सेवा, श्रेणी II,
(iii) दिल्ली, हिमाचल-प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, श्रेणी II,
(iv) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, श्रेणी II, और
(v) सैनिक भूमि और छावनी सेवा, श्रेणी II

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती की जाने जाने रिक्तियों की संख्या का उल्लेख आयोग के द्वारा प्रकाशित नोटिस में किया जाएगा । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार के द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा ।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है : अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956 के साथ पढ़े गए अनुसूचित जाति आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान, (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 ।

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा नियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित विधि से लेगा ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

4. भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि में भर्ती के लिए ली जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता-परीक्षा को इन तीन वर्गों की सेवाओं, यानी, (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा, (ii) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, और (iii) केन्द्रीय सेवाएं और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा के लिए, अलग-अलग तीन परीक्षाएं समझा जायेगा ।

5 जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो या संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी या संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन, दियू का निवासी न हो या कीन्या, उगान्डा, टैन्जा-

निया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) के संयुक्त गणराज्य से न आया हो तो उसे ऊपर नियम 4 में उल्लिखित तीन वर्गों में से प्रत्येक की सेवाओं के लिए प्रतियोगिता-परीक्षा में अधिक से अधिक दो बार सम्मिलित होने दिया जायेगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध 1961 की परीक्षा से लागू है।

नोट :—यदि उम्मीदवार ने वस्तुतः एक या अधिक विषयों की परीक्षा दी हो तो यह माना जायेगा कि वह प्रतियोगिता में बैठ चुका है।

6. (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो।

(2) अन्य सेवा के उम्मीदवार को या तो

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) मूल रूप से भारतीय व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और कीन्या, उगांडा, टैंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) के संयुक्त गणराज्य से आया हो।

परन्तु ऊपर की (ग) (घ) (ङ) और (च) कोटियों के अंतर्गत आनेवाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए और यदि वह (च) कोटि का हो तो पात्रता प्रमाण-पत्र एक वर्ष तक की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवार की नौकरी तभी जारी रखी जाएगी जब वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

लेकिन नीचे लिखे प्रकार के उम्मीदवारों से पात्रता प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक नहीं होगा :—

(i) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 से पहले, पाकिस्तान से भारत में आ गए हों और तब से आम तौर से भारत में ही रह रहे हों।

(ii) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में आ गए हों और जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 6 के अधीन स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करा लिया हो।

(iii) ऊपर की (च) कोटि के वे गैर-नागरिक, जो संविधान, लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार नौकरी कर रहे हैं और जिनके सेवा काल का क्रम नहीं टूटा है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल का क्रम टूट गया हो और उसने 26 जनवरी, 1950 के बाद उक्त सेवा दुबारा शुरू की हो तो उसे भी औरों की तरह पात्रता-प्रमाण-पत्र देना होगा।

एक और शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) कोटियों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के साथ, अन्तिम (प्रोविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

7. (क) (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और बाकी सभी सेवाओं के लिए सिवाय पैरा (i) में उल्लिखित भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं में उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु 1 अगस्त, 1966 को 21 वर्ष पूरी हो गई हो और 24 वर्ष पूरे न हुये हों अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1942 से पहले और 1 अगस्त, 1945 के बाद नहीं हुआ हो।

(ii) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा के उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु पूरे 20 साल की हो गई हो, किन्तु 1 अगस्त, 1966 को उसकी आयु 24 साल न हो, अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1942 से पहले और 1 अगस्त, 1946 के बाद न हुआ हो।

(ख) ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष,

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद भारत में आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो तथा उसने कभी न कभी फ्रांसीसी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(v) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन, 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन, 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति भी हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(vii) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दियु के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(viii) यदि उम्मीदवार कीन्या, उगांडा, तथा टैंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका तथा जंज़ीबार) के संयुक्त गणराज्य से आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(ix) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष; और

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा, से प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

उपर्युक्त परिस्थितियों को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

8. उम्मीदवार के पास परिशिष्ट I में उल्लिखित विद्यालयों में से किसी एक में कोई उपाधि होनी चाहिए अथवा उसके पास परिशिष्ट I-क में उल्लिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता होनी चाहिए।

किन्तु वर्ग III में भारतीय रेलवे की उच्च राजस्व स्थापना के परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग के लिये उम्मीदवार के पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई एक अर्हता **अथवा** परिशिष्ट I (ख) में उल्लिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता होनी चाहिए।

नोट—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे पास कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हता परीक्षा (क्वालीफाइंग एक्जामीनेशन) में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन कर सकता है बशर्ते कि वह अर्हता परीक्षा इस परीक्षा के आरम्भ होने से पहले समाप्त हो जाए। ऐसे उम्मीदवार को, यदि वह अन्य शर्तें पूरी करता हो तो, इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और यदि वह अर्हता परीक्षा में पास होने का प्रमाण जल्दी-से-जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के प्रारम्भ होने की तारीख से अधिक-से-अधिक दो महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करता, तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है।

नोट II—विशेष परिस्थितियों में, संघ-लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षाएं पास की हों जिनके स्तर को देखते हुए आयोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे।

नोट III—यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा परीक्षा में प्रवेश का पात्र हो किन्तु उसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि ली हो जो परिशिष्ट I में सम्मिलित न हो तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग, यदि उचित समझे तो, उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।

9. यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति वर्ग I (भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा) की किसी सेवा में हो जाती है तो वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा।

यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति नीचे स्तंभ (ii) में उल्लिखित किसी सेवा में हो जाती है तो वह केवल उन्हीं सेवाओं के लिए इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा जो उक्त सेवा के सामने नीचे स्तंभ (iii) में उल्लिखित है :—

क्रम सं०	जिस सेवा में नियुक्ति हुई	जिन सेवाओं के लिये परीक्षा में बैठने का पात्र है
(1)	(2)	(3)
1.	भारतीय पुलिस सेवा	(i) वर्ग I (भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा)। (ii) वर्ग III में, केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी I
2.	केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-I	(i) वर्ग I (भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा)। (ii) वर्ग II में भारतीय पुलिस सेवा
3.	केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी-II दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा।	(i) वर्ग I (भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा) (ii) वर्ग II में भारतीय पुलिस सेवा (iii) वर्ग III में केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-I

10. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के परिशिष्ट I में निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी। फ़ीस की वापसी के लिए अथवा फीस को किसी दूसरी परीक्षा या दूसरे चुनाव के लिए आरक्षित कर देने का दावा, उक्त परिशिष्ट में बनाई गई सीमा को छोड़कर मान्य न होगा।

11. जो उम्मीदवार स्थाई या अस्थाई हैसियत में पहले से ही सरकारी सेवा करता हो, वह इस परीक्षा में बैठने से पहले अपने विभाग के अध्यक्ष की अनुमति अवश्य ले।

12. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा, जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सार्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये पैरवी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए आयोग घोषित कर दिया जाएगा।

15. किसी दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाने अथवा जाली या फेर-बदल किए हुए प्रमाण-पत्र पेश करने अथवा गलत या झूठी बात बताने अथवा किसी अन्य को छिपाने या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने, (परीक्षा भवन में कोई अनुचित उपाय अपनाने या अपनाने की चेष्टा करने अथवा परीक्षा भवन में किसी तरह का अनुचित आचरण करने पर आयोग ने यदि किसी उम्मीदवार को अपराधी घोषित किया है तो उम्मीदवार के विरुद्ध दाण्डिक अभियोजन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है :—

(क) सदा के लिये अथवा किसी विशेष अवधि के लिये वारित किया जाना :—

(i) आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिये आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित अथवा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार के अंतर्गत नौकरियों के लिये।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार की सेवा में हो तो उचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है।

16. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हता-अंक (qualifying marks) प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे, उसे आयोग व्यक्तित्व-परीक्षा (Personality test) के इंटरव्यू के लिए बुलायेगा।

17. परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग अपने निर्णय के अनुसार परीक्षा के आधार पर अर्हता प्राप्त समझेगा, उन्हें इन रिक्तियों पर नियुक्ति करने के लिए सिफ़ारिश की जाएगी जिनकी भर्ती आरक्षित रूप में न होकर इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर करना निश्चित हुआ है।

लेकिन शर्त यह है कि आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को, जो किसी सेवा के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मान के अनुसार योग्य सिद्ध न हो, प्रशासन की कुशलता को ध्यान में रखते हुए उस सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर दे तो उसकी उस सेवा में यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये आयोग सिफारिश करेगा।

18. हरेक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षा फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा ।

19. उम्मीदवार ने अपना आवेदन-पत्र देते समय जो अपना अधिमान-क्रम (preference) बताया होगा, उस पर उचित रूप से विचार किया जायेगा; परन्तु भारत सरकार को उसे ऐसी कोई भी सेवा सौंपने का अधिकार है जिसके लिये वह उम्मीदवार हो।

20. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

21. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नही कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार की डाक्टरी परीक्षा करवाई जा सकती है ।

नोट :—बाद में निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवाएं। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों को किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके लिए स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट 4 में दिये गए हैं।

22. (क) जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या जो एक पत्नी के जीवित रहने पर भी किसी ऐसी स्थिति में विवाह कर ले कि वह विवाह उक्त पत्नी के जीवित रहने की अवधि में किए जाने के कारण शून्य (वायड) हो जाए तो उसे उन सेवाओं में नियुक्ति का, जिनके लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं और पुरुष उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दे।

(ख) जिस महिला उम्मीदवार का विवाह इस कारण शून्य (वायड) हो कि उक्त विवाह के समय उसके पति की एक जीवित पत्नी पहले से है या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी उक्त विवाह के समय एक जीवित पत्नी हो, वह उन सेवाओं में नियुक्ति की, जिनके लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, तब तक पात्र नहीं मानी जाएगी जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, और उस महिला उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे।

23. भारत सरकार को इस बात की स्वतन्त्रता होगी कि वह किसी ऐसी महिला उम्मीदवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा/दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा में नियुक्ति न करे जो विवाहित हो अथवा नियुक्ति के बाद अगर वह विवाह कर ले तो उससे त्यागपत्र मांग ले यदि ऐसा करना सेवा की कुशलता बनाए रखने की दृष्टि से आवश्यक हो।

24. भारतीय विदेश सेवा के लिए तो कोई महिला उम्मीदवार तभी पात्र हो सकती है जबकि वह अविवाहित हो अथवा विधवा हो और उस पर कोई भार (इन्कम्बरन्स) न हो। यदि कोई महिला उम्मीदवार चुनी गई तो उसे इस स्पष्ट शर्त पर नियुक्त किया जाएगा कि यदि उसने विवाह या पुनर्विवाह किया तो उसे सेवा से त्यागपत्र देने को कहा जा सकता है।

भारतीय विदेश सेवा की शाखा 'क' में नियुक्त अधिकारियों को किसी भी हालत में भारतीय नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

25. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती होने से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती है।

ओ० म० मारवा, अवर सचिव

परिशिष्ट I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(नियम 8 के अनुसार)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम से निगमित किया गया हो और अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद् के अधिनियम से स्थापित किया गया हो। अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मान लिये जाने की घोषणा हो चुकी है।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय।

इंगलैण्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डर्हम, लीड्स, लिवरपूल, लंदन, मैंचेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय।

स्काटलैण्ड के विश्वविद्यालय

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लास्गो और सैंट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय।

आयर्लैंड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज)।
नेशनल यूनिवर्सिटी, डबलिन।
क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय

ढाका विश्वविद्यालय

सिंध विश्वविद्यालय

राजशाही विश्वविद्यालय

परिशिष्ट I–क

भारत सरकार ने निम्नलिखित योग्यताओं को उनमें से प्रत्येक के सामने लिखी डिग्रियों के समकक्ष मान्यता प्रदान की है :—

परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये अनुमोदित योग्यताओं की सूची
(नियम 8 के अनुसार)

1. फ्रांसीसी परीक्षा (Baccalaureat) ।

2. फ्रांसीसी परीक्षा (Propedentique) ।

3. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कौंसिल ऑफ रूरल हायर एज्यूकेशन) से ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा ।

4. विश्वभारती विश्वविद्यालय का उच्च ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा ।

5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (आल इंडिया कौंसिल फॉर टैक्निकल एज्यूकेशन) से वाणिज्य में डिप्लोमा ।

6. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से सिविल, यांत्रिक या बिजली इंजीनियर में डिप्लोमा ।

7. श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पांडिचेरी का "उच्च पाठ्यक्रम", यदि "पूर्ण छात्र" (फुल स्टूडेन्ट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

8. भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, के खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा ।

परिशिष्ट I–ख

भारतीय रेलवे की उच्च राजस्व स्थापना के परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभागों की परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अनुमोदित योग्यताओं की सूची ।

(नियम 8 के अनुसार)

(i) वह इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत की सह-सदस्यता (एसोशियेट मेम्बरशिप) परीक्षा का खण्ड 'क' और 'ख' पास होना चाहिए अथवा उसमें उस संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिएं जिनके होने पर इन खण्डों को पास करने से छूट मिली हुई हो या बाद में मिल जाए; अथवा

(ii) उसके पास भारतीय विज्ञान संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस) बंगलौर की सह-सदस्यता (एसोशिएटीय) या फैलोशिप होनी चाहिए; अथवा

(iii) उसके पास लोबरो कालेज, लेंस्टरशायर से सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में आनर्स डिप्लोमा होना चाहिए । ऐसा उम्मीदवार सामान्य प्रारम्भिक परीक्षा पास अवश्य होना चाहिए अथवा उसे उससे छूट मिली होनी चाहिए; अथवा

(iv) वह इन्स्टीट्यूशन ऑफ टेली-कोम्यूनिकेशन इंजीनियर्स (इंडिया) से स्नातक सदस्यता परीक्षा (ग्रेजुएट मेम्बरशिप एग्जामिनेशन) पास होना चाहिए; अथवा

(v) उसे नवम्बर 1959 के बाद की इन्स्टीट्यूशन ऑफ इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड रेडियो इंजीनियर्स (लन्दन) की स्नातक सदस्यता परीक्षा पास होनी चाहिए ।

इंस्टीट्यूशन ऑफ इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड रेडियो इंजीनियर्स (लंदन) की नवम्बर, 1959 से पहले ली गई स्नातक सदस्यता परीक्षा भी नीचे लिखी शर्तों पर मान्य है :—

(1) नवम्बर, 1959 से पहले की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों की परीक्षा में बैठे हों और पास हुये हों :—

(i) इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी के सिद्धान्त और प्रयोग (1959) के बाद की योजना के खण्ड 'क' में बताए गए पाठ्य-विवरण के अनुसार ।

(ii) गणित II (1959) के बाद की योजना के खण्ड 'ख' में बताए गए पाठ्य विवरण के अनुसार ।

(2) संबंधित उम्मीदवार Institution of Electronics and Radio Engineers (London) से इस आशय का प्रमाण-पत्र लेकर पेश करें कि वे ऊपर (1) में बताई शर्तें पूरी करते हैं ।

परिशिष्ट II

खण्ड i

लिखित परीक्षा की रूपरेखा

लिखित परीक्षा के विषय :—

(क) **लिखित परीक्षा**

(i) तीन अनिवार्य विषय (सभी सेवाओं के लिए) निबन्ध, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, प्रत्येक विषय के पूर्णांक 150 होंगे। नीचे खण्ड-ii का उपखण्ड (अ) देखें);

(ii) निम्नलिखित खण्ड-ii के उप-खण्ड (ब) में में दिए गए ऐच्छिक विषयों में से चुने गए विषय। सेवा श्रेणी ii को छोड़ (नियम 1 और 4 देखें) शेष सभी सेवाओं के उम्मीदवार, उस उप-खण्ड के उपबन्ध के अधीन, कुल 600 अंकों तक के ऐच्छिक विषय ले सकते हैं ।

भारतीय पुलिस सेवा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा श्रेणी-II के लिए उम्मीदवार कुल 400 अंकों तक के ऐच्छिक विषय ले सकते हैं । इन प्रश्न-पत्रों का स्तर किसी भारतीय विश्वविद्यालय की आनर्ज़ डिग्री का परीक्षा के स्तर के लगभग होगा ; और

(iii) निम्नलिखित खण्ड-ii के उप-खण्ड (स) में दिए गए अतिरिक्त विषयों में से चुने गए विषय। उस उप-खण्ड के उपबन्ध के अधीन उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा (श्रेणी-I) के लिये कुल 400 अंकों तक के अतिरिक्त विषय ले सकते हैं। इन प्रश्न-पत्रों का स्तर ऐच्छिक विषय के लिए उप-खण्ड (क-V) में विहित स्तर से ऊंचा होगा ।

(ख) ऐसे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षा के साक्षात्कार के लिये (इस परिशिष्ट की सूची के भाग (ग) के अनुसार बुलाए जाएंगे, उसके लिए नीचे लिखे नम्बर होंगे :—

श्रेणी-I

भारतीय प्रशासनिक सेवा . .	300
भारतीय विदेश सेवा . . .	400

श्रेणी II और III

सभी सेवाएं . . .	200

खण्ड II

(अ) अनिवार्य-विषय

[देखिए ऊपर खण्ड (I) का उपखण्ड (क i)] :—

	पूर्णांक
(1) निबन्ध . . .	150
(2) सामान्य अंग्रेजी . . .	150
(3) सामान्य ज्ञान . . .	150

टिप्पणी :-ऊपर लिखे विषयों का पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग 'क' में दिया गया है।

(ब) ऐच्छिक विषय

[देखिए ऊपर खण्ड (I) का उपखण्ड (क-ii)]

सेवा श्रेणी II (नियम 1 और 4 देखें) के उम्मीदवार निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं दो विषयों को और अन्य सभी सेवाओं के उम्मीदवार किन्हीं तीन विषयों को चुन सकते हैं :—

(1) शुद्ध गणित . . .	200
(2) अनुप्रयुक्त गणित . . .	200
(3) सांख्यिकी . . .	200
(4) भौतिकी . . .	200
(5) रसायन . . .	200
(6) वनस्पति-विज्ञान . . .	200
(7) प्राणि-विज्ञान . . .	200
(8) भू-विज्ञान . . .	200
(9) भूगोल . . .	200
(10) अंग्रेजी साहित्य . . .	200
(11) हिन्दी . . .	200
(12) निम्नलिखित में से एक:— अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जर्मन, लैटिन, पाली, फारसी, रूसी, संस्कृत और स्पेनी	200
(13) भारतीय इतिहास . . .	200
(14) ब्रिटिश इतिहास . . .	200
(15) यूरोपीय इतिहास . . .	200
(16) विश्व इतिहास . . .	200
(17) सामान्य अर्थशास्त्र . . .	200
(18) राजनीति-विज्ञान . . .	200
(19) दर्शन-शास्त्र . . .	200
(20) विधि . . .	200
(21) लोक अन्तर्राष्ट्रीय विधि . .	200
(22) वाणिज्य विधि . . .	200
(23) उच्च लेखा शास्त्र और लेखा परीक्षा .	200
(24) अनुप्रयुक्त यांत्रिकी . .	200
(25) प्राइम मूवर . . .	200

शर्त यह है कि विशेष ऐच्छिक विषयों पर निम्नलिखित पाबंदियां लागू होंगी:—

(i) किसी भी सेवा के लिए 1, 2 और 3 विषयों में से दो से अधिक विषय नहीं चुने जा सकते।

(ii) भारतीय विदेश सेवा के अतिरिक्त अन्य सेवाओं के उम्मीदवार ऊपर मदद 12 के अन्तर्गत दी गई भाषाओं में से एक से अधिक न चुनें। केवल भारतीय विदेश सेवा के लिए उम्मीदवारों को इन भाषाओं में से कोई दो को चुनने की अनुमति है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को पाली और संस्कृत दोनों चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किसी भी सेवा के लिए इतिहास के विषयों 13, 14, 15 और 16 में से अधिक नहीं चुने जा सकते। लेकिन किसी भी उम्मीदवार को विश्व इतिहास और यूरोपीय इतिहास दोनों चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) किसी भी सेवा के लिए विधि के विषयों 20, 21 और 22 में से दो से ज्यादा नहीं चुने जा सकते।

(v) सेवा श्रेणी-II के लिए 24 और 25 विषयों में से कोई विषय न चुना जाए।

1967 और उसके बाद होने वाली परीक्षा की योजना में से "प्राइम मूवर" विषय को निकाल दिया जाएगा।

टिप्पणी:—ऊपर लिखे विषयों का पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट के अनुसूची के भाग 'ख' में दिया गया है।

(ग) अतिरिक्त विषय (देखिए ऊपर खण्ड-I का उपखण्ड (क iii)

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (श्रेणी-I) की प्रतियोगिता में बैठने वाले उम्मीदवार को निम्नलिखित विषयों में से कोई दो विषय भी अवश्य लेने होंगे।

			पूर्णांक
(1)	(अ)	उच्च गणित . . .	200
		अथवा	
	(ब)	उच्च अनुप्रयुक्त गणित . .	200
(2)		उच्च भौतिकी . .	200
(3)		उच्च रसायन . . .	200
(4)		उच्च वनस्पति-विज्ञान . .	200
(5)		उच्च प्राणि-विज्ञान . .	200
(6)		उच्च भू-विज्ञान . .	200
(7)		उच्च भूगोल . .	200
(8)		अंग्रेजी साहित्य (1798—1935)	200
(9)	(अ)	भारतीय इतिहास-I . . (चंद्रगुप्त मौर्य से हर्ष तक)	200
		अथवा	
	(ब)	भारतीय इतिहास-II . . (महान् मुगल सम्राट (1526—1707)	200
	(स)	भारतीय इतिहास-III . . (1772 से 1950 तक)	200
		अथवा	
	(द)	यूरोपीय इतिहास (1789—1878)	200
(10)	(अ)	उच्चतर अर्थशास्त्र . .	200
		अथवा	
	(ब)	उच्चतर भारतीय अर्थशास्त्र .	200
(11)	(अ)	ह्वाइज से आज तक का राजनीतिक सिद्धांत . . .	200
		अथवा	
	(ब)	राजनीतिक संगठन और लोक प्रशासन	200
(12)	(अ)	उच्चतर तत्वमीमांसा जिसमें ज्ञान-मीमांसा भी शामिल है . .	200
		अथवा	
	(ब)	उच्चतर मनोविज्ञान जिसमें प्रायोगिक मनोविज्ञान भी शामिल है .	200
(13)	(अ)	भारत का संविधान विधि .	200
		अथवा	
	(ब)	विधि-शास्त्र . . .	200

			पूर्णांक
(14)	(अ)	अरबी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्य-युगीन सभ्यता (570—1650 ईस्वी)	200
		अथवा	
	(ब)	फारसी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्य-युगीन सभ्यता (570 ईस्वी—1650 ईस्वी) . .	200
		अथवा	
	(स)	प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शनशास्त्र	200
(15)		मानव-विज्ञान . .	200
(16)		समाज-विज्ञान . .	200

शर्त यह है कि किसी भी उम्मीदवार को भारतीय इतिहास-I [9(अ) तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शन शास्त्र 14 (स)] दोनों को इकट्ठे चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1967 और उसके बाद होने वाली परीक्षाओं के लिए यूरोपीय इतिहास के प्रश्न-पत्र की 1789 से 1878 तक की अवधि को संशोधित करके "1871 से 1945 तक" कर दिया जाएगा।

टिप्पणी :—ऊपर दिए गए विषयों का पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग 'ग' में दिया गया है।

भाग III

सामान्य

1. सभी प्रश्नपत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखने होंगे, सिवाय भाषाओं के प्रश्नपत्रों के, जिनके उत्तर, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, अंग्रेजी में या संबंधित भाषा में लिखे जा सकते हैं।

2. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. उपरोक्त धारा II की उप-धारा (क), (ख) और (ग) में दिये पत्रों के उत्तर के लिये 3 घंटे का समय दिया जाएगा।

4. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक नम्बर (क्वालिफाइंग मार्कस) निर्धारित कर सकता है।

5. भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के लिये केवल उन्हीं उम्मीदवारों के दो अतिरिक्त प्रश्न-पत्रों को जांचा और अंकित किया जाएगा जो लिखित परीक्षा के अन्य सभी विषयों में एक निश्चित अल्पाधिकतम स्तर प्राप्त करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा अपने निर्णय से निर्धारित किया जाएगा।

6. यदि किसी उम्मीदवार की की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुल नम्बरों में से कुछ नम्बर काट लिये जाएंगे।

7. उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में दिये गये नम्बरों में से आयोग द्वारा निर्धारित नम्बर इसलिये काट लिये जाएंगे कि कहीं सतही ज्ञान को तो कोई महत्व नहीं दिया गया है।

8. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अभिव्यक्ति कम-से-कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग और ठीक-ठीक की गई है।

9. उम्मीदवारों से तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली की जानकारी की आशा की जाती है। प्रश्नों के उत्तर में जहां कहीं ऐसा आवश्यक हो, तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली का ही उपयोग किया जाए।

अनुसूची

भाग—क

(परिशिष्ट II की धारा II की उपधारा (क) के अनुसार)

1. **निबंध**—उम्मीदवारों से अंग्रेजी में एक निबंध लिखने की अपेक्षा की जाएगी। चुनाव के लिए कई विषय दिये जाएंगे। उनसे आशा की जाएगी कि वे निबंध के विषय की परिधि में ही अपने विचारों को क्रम से व्यवस्थित करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावपूर्ण और ठीक-ठीक भावाभिव्यक्ति को प्रश्रय दिया जाएगा।

2. **सामान्य अंग्रेजी**—प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनसे उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के सुन्दर उपयोग की सामर्थ्य का पता चले। कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी रखे जाएंगे जिसे उनकी तर्कशक्ति, उनकी निहितार्थ को ग्रहण कर सकने की सामर्थ्य तथा महत्वपूर्ण और कम महत्व वाले कार्य में अंतर समझ सकने की योग्यता की परीक्षा हो सके। जैसा कि आमतौर पर होता है संक्षेप सार-लेखन के लिए लेखांश दिए जाएंगे। संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा।

3. **सामान्य ज्ञान**—सामायिक घटनाओं के, और ऐसी बातें जो प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं, उसके, वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान सहित जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए। इस प्रश्न पत्र में महात्मा गांधी के उपदेशों से संबंधित प्रश्न भी होंगे।

भाग—ख

(परिशिष्ट II के भाग II के उप भाग (ख) के अनुसार)

1. **विशुद्ध गणित** :—इसमें ये विषय शामिल होंगे—बीजगणित, त्रिकोणमिति (ट्रिगनोमेट्री) और सारणिकों (डिटर्मिनेन्ट्स) सहित समीकरण सिद्धांत (थ्योरी आफ इक्वैशन्स)। विशुद्ध समतल ज्यामिति (प्यौर प्लेन ज्योमेट्री) और द्विविम और त्रिविम वैश्लेषिक ज्यामिति। अवकलन और समाकलन गणित (डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैल्कुलस) और अवकलन गणित समीकरण (डिफरेंशियल इक्वैशन्स)।

2. **प्रयुक्त गणित** :—इसमें ये विषय शामिल होंगे—

स्थैतिकी (स्टेटिक्स) जिसके अन्तर्गत आकर्षण तथा विभव सिद्धांत प्रवस्थैतिकी हैं कणगतिकी (डाइनेमिक्स आफ ए पार्टिकल) और प्रारम्भिक दृढ़ (रिजिड) गतिकी।

3. **सांख्यिकी**—बारंबारता बंटन, औसत, प्रतिशतक, प्रसार मापने की सरल रीतियां, ग्राफीय रीतियां, गुणात्मक आंकड़ों का विवेचन जैसे, अनुपातों की तुलना करके साहचर्य का अन्वेषण, अन्तर्वेशन की ग्राफीय और बीजीय रीतियों का अभ्यास।

कीमतों, मजूरियों और आयों, व्यापार परिवहन, उत्पादन और अपभोग, शिक्षा आदि के आंकड़ों के विश्लेषण और विवेचन में प्रयुक्त व्यावहारिक रीतियों, जनसंख्या और जीवन मरण संबंधी आंकड़ों के उपयोजन की रीतियों, प्रयोग या प्रेक्षणों के आंकड़ों को उपयोग में लाने में प्रयुक्त प्रकीर्ण रीतियां।

आधुनिक गणितीय सांख्यिकी सिद्धांत के तत्व, बारंबारता वक्र और सामान्यतः समूहों का गणितीय निरूपण, औसतों, प्रतिशततायों, मानक विचलन, समूहों के औसतों के बीच में पाए गए अंतरों की सार्थकता आदि को प्रभावित करने वाले प्रतिचयन की यथार्थता, दो चरों के लिए सहसंबंध-सिद्धांत।

4. **भौतिकी**:—

पदार्थ और यांत्रिकी के सामान्य गुण:—एकक तथा आयाम। परिभ्रमण गति तथा जड़ता बिम्रभिषा। स्वाकृष्ट तथा अभ्या-

कर्षण, ग्रहीय गति। भ्रव्यास्थजल तथा आयास सहसंबंध, प्रत्यास्थ आपरिवर्तक तथा उनके पारस्परिक संबंध। तल-आतलि, केशालत्व। असंपीड्य द्रवों का प्रवहण। तरल तथा वाति द्रव्यों का आलगत्व।

ध्वनि—क्लोत्पादित आवेपन तथा प्रतिरुवन। तरंग गति। आवेपनांक परिवर्तन। दोरक तथा वायुस्तम्भ-आवेपन। वारंवारता-मापन, ध्वनि का प्रवेग तथा चुम्बकन। स्वर-ग्राम। प्रशाल-ध्वनि-विज्ञान। पार ध्वनिकी।

ऊष्मा तथा ऊष्मा-प्रवैगिकी—वातियों का गतिवाद। ब्राउन का गतिवाद। वान डेर वील का स्थिति का समीकार। तापमान की माप, आपेक्षिक ऊष्मा तथा संवाही ऊष्मा। जूल-थामसन वातियों का प्रभाव तथा तरलन। ऊष्म प्रवैगिकी के नियम। ऊष्म यंत्र। कालकाय-विकिरण।

प्रकाश—रेखिकीय काशिकी तथा साधारण काशित्र संहिति। दूरेक्ष तथा अण्वीक्ष। चाक्षुष प्रतिबिम्ब में दोष तथा उनका सुधार प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश। प्रवेग की माप। प्रकाश में बाधक, व्याभंग तथा अभिस्पंदन। साधारण मिथोघट्ट-म रंगावलीक्षा के तत्व। रमन प्रभाव।

विद्युत तथा चुम्बकत्व

साधारण मामलों में क्षेत्र तथा शवम की गणना। गौस का प्रमेय। विद्युन्मान। पदार्थ के विद्युतीय तथा चुम्बकीय गुण और उनकी माप। विद्युत प्रवाह के कारण चुम्बकीय क्षेत्र। द्युवाहमान। विद्युत के वेग तथा मात्रा की माप। शक्तिमान। रोच, प्ररोचता तथा धारता; तथा उनका मापन। तामविद्युत। आवर्ती विद्युद्धाह के तत्व। विद्युज्जनित्रा तथा विद्युद्धहित्र। विद्यदंशन। विद्युच्चुम्बिक तरंगें। नमोवार्णी कपाद दीप तथा उनके द्वारा वितत्तु तरंगों की साधारण प्रयुक्ति, पारंषण तथा आदान। दूरवीक्षण।

आधुनिक भौतिकी के तत्व—विद्युदणु, प्राणु तथा क्लीवाणु के प्राथमिक तत्व। क्रिया-ऊर्जाणु-स्थिरांक। परमाणु का ग्रहवत् परमाणु सिद्धांत। क्ष-रश्मियां तथा उनके गुण। तेजोद्विरेता के तत्व तथा अकार एवं अवर्ण रश्मियों के गुण। परमाणुओं की न्याप्टि। सापेक्षता, पुंज्ज तथा ऊर्जा के विशेष सिद्धांत के तत्व। विखण्डन तथा द्राव। ब्रह्मांड रश्मियां।

5. रसायन

अकार्बनिक रसायन—परमाणु की संरचना। रेडियोरक्टिवता समस्थानिक। तत्वों का कृत्रिम तत्वांतरण। नाभिकीय विखंडन। रासायनिक बंधों की प्रकृति। वायुमंडल की अक्रिय गैसें। अपेक्षाकृत अधिक सामान्य और उपयोगी तत्वों तथा उनके यौगिकों का रसायन। दुर्लभ मृदा तत्व। हाइड्राइड, आक्साइड, आक्सी अम्ल। पर-अम्ल और पर-लवण तथा कार्बाइड। अकार्बनिक संकर। रासायनिक विश्लेपण के मूलभूत सिद्धांत।

कार्बनिक रसायन:—पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पाद। ऐलिफैटिक यौगिकों के निम्नलिखित वर्गों का रसायन: संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐल्कोहाल, ईथर, ऐल्डिहाइड, कीटोन, मोनो और डाई-कार्बोक्सीलिक अम्ल, ईस्टर, प्रतिस्थापित कार्बोक्सीलिक अम्ल, थायो, नाइट्रो और सायनों यौगिक। ऐमीन, यूरिया और यूरीआइड, कार्ब-धात्विक यौगिक, मोनोसेकेराइड (संरचना सहित), कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन (सामान्य परिचय)। सरल एलिचकीय यौगिक। विकृति सिद्धांत।

ऐरोमैटिक:—बैंजीन, नैफ्थेलीन और ऐन्थ्रासीन तथा उनके मुख्य व्युत्पन्न, कोलतार, आसवन, फ़िनोल, ऐरोमैटिक ऐल्कोहाल, ऐल्डिहाइड, कीटोन। ऐरोमैटिक अम्ल और हाइड्राक्सी अम्ल। त्रिविमविन्यासी बाधा। एरिल-ऐमीन, डाइऐज़ो, ऐज़ो और हाइड्रेज़ों यौगिक। क्विनोन। विषम-चक्रीय यौगिक। पाइरोल, पिरिडीन, क्विनोलीन, इन्डोल और नील। ऐज़ो, ट्राइफेनिल मेथेन और फ्थेलीन रंजक।

सरल आपाविक पुनर्विन्यास, समावयवता, त्रिविम समावयवता और चलावयवतवता। बहुलकीकरण।

भौतिक रसायन:—अणुगति सिद्धांत, गैसों के गुणधर्म, अवस्था-समीकरण, (वान-डेर-वाल का, डाइटेरिसाइ)। क्रान्तिक अवस्था, गैसों का द्रवण। रासायनिक संघटन के सापेक्ष द्रवों के भौतिक गुणधर्म। पारंभिक किस्टलिकी।

ऊष्मागतिकी का पहला और दूसरा नियम और इन नियमों का सरल भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों में अनुप्रयोग। रासायनिक साम्य और द्रव्य-अनुपाती क्रिया का नियम। ला-शाते लिए का नियम। प्रावस्था-नियम और उसका एक-घटक तंत्रों तथा लोह-कार्बन तंत्र में अनुप्रयोग।

अभिक्रिया की दर और कोटि। प्रथम और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। शृंखला अभिक्रियाएं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। उत्प्रेरण। अधिशोषण।

विद्युत-अपघटनी वियोजन। आयनिक साम्य। अम्ल-क्षारक साम्य और सूचक। विद्यु-अपघटनी चालकता और उसके अनुप्रयोग। इलेक्ट्रोड-विभव। सैल का विद्युत्वाहक बल। विद्युतवाहक बल के माप और उनके अनुप्रयोग।

6. वनस्पति-विज्ञान

क्रिप्टोगैम (बैक्टीरिया और वाइरस सहित) तथा फैनेरोगैम, विशेषकर भारतीय क्रिप्टोगैम और फैनेरेगैम, के विभिन्न समूहों और उपसमूहों अथवा कुलों और उपकुलों के महत्वपूर्ण निरूपकों के रूप, संरचना, प्रकृति, आर्थिक महत्व, जीवनवृत्त और परस्पर संबंध।

पादम-फिजियोलोजी के मूल सिद्धांत और प्रक्रम।

भारत में मिलने वाले अस्य-पौधों के महत्वपूर्ण रोगों का सामान्य ज्ञान और उन रोगों का नियंत्रण तथा उन्मूलन।

परिस्थितिकी और पादन भूगोल, विशेषतः भारतीय वनस्पति-समूह और भारत के वानस्पतिक क्षेत्रों, से संबंधित मूलभूत तथ्य।

विकास, कोशिका-विज्ञान और आनुवंशिकी और पादम-प्रजनन का मूल ज्ञान।

मानव कल्याण के लिए और विशेषकर खाद्यानों, दालों, फलों, शर्कराओं, स्टार्चों, तेल-बीजों, मसालों, पेयों, तन्तुओं, लकड़ियों, रबर औषधियों और सगंध तेलों जैसे वनस्पति-उत्पादों में पौधों, विशेषतः पुष्पी पौधों, के आर्थिक उपयोग।

वनस्पति विज्ञान से संबंधित ज्ञान के विकास का सामान्य परिचय।

7. प्राणिविज्ञान

अकार्डेटों और कार्डेटों, विशेषकर भारतीय अकार्डेटों और कार्डेटों, का वर्गीकरण, जीव-पारिस्थितिकी, आकारिकी, जीवनवृत्त और संबंध।

अध्यावरण, अंतःकंकाल चलन, भरण, रुधिर-परिसंचरण, श्वसन, आस्मो-रेगुलेशन, तंत्रिका-तंत्र, ग्राहियों और पुनरुत्पादन का क्रियात्मक आकारिकी (रूप, संरचना और कार्य)। कशेरुकी भ्रूण विज्ञान के तत्व।

विकास: प्रमाण, वाद और उनकी आधुनिक व्याख्याएं। मेन्डेलीय आनुवंशिकता, म्यूटेशन। प्राणी-कोशिका की संरचना, कोशिका-विज्ञान और आनुवंशिकी के मूलभूत सिद्धांत। अनुकूलन और वितरण।

8. भूविज्ञान

भौतिक, भूविज्ञान और भूआकृति विज्ञान:—पृथ्वी का उद्भव, संरचना, गर्भ तथा आयु। भू-अभिनति और पहाड़। समस्थिति। महाद्वीपों और महासागरों का उद्भव। महाद्वीपीय विस्थापन। भूकंप-विज्ञान। ज्वालामुखी-विज्ञान। पृष्ठ एजेन्सियों की भूवैज्ञानिक क्रिया।

संरचना तथा क्षेत्र भू-विज्ञान—आग्नेय अवसादी और कायांतरित शैलों की सामान्य संरचनाएं। वलन, भ्रंश, विषम विन्यासों, संधियों और क्षेपों का अध्ययन। भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और भूमापन की विधियों की प्रारम्भिक जानकारी।

क्रिस्टल-विज्ञान और खनिज-विज्ञान—क्रिस्टल रूप और सममिति के तत्व, क्रिस्टल-विज्ञान के नियम, क्रिस्टल तंत्र और वर्ग, क्रिस्टल प्रकृति, यमलन। विविध प्रक्षेप। खनिजों की भौतिक, रासायनिक और प्रकाशिक गुणधर्म। अधिक महत्वपूर्ण शैलकर तथा आर्थिक खनिजों का इनके रासायनिक और भौतिक गुण-धर्मों, क्रिस्टल संरचनात्मक और प्रकाशिक लक्षणों, परिवर्तनों, प्राप्ति और व्यावसायिक उपयोगों के संबंध में अध्ययन।

स्तरित शैल-विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान—स्तरित शैल-विज्ञान के नियम। भारतीय स्तरित शैल-विज्ञान। भूवैज्ञानिक अभिलेखों के अश्म-वैज्ञानिक और कालानुक्रम प्रविभाग। जीवाश्म-प्रकृति और परिरक्षण का ढंग; जैव विकास पर प्रभाव। अकशेरुकी तथा पादप जीवाश्म।

आर्थिक भूविज्ञान—अयस्क उत्पत्ति के सिद्धांत, वर्गीकरण, भूविज्ञान, प्राप्ति, भारत के प्रमुख धात्विक और अधात्विक खनिजों के क्षेत्र तथा स्रोत। भारत में खनिज उद्योग। भूभौतिकीय पूर्वेक्षण और अयस्क-प्रसाधन के नियम।

शैलविज्ञान—आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैलों का उद्भव, रचना, संरचना और वर्गीकरण। सामान्य भारतीय शैल प्रकारों का अध्ययन।

9. भूगोल—

संसार, विशेषतः भारत, का प्राकृतिक और मानव भूगोल। प्राकृतिक भूगोल के नियम, जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल और वायु-मंडल का विस्तृत अध्ययन करना शामिल है। चक्र संकल्पनाओं, समस्थिति, पर्वत विरचन के प्रक्रमों, मौसम घटनाओं, महासागर-जल की बहिस्तलीय और अधस्तलीय गति, आदि के संबंध में आधुनिक विचारों का ज्ञान भी हो।

मानव भूगोल के नियम, जिसमें संस्कृति, प्रजाति, धर्म आदि के आधार पर जन-वितरण, वातावरण और जीवन-प्रणाली, जन-संख्या उपनति, जनसंख्या की आवाजाही का विस्तृत अध्ययन करना भी शामिल है।

उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि उन्हें भारत के प्राकृतिक, मानव और आर्थिक भूगोल का विस्तृत ज्ञान हो।

10. अंग्रेजी साहित्य—

उम्मीदवारों से आशा की जाएगी, कि उन्हें चौसर से लेकर महारानी विक्टोरिया के शासन के अन्त तक अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान हो, तथा निम्नलिखित रचनाकारों की कृतियों का विशेष ज्ञान हो :—

शेक्सपीयर, मिल्टन, ड्राइडन, जानसन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, डिकन्स, टेनिसन, आर्नल्ड तथा हार्डी।

स्वयं पुस्तकें पढ़ने का प्रमाण अपेक्षित होगा।

प्रश्न पत्र इस प्रकार से बनाए जायेंगे, जिससे उम्मीदवारों की आलोचनात्मक योग्यता की जांच की जा सके।

11. हिन्दी—उम्मीदवारों को चन्दबरदाई से प्रेमचन्द तक के हिन्दी साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, जैसा कि नीचे पैरा 2 और 3 में बताया गया है। उन्हें हिन्दी भाषा के विकास के, और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ उसका क्या संबंध है इस बारे में भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए।

2. **मध्यकालीन हिन्दी साहित्य**—विशेष रूप से, कबीर, नानक, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, अब्दुर्रहीम, खानखाना (रहीम), केशवदास, बिहारी और भूषण की कृतियां।

3. **आधुनिक हिन्दी साहित्य**—लल्लूजीलाल से प्रेमचन्द तक।

टिप्पण 1—मूल पुस्तकें पढ़ने का प्रमाण अपेक्षित है। उम्मीदवारों को उस काल में अन्य भारतीय भाषाओं में रची गई मुख्य-मुख्य साहित्यिक कृतियों की भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए।

टिप्पण 2—उम्मीदवारों को सामान्य सामाजिक इतिहास का भी ऐसा ज्ञान चाहिए जिससे वे पिछले सौ वर्षों में हुए हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियों के विकास की भूमिका को समझ सकें।

12. भाषाएं—उम्मीदवारों को प्रमुख परिनिष्ठित साहित्य-कारों का ज्ञान होना अपेक्षित है और उनमें उस भाषा में रचना करने और उससे अनुवाद करने की योग्यता होनी चाहिए।

टिप्पण—अरबी, फारसी और संस्कृत लेने वाले उम्मीदवारों से कुछ प्रश्नों के उत्तर, यथास्थिति, अरबी, फारसी या संस्कृत में देने की अपेक्षा की जा सकती है। संस्कृत में लिखे जाने के लिए उत्तर देवनागरी लिपि में लिखे जाने चाहिएं।

13. भारतीय इतिहास—

चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से लेकर भारतीय गणतंत्र की स्थापना तक।

प्रश्न पत्र में राजनीतिक, संविधानिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास पर भी प्रश्न होंगे।

14. ब्रिटिश इतिहास—

अध्ययनाधीन अवधि 1485 से 1945 तक होगी। प्रश्न पत्र में राजनीतिक, संविधानिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास पर भी प्रश्न होंगे।

15. यूरोप का इतिहास—

अध्ययनाधीन अवधि सन् 1789 से 1945 तक होगी।

प्रश्न पत्र में राजनीतिक, राजनयिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास पर प्रश्न शामिल होंगे।

16. विश्व-इतिहास—1789 से 1945 तक।

उम्मीदवारों से आशा की जायेगी कि उन्हें विश्व के राजनीतिक और आर्थिक विकास विशेषतः यूरोप, अमरीका, सुदूरपूर्व मध्यपूर्व तथा अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में गहन ज्ञान हो। सार्वभौमिक महत्व की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विशेष बल दिया जायगा।

उम्मीदवारों से यह भी आशा की जायगी कि उन्हें विज्ञान, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में प्रदर्शित सम्पूर्ण सभ्यता के योगदान में प्रतिबिंबित सांस्कृतिक विकास का ज्ञान हो।

17. सामान्य अर्थशास्त्र—

उम्मीदवारों से आशा की जायगी कि उन्हें निम्नलिखित विषयों का सामान्य ज्ञान हो :—

(क) आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांत, तथा

(ख) आर्थिक मन्तव्यों का इतिहास

उनमें अपने सैद्धान्तिक ज्ञान को वर्तमान भारतीय आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग करने की योग्यता होनी चाहिए।

18. राजनीति विज्ञान—उम्मीदवार से राजनीतिक सिद्धांत और उसके इतिहास का ज्ञान अपेक्षित है। राजनीति सिद्धांत का तात्पर्य केवल विधान-सिद्धांत से ही नहीं है अपितु सामान्य राज्य सिद्धांत से भी है। संविधानिक रूपों (प्रतिनिधि सरकार, संघवाद आदि) और केन्द्रीय तथा स्थानीय लोक प्रशासन संबंधी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उम्मीदवारों को वर्तमान संस्थाओं की उत्पत्ति और विकास का ज्ञान भी होना चाहिए।

19. **दर्शनशास्त्र**—उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित के विशेष संदर्भ सहित पूर्व और पश्चिम के नीति शास्त्र के इतिहास और सिद्धांत की जानकारी होगी : नैतिक स्तर और उनके अनुप्रयोग की समस्याएं, नैतिक निश्चय, नियत्ववाद और स्वतन्त्र इच्छाशक्ति, नैतिक व्यवस्था और प्रगति, व्यक्ति, समाज और राज्य के बीच संबंध, अपराध और दंड के सिद्धांत तथा नीतिशास्त्र का धर्म से संबंध ।

उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे निम्नलिखित के विशेष संदर्भ सहित पश्चिमी दर्शनशास्त्र के इतिहास की जानकारी रखेंगे : दर्शनशास्त्र की प्रकृति और उसका विज्ञान तथा धर्म से संबंध, पदार्थ **एवं आत्मा, स्थान एवं समय,** कारणता एवं विकास तथा **मूल्य एवं ईश्वर** के सिद्धांत और ईश्वर, आत्म एवं मुक्ति, एव कारणता, विकास एवं प्रतीति के सिद्धांतों के विशेष संदर्भ सहित भारतीय दर्शन (धर्मनिष्ठ और धर्म विरोधी प्रणालियों सहित) का इतिहास ।

20. **विधि**—भारत गणतंत्र और यूनाइटेड किंगडम की संविधानिक विधि । विधिशास्त्र, दुष्कृति (टार्ट्स) भारतीय संविदा विधि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता ।

21. **लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि**—

अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति और स्रोत । अंतर्राष्ट्रीय विधि का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय विधि का संप्रदाय, अंतर्राष्ट्रीय विधि और देश विधि ।

अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्तियों के रूप में राज्य । अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का अधिग्रहण और हानि । राज्य मान्यता । राज्य उत्तराधिकार ।

राज्य के अधिकार और कर्त्तव्य । समानता का सिद्धांत । राज्यों का क्षेत्राधिकार ।

संधियां

अंतर्राष्ट्रीय संसर्ग के एजेंट । राजनयिक एजेंटों के विशेषाधिकार और उन्मुक्ति व्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय विधि । अन्य देशीय निवासी । राष्ट्रिकता । देशीकरण । राष्ट्रहीनता । प्रत्यर्पण । युद्ध-अपराधी ।

अंतर्राष्ट्रीय विवादों को तय करने का ढंग ।
युद्ध । घोषण । प्रभाव ।
स्थल-जल और वायु-युद्ध के नियम ।
आत्म रक्षा के लिए युद्ध: सामूहिक सुरक्षा । क्षेत्रीय समझौते ।
युद्ध को अवैध घोषित करना । युद्धकारी दखल के नियम । युद्ध-कारिता और राज्य प्रतिरोध ।
युद्ध के ढंग । युद्ध-कैदी । निरीक्षण और तलाशी का अधिकार ।
नौजितमाल न्यायालय ।
नाकाबंदी और विनिषिद्ध ।

तटस्थता और तटस्थीकरण । युद्ध में तटस्थ देशों के अधिकार और कर्त्तव्य । अतटस्थ सेवा । संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन तटस्थता ।

संयुक्त राष्ट्र का चार्टर और राष्ट्रसंघ का प्रतिज्ञापत्र संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग । विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन ।

उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दिए गए फैसलों सहित मामलों की जानकारी दे सकेंगे ।

22. **वाणिज्य विधि**—निम्नलिखित विषयों से संबंधित विधि के मुख्य सिद्धांत :—

करार
संविदा
उपनिधान
गिरवी
माल बिक्री
एजेंसी
भागिता
क्षतिपूर्ति और गारंटी
परक्राम्य लिखत
कम्पनी-विधि और कम्पनियों का परिसमापन ।
जीवन, अग्नि, समुद्री बीमा ।
सामान्य वाहक और भूमि, जल और वायु मार्ग से माल-परिवहन ।
दिवाला ।

23. **उच्च लेखा विधि और लेखा परीक्षा**—

(क) **इन से संबंधित लेखे**—भागिता, संयुक्त स्टाक कम्पनी, समामेलन, अन्तर्लयन तथा पुनर्निर्माण, नियंत्रक और नियंत्रित कम्पनियां, दिवाला, समापन, दोहरी लेखा-पद्धति, अवक्रय-खरीद और किस्त पद्धतियाँ, और अव्यापारिक संगठन, शाखा लेखे, बैंक लेखे, संविदा लेखे, बीमा लेखे, स्वामिस्व से लेखे, प्रकाशित लेखों की समीक्षा, कौतिस्व, मूल्य ह्रास और आरक्षित निधियों आदि से संबंधित समस्याएं ।

(ख) **लागत लेखे**—लागत निर्धारण के उद्देश्य और लक्ष्य । विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए लागत परिनिर्धारण की मुख्य पद्धतियां और उनकी विशेषताएं । व्यय के अनुभाजन की पद्धतियां । सामग्री, भंडार और स्टाक का हिसाब और नियंत्रण । मजूरी और अन्य खर्चों का हिसाब । भंडार और स्टाक की कीमत का निर्धारण । लागत खाता-बही, भंडार खाता-बही, खरीद जर्नल, भंडार मांगपत्र, प्राप्त माल बही, बिन कार्ड, समय पत्रक, मजूरी संक्षेप, लागत पत्रक और अन्य आवश्यक व्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अधीन लागत और "कारखाने पर" कीमत का अभिनिश्चयन । लागत लेखा से संबंधित व्यावहारिक समस्याएं ।

(ग) **लेखापरीक्षा के सिद्धांत और प्रक्रिया**—फर्मों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों, और जनोपयोगी संस्थाओं की लेखा-परीक्षा, लेखा-परीक्षकों के अधिकार, कर्त्तव्य और दायित्व, आंतरिक नियंत्रण, लेखापरीक्षक की नियुक्ति और अर्हतायें । लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट, अन्वेषण और उसका संचालन । विभाज्य लाभ और लाभांश । लेखा-परीक्षा संबंधी मामलों पर हुए वैध विनिश्चय, लेखा-परीक्षा संबंधी समस्याएं ।

(घ) **आयकर**—आयकर अधिनियम का लागू होना और छूटें । आयकर प्राधिकारी । आय के शीर्ष और उनका निर्धारण । गत वर्ष, निर्धारण वर्ष, मूल्य ह्रास । कर-मुक्त और करदत्त । प्रतिसादन । कुल आय और निर्धारितियों द्वारा देय कर की गणना, व्यक्तियों, फर्मों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों, व्यक्तियों की संस्थाओं के लिए कर-निर्धारण । अधिकार-निर्धारण की पद्धति और उसके सिद्धांत । व्यावहारिक समस्याएं ।

24. **प्रयुक्त यांत्रिकी**—

निर्माण

छतकैंचों के संनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर विचार । इस्पात और इमारती लकड़ी । छतकैंचियों के प्रतिफल का विभिन्न पद्धतियों से निर्धारण । अचल भार और वायु दाब । क्षेम और काईकारी प्रतिबल के घटक ।

छतकैंचियों का डिजायन—विभिन्न प्रकार की छतकचियां और छतछादन, कालरबीम और अधगोल कैंचियां । स्तम्भों के डिजायन में यूलर, गोरडन, रैंकिन, फिड्लर, जान्सन और सरल रेखा के सूत्रों का उपयोग, स्तम्भों का ब्रहकावकारक, विभिन्न सूत्रों से प्राप्त स्तम्भों की तुलनात्मक सामर्थ्य को दर्शाने वाले वक्र ।

काटों के आकार का चयन। इस्पाती कार्य की परिसज्जा जोड़, एंडबेयरिंगों का डिजायन, सिरों को जमाने और सहारे देने की पद्धतियां।

संरचनाओं के डिजाइन में प्रतिफल के वृत्तों और दीर्घवृत्तों तथा क्लेयप्रान प्रमेय का अनुप्रयोग।

ढले लोहे और इस्पात के स्तम्भ—इस्पाती स्तम्भों के साथ प्लेंज और वेब कनेक्शन : टोपियां, आधार स्तम्भों की तिर्यक तान।

नींव—सुरक्षित दाब, स्तंभों की नींव। पटिया नींव, बाहुधरन, नींव, झंझरीदार नींव। कूप। स्थूणा।

पुश्ता दीवार और मिट्टी के दाब—रैंकिन सिद्धांत, वेज सिद्धांत, विकर और ब्लाई की ग्राफीय रचनाएं, संशोधनों सहित। चिनाई में विभिन्न प्रकार की पुश्ता दीवारों का डिजाइन।

ऊंची चिनाई और इस्पाती चिमनियां—सिद्धांत और डिजाइन।

इस्पाती और पक्के जलाशयों का डिजाइन—वायु दाब के विचार से।

ढांचेदार संरचनाओं के विक्षेप और अतिरिक्तांगी ढांचों में प्रतिबल आदि का अवधारण।

कैंचियों, आबद्ध धरनों और तीन पिनी परवलयिक, अर्ध-दीर्घवृत्ताकार तथा अर्ध-वृत्ताकार डाटों पर समान रूप से वितरित और अनियमित भार के वंकन घूर्णन और कर्तन के प्रभाव-आरेख।

गुम्बद डिजाइन के सामान्य सिद्धांत।

निर्माण डिजाइन के सिद्धांत, निर्माणों पर भार का विचार, इस्पात कर्म, गर्डर आदि।

पुल

ऊपरी ढांचे का डिजाइन। चरमारों और वायु दाबों के कारण हुए वंकन घूर्णन का ग्राफीय और वैश्लेषिक पद्धतियों से निर्धारण। पक्के पुलों और पुलियों का डिजाइन।

प्लेट वेब गर्डर। प्रतिबलों का विश्लेषण।

वारेन और जालदार गर्डर।

तीनपिनी डाट, दोपिनी और दृढ़ डाट।

झूला, बाहुधरन और नलिकाकार पुलों के डिजाइन परसामान्य विचार इस्पाती डाटदार पुल।

झूलता पुल

प्रबलित कंक्रीट

कर्तन, बंध और विकर्ण तनाव, इसका स्वरूप, प्रबलन का मूल्यांकन और स्थान।

सरल और दोहरी प्रबलित धरन और अनुकालंब धरन का डिजाइन।

प्रबलित कंक्रीट स्तम्भों और स्थूनाओं का सिद्धांत और डिजाइन।

पटिया नींवों का डिजाइन।

सरल बाहुधरन और पुश्तेदार धारक दीवारों का डिजाइन।

प्रबलित कंक्रीट काटों के लिए तुल्य जड़ता-घूर्ण

प्रत्यास्थ विक्षेप का सिद्धांत और प्रबलित कंक्रीट डाटों में प्रतिबलों के अन्वेषण की रूप-रेखा।

सामान्य

प्रतिबल विश्लेषण, विकृति प्रत्यास्थता सीमा और चरम सामर्थ्य का विश्लेषण। प्रत्यास्थ स्थिराकों में परस्पर संबंध। किसी संरचना अवयव में कार्यकारी प्रतिबलों के लिए रानहार्ट—वेरोध सूत्र और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र का अवधारण। प्रतिबलों की पुनरावृत्ति। अचल भारों के लिए वंकन घूर्णन और कर्तन-बल के आरेख ढांचों में प्रतिबलों का ग्राफीय अवधारण। वायुदाब का प्रभाव, काटों की पद्धति। वंकन (M/I–F/Y–E/R) के कारण धरन की अनुप्रस्थ काट में प्रतिबल, मिश्रित, और संयुग्मित प्रतिबल। मिट्टी के दाब का रैंकीन सिद्धांत, नींवों की गहराई खसकों की सामर्थ्य। झंझरीदार नींव, मिट्टी के दाब का कूलाम सिद्धांत रेबान के कारण परिवर्तन।

चरमारों के लिए वंकन घूर्णन और कर्तन बल के आरेख। समान और समान रूप से बदलते हुए प्रतिबल का विश्लेषण धरनों के वंकन का प्रत्यास्थता-सिद्धांत, धरनों में वंकन और कर्तन प्रतिबल, काट का मापांक और तुल्य क्षेत्र। उत्केंद्र भारता के कारण जोड़ में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल। बांधों और चिमनियों में प्रतिबल। बनाक की स्थिरता, कार्य संरचनाएं। वाष्पित्र खोलों में प्रतिबलों और रिवेटदार जोड़ों का डिजाइन। थ्रस्त के संबंध में आयनर का सिद्धांत, रैंकिन, गार्डन और अन्य सिद्धांतों के कारण परिवर्तन। ऐंठन, संयुक्त ऐंठन और वंकन विक्षेप। आबद्ध धरने, अनेकालंब धरने और त्रिपूर्ण प्रमेय। डाटों का प्रत्यास्थता-सिद्धांत, पक्की डाटें।

25. *प्राइम मूवर—

ईंधन गैस संयंत्र और बॉयलर—ईंधन-कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, एल्कोहाल आदि, भौतिक लक्षण, लगभग रासायनिक संघटन, दहन-ऊष्मा

गैस संयंत्र—गैस उत्पादन, दाब और चूषण संयंत्र, विन्यास और कार्य प्रणाली।

बॉयलर—वानप्रवाह, प्राकृत, प्रणोदित, प्रेरित। साधारण प्रकार के अप्रगामी रेल इंजन, समुद्री जल-नलिका और अन्य प्रकार; तापक पृष्ठ, फायर-ग्रेट क्षेत्र; बॉयलर दक्षता अतितापक, पोषक-जल-तापक (फील्ड वाटर हीटर) सहायक उपकरण और व्यवस्था।

ऊष्मा-इंजनों के सिद्धांत—ऊष्मा गतिकीय नियम, कार्नो चक्र, परिपूर्ण ऊष्मा-इंजन, द्वितीय नियम।

वायु इंजन—स्टर्लिंग और अन्य प्रकार।

अंतर्वहन इंजन—गैस, तेल, और पेट्रोल इंजन, चक्रों के प्रकार और कार्य लक्षण। मिश्रणों का अनुपातन, दक्षताएं।

माप—माप के जनन, प्रसार और संघनन की ऊष्मागतिकी, ऊष्मा-आरेख, आदि।

माप-इंजन और टरबाइन, विशेष उनमें हुए आधुनिक विकास।

प्रशीतक संयंत्र—अधिक सामान्य प्रकार के संयंत्रों का सिद्धांत और सामान्य विन्यास।

*1967 और उसके बाद होने वाली परीक्षाओं की योजना में से प्राइम मूवर विषय निकाल दिया जाएगा।

वायु संपीडक—वातिल कार्य प्रणाली का सिद्धांत। जनन संयंत्र, सहायक उपकरण और ब्यौरा, अधिक महत्वपूर्ण प्रकार के संयंत्रों का सामान्य विन्यास और निर्माण।

संघनित्र, वायुपंप, परिसंचारी, पंप, शीतलक टैंक आदि।

कार्बूरेटर और ज्वलन पद्धति

बेलन, पिस्टन, क्रास हैड, ग्राइड, संयोजी दंड, क्रैंक, नियामक, गति पालक चक्र, वाल्व और वाल्व-जियर ग्लैंड और नलिकाएं।

इंजन परीक्षण—माप और ईंधन की खपत, गैस और तेल ब्रेक और डायनामों मीटर, सूचक और सूचक आरेख।

भाग ग

परिशिष्ट के भाग II के उप भाग (ग) के अनुसार

1. (क) उच्च शुद्ध गणित—

अनन्त श्रेणी और गुणनफल—अभिसरण के लिए परीक्षण। अनन्त श्रेणी (वास्तविक और सम्मिश्र का निरपेक्ष, सापेक्ष और एक

समान अभिसरण । अनन्त श्रेणी (सम्मिश्र) का अवकलन और समाकलन । घात श्रेणी के मूल गुण-धर्म । द्विक श्रेणी । अनन्त गुणन फलों का निरपेक्ष और एक समान अभिसरण ।

विश्लेषण

वास्तविक-चर के फलन—डेडेकिन्ट सेक्शन । अनुक्रमों के परिबंध और सीमाएं । संतत फलनों का सातत्य और गुण धर्म । रोल प्रमेय, टेलर प्रमेय । दो या अधिक चरों के फलनों का उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ । अवकलनीयता और अवकल । अस्पष्ट फलन । जेकोबियन के गुण-धर्म । रीमान समाकलन । माध्यमान प्रमेय । समाकल-चिह्न के अंतर्गत अवकलन और समाकलन । विषय समाकल । द्विक, त्रिक् और पृष्ठ समाकल । ग्रीन-प्रमेय और स्टोक प्रमेय । फलनों का फूरिए-प्रसार । असातत्य बिन्दुओं पर श्रेणी का संकलन फल । बिन्दु-समुच्चय । माप । माध्य फलन । परिबद्ध फलन का लीबेस्गयू समाकल ।

सम्मिश्र चरों के फलन—द्विरेखी रूपान्तरण । विश्लेषिक फलन । कोशी प्रमेय और उसका विलोम । चोशी समाकल सूत्र । टेलर और लोरां श्रेणी । ल्यूवील प्रमेय । विचित्रताएं । शून्य । अवशेष सिद्धांत । कन्टूरसमाकलन और बीजीय समीकरणों के मूलों का अनुप्रयोग । अनुकोण निरूपण । विश्लेषिक सातत्य मिटाज-लैफलर-प्रमेय । वीयरस्ट्रास गुणनखंडन-प्रमेय । अधिकनम माड्यूलस नियम । हमदर्द-विवृत-प्रमेय ।

उच्चतर ज्यामिति—द्विघाती के समतल परिच्छेद और जनक रेखाएं द्विघाती पृष्ठ और उसका विश्लेषण । अनंतस्थ वृत्त । संनामि द्विघाती । द्विघाती कुंचिकाओं का प्रारंभिक सिद्धांत ।

समष्टि में वक्र । वक्रता और मरोड़ । फ्रैने सूत्र । अन्वालोपी । विकासनीय पृष्ठ । वक्र से संबंधित विकासनीय पृष्ठ । रेखज पृष्ठ । पृष्ठों की वक्रता । वक्रता रेखा । संयुग्मी रेखाएं । उपगामी रेखाएं । अल्पान्तरीय ज्यामिति ।

1. (ख) उच्च प्रयुक्त गणित

स्थैतिकी, जिसमें आकर्षण और विभव भी शामिल हैं । द्रव-स्थैतिकी, तरल दाब, वायुमण्डलीय दाब, कैशिकत्व ।

कण और दृढ़ पिण्डों की गतिकी ।

कण गतिकी—सकेन्द्र कक्षाएं । प्रतिबंधित गति । प्रतिरोधी माध्यम में गति । तीन विमाओं में गति ।

दृढ़ गतिकी—दो विमाओं में गति । संवेग और गतिक ऊर्जा । लैग्रेंज की गति—समीकरण और अल्पदोलनों में उनका अनुप्रयोग ।

द्रव गतिकी, जिसमें किसी तरल में से होकर ठोसों की गति की प्रारंभिक सिद्धांत और पृष्ठ तरंगों का अध्ययन भी शामिल है ।

विद्युत और चुम्बकत्व ।

ऊष्मागतिकी, गैसों का अणुगति सिद्धांत, विकिरण ।

2. उच्च भौतिकी

द्रव्य और ध्वनि के सामान्य गुण धर्म—विरूपणीय पिंडों की यांत्रिकी । कुंडलिनी कमानी केशिका घटनाएं । श्यानता । ध्वनिक मापन पराश्रव्यिकी ।

ऊष्मा और ऊष्मागतिकी—ब्राउनी गति । गैसों का अणुगति सिद्धांत । निम्न दाब पर गैसों में मिलने वाली अभिगमन-घटनाएं । ऊष्मागतिक कार्य और उनके अनुप्रयोग । घनाकृतियों और गैसों की विशिष्ट ऊष्मा । निम्न तापमान लाना और उन्हें मापना । विकिरण और ऊर्जा वितरण का प्लैंक नियम ।

प्रकाश-विज्ञान—समाक्ष सममित प्रकाशित तंत्रों का सिद्धांत । प्रायोगिक स्पेक्ट्रम-विज्ञान । विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत । प्रकाश प्रकीर्णन । रामन-प्रभाव । विवर्तन । ध्रुवण ।

विद्युत और चुम्बकत्व—गाउस-प्रमेय । विद्युतमापी । चुम्बकीय शैथिल्य । स्थायी चुम्बकों का सिद्धांत । वैद्युत राशियों का मापन । प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत । साइक्लोट्रान और उच्च वोल्टता के उत्पादन की अन्य विधियां । बेतार तरंगों का प्रेषण और अभिग्रहण । टेलीविजन ।

आधुनिक भौतिकी—आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत । प्रकाश और द्रव्यों की द्वैत प्रकृति । श्रोडिंजर समीकरण और साधारण मामलों में उसके हल । हाइड्रोजन और हीलियम स्पेक्ट्रा । जीमन और स्टार्क प्रभाव । पौली नियम और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण । एक्स किरण और एक्स-किरण स्पैक्ट्रम-विज्ञान । कॉम्पटन प्रभाव । धातुओं में चालन । अतिचालकता । तापायनिकी । तापीय आयनन । परमाणु नाभिकों के गुणधर्म । द्रव्यमान स्पेक्ट्रम-विज्ञान । मूलकण और उनके गुणधर्म । नाभिकीय अभिक्रियाएं । अंतरिक्ष-किरणें । नाभिकीय विखंडन और संलयन ।

3. उच्च रसायन

अकार्बनिक रसायन—परमाणु-संरचना । रेडियोऐक्टिवता, प्राकृतिक एवं कृत्रिम । नाभिकों का विखण्डन तथा संलयन । समस्थानिक । रेडियोऐक्टिवसूचक । रेडियोऐक्टिव श्रेणियां । परायूरेनियम तत्व । तत्वों और उनके मुख्य यौगिकों, विशेषतः Be, W, Ti, V, MO, HF, ZV तथा दुर्लभ मृदा तत्वों और उनके मुख्य यौगिकों, का रसायन ।

उपसहसंयोजकता-यौगिक । अंतराअवाशी तथा अतत्व-योगमितीय यौगिक । मुक्त मूलक । विश्लेषण की प्रगत भौतिक-रासायनिक विधियां ।

कार्बनिक रसायन—अनुवाद तथा हाइड्रोजनबन्ध विरचन सहित कार्बनिक रसायन के सिद्धान्त । महत्वपूर्ण कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि । समनुरूपण सहित विन्यास-रसायन ।

विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के वर्गों, विशेषतः निम्नलिखित वर्गों, का रसायनः बहु-शर्कराइड, टर्पीन, प्राकृतिक रंजक द्रव्य, ऐलकेलाइड, विटामिन, महत्वपूर्ण हार्मोन, मलेरिया रोधक, क्लोरीन कीटनाशी, मुख्य प्रतिजैविक, तथा संश्लिष्ट बहुलक ।

भौतिक-रसायन—अणु-गतिक सिद्धान्त, ऊष्मागति की विज्ञान के तीन नियम तथा भौतिक रसायनिक प्रक्रमों में उनका अनुप्रयोग आणविक संरचना से संबंधित तथा उसका स्पष्टीकरण करने वाले भौतिक-रासायनिक गुणधर्म । क्वान्टम-सिद्धान्त तथा रसायन में इसका अनुप्रयोग ।

रासायनिक तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि तथा बलगतिकी । उत्प्रेरण । अधिशोषण । पृष्ठ-रसायन । कोलायड । विद्युत-रसायन ।

4. उच्च वनस्पति-शास्त्र

उम्मीदवारों को भारतीय वनस्पति समूह पर विशेष ध्यान देते हुए, वर्तमान और विलुप्त दोनों प्रकार के वनस्पति-जगत् के मुख्य समूहों (अर्थात् शैवाल, कवक, ब्रयोफाइटा, टेरिडो-फाइटा, जिम्नोस्पर्म और ऐंजिओस्पर्म) का उच्च ज्ञान होना चाहिए ।

शरीर—पादप ऊतकों का उद्भव, स्वरूप और विकास और पारिस्थितिक तथा कायिकीय दृष्टि से उनका वितरण ।

पारिस्थितिकी—भारत की वनस्पति के मुख्य प्रकार, उनका वितरण और वनस्पतिक अध्ययन का महत्व ।

कायिकी—पादप कार्य के महत्वपूर्ण कायिकीय प्रक्रम का उच्च ज्ञान ।

पादप रोग विज्ञान—जीवाणु, कवक, विषाणु, द्वारा होने वाले महत्वपूर्ण पादप रोगों तथा कायिकी रोगों और उनके नियंत्रण की विधियों का उच्च ज्ञान ।

आर्थिक वनस्पति विज्ञान—भारत के आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों का अध्ययन और उनका वितरण।

सामान्य जीव विज्ञान—विभिन्नता, आनुवंशिकता क्रम विकास, कोषिका—विज्ञान तथा आनुवंशिकी के मूलतत्वों और आधुनिक विकास एवं पादप प्रजनन के सिद्धान्तों का ज्ञान।

5. उच्च प्राणिविज्ञान

आकार्डेटों और कार्डेटों, विशेषकर भारतीय प्राणिसमूहों, का वर्गीकरण, जीवपरिस्थिति की, आकारिकी, जीवनवृत्त तथा संबंध।

अंग-तंत्र का क्रियात्मक आकृतिविज्ञान (रूप, संरचना तथा कार्य)। कशेरूकी भ्रूणविज्ञान की रूपरेखा।

प्राणियों का वर्गीकरण, व्यक्तिवृत्त, अनुकली समाभिरूपता तथा विषाभिरूपता, पशु-परिस्थिति की, प्रवास तथा रंजन।

विकास: प्रमाण, वाद और उनकी आधुनिक व्याख्याएं। अनुकूलन, अंतरिक्ष में प्राणियों का वितरण।

कोशिका, कोशिका-विज्ञान, आनुवंशिकी, लिंग-निर्धारण तथा अंतःस्राव-विज्ञान के ज्ञान में नवीन प्रगतियां।

भौतिक, रसायनिक तथा जैविक कारकों के समिश्र के रूप में वातावरण तथा व्यक्ति, जनसंख्या और समुदाय के रूप में जीवों की आधुनिक संकल्पना।

निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध: प्रोटोजोआ तथा रोग, कीट तथा मानव, परजीवी, विज्ञान, अलवण जल तथा समुद्री जीव विज्ञान, सरोवर-विज्ञान तथा मत्स्य-जीवविज्ञान, ज्ञान तथा सभ्यता के लिए महान जीव-वैज्ञानिकों का योगदान।

6. उच्च भूविज्ञान

सामान्य भूविज्ञान—भूविज्ञान का इतिहास तथा विकास, इसकी विभिन्न शाखाएं तथा विज्ञान की अन्य शाखाओं से इसका संबंध। पृथ्वी का उद्भव, विकास, संरचना, रचना, गर्भ तथा आयु। भूआकृति-विज्ञान, रेडियोरूविटवता तथा भूविज्ञान, भूकंप, विज्ञान, ज्वालामुखी-विज्ञान, भू-अभिनतियों, समस्थितियों में उसका अनुप्रयोग। महाद्वीपों तथा महासागर द्रोणियों का विकास। पृष्ठ एजेन्सियों और अंतः भूमिक एजेंसियों की भूवैज्ञानिक क्रिया। महाद्वीपीय विस्थापन।

संरचना तथा क्षेत्र भूविज्ञान-पटलविरूपण—शैल विरूपण, पर्वतों का उद्भव, स्थल-आकृति तथा खनन सम्बन्धी संरचनाएं। भारत का विवर्तनिक इतिहास। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं भूमापन की विधियां।

स्तरित शैल-विज्ञान तथा जीवाश्म-विज्ञान—स्तरित शैल-विज्ञान के नियम तथा सह सम्बन्ध। भारतीय स्तरित शैल विज्ञान का विस्तृत अध्ययन तथा विश्व स्तरित शैल विज्ञान की रूपरेखा। विभिन्न कालों में पृथ्वी, समुद्र, प्राणी समूहों तथा वनस्पति समूहों का विभाजन। जैव-विकास के सिद्धान्त। जीवाश्म—उनका महत्व। प्रतिरूपी इन्डैक्स जीवाश्म तथा सह सम्बन्ध, भारत के विशेष संदर्भ में अकशेरूकी का विस्तृत अध्ययन। और भूवैज्ञानिक इतिहास।

क्रिस्टल-विज्ञान तथा खनिज-विज्ञान—क्रिस्टल-आकारिकी, क्रिस्टल-विज्ञान के नियम, क्रिस्टल तंत्र तथा वर्ग, प्रकृति, यमलन। क्रिस्टलों का कोणामापी तथा एक्स-किरण अध्ययन। परमाणु-संरचना। शैल कर तथा आर्थिक खनिजों का, भारत में उनके अस्तित्व के विशेष संदर्भ में विस्तृत अध्ययन।

शैलविज्ञान—आग्नेय, अवसादी तथा कायान्तरित शैलों का उद्भव और विकास, संरचना, खनिज घटक, गठन तथा वर्गीकरण। कायांतरण सहित शैलजनन। शैल रसायन। उल्का पिण्डों का अध्ययन। मुख्य भारतीय शैल प्रकारें।

आर्थिक भूविज्ञान—अयस्क-उत्पत्ति, आर्थिक खनिजों का वर्गीकरण तथा अयस्क-स्थान निर्धारण। भारत के विशेष संदर्भ में आर्थिक खनिज निक्षेपों का भूविज्ञान। खनिज उद्योगों का स्थान-निर्धारण। गुणधर्मों का मूल्यांकन, खनिज-अर्थशास्त्र, खनिजों का संरक्षण तथा उपयोग। राष्ट्रीय खनिज नीति। स्ट्रैटेजिक खनिज भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय तथा भूरासायनिक पूर्वेक्षण तकनीकें तथा उनके अनुप्रयोग। खनन, प्रतिचयन, अयस्क-प्रसाधन तथा अयस्क मज्जीकरण की मुख्य विधियां। भूमि तथा भौमजल। सामान्य इंजीनियरी समस्याओं में भूविज्ञान का अनुप्रयोग।

7. उच्च भूगोल

पर्चे के दो भाग होंगे:— पहले भाग के अंतर्गत भारत के विशेष संदर्भ में भौतिक, मानव तथा आर्थिक भूगोल का प्रगत अध्ययन होगा।

दूसरे भाग में निम्नलिखित विशेष विषयों का प्रगत अध्ययन शामिल होगा और उम्मीदवार से आशा की जाती है कि उसे कम-से कम दो विषयों का ज्ञान होगा:—

भूआकृति विज्ञान। जलवायु विज्ञान (मौसम के पूर्वानुमान तथा विश्लेषण की नई विधियों सहित)। मानचित्रकला (समकोणीय गोलीय त्रिकोणों के हल, थियोडोलाइट के उपयोग, तिर्यक विमध्य जाल जैसे प्रगत प्रक्षेप, आदि सहित)। ऐतिहासिक भूगोल। राजनैतिक भूगोल। भौगोलिक विचार तथा खोजों का इतिहास।

8. अंग्रेजी साहित्य

प्रश्नपत्र अंग्रेजी साहित्य (1798—1935) के अध्ययन पर आधारित होगा, जिसमें निम्नलिखित रचनाकारों का विशेषाध्ययन अपेक्षित होगा:—

वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शैली, कीट्स, लैम्ब, जैन ऑस्टिन, कारलाइल, रस्किन, थैकरे, राबर्ट ब्राऊनिंग, जार्ज इलियट, जी० एम० हौपकिन्स, शॉ, डब्ल्यू० बी० यीट्स, गाल्सवर्दी, जे० एम० सिंज, ई० एम० फ़ोर्स्टर तथा टी० एस० ईलियट।

स्वयं पुस्तकें पढ़ने का प्रमाण अपेक्षित होगा।

प्रश्न पत्र इस प्रकार के बनाये जायेंगे जिनसे इस अवधि की प्रमुख साहित्यिक धाराओं का ज्ञान ही नहीं, अपितु उनके आलोचनात्मक मूल्यांकन की जांच भी की जा सके। इस में उस अवधि की सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित प्रश्न भी शामिल किये जा सकते हैं।

9. (क) भारतीय इतिहास—(चन्द्रगुप्त मौर्य से हर्ष तक)

मौर्यवंश—साम्राज्य का अभ्युदय तथा दृढ़ीकरण। प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था। साम्राज्य का पतन।

मगध का पतन—

शुंग तथा कण्व वंश—चोल, चेर तथा पाण्ड्य।
पश्चिम से सम्पर्क उत्तर भारत-भारतयूनान।
दक्षिण-भारत-रोमन व्यापार।
मध्य ऐशिया तथा भारत।
शक वंश। कुशान वंश।
शतवाहन वंश।

एशियाई देशों से भारत का सम्पर्क—बौद्ध मत का प्रसार।

गुप्त साम्राज्य

भारतीय शास्त्रीय संस्कृति का निर्माण। भारत के और समुद्रपारीय सम्पर्क। गुप्त वंश का पतन। हूण जाति।

उत्तर भारत में बदलती हुई अर्थ व्यवस्थायें तथा राजनीति पर उनका प्रभाव।

वाक्टक तथा चालोक्य वंशों का अभ्युदय।
पल्लवों का अभ्युदय। हर्षवर्धन।

हर्षवर्धन

9. (ख) भारतीय इतिहास (मुगल साम्राज्य 1526–1707)

राजनीति इतिहास—

भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, इसका दृढ़ीकरण तथा विस्तार। सूर राज्यान्तराल। मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष। अकबर, जहांगीर और शाहजहां। मुगलों के फारस तथा मध्य एशिया से सम्बन्ध। प्रशासनिक पद्धति का विकास। मुगल दरबार में यूरोप के लोग, प्रारम्भिक पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी बस्तियां। पतन का आरम्भ। औरंगजेब, उसके युद्ध तथा नीतियां।

सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन—

सांस्कृतिक जीवन तथा कला का विकास, वास्तुकला तथा साहित्य।

धार्मिक आन्दोलन : भक्ति आन्दोलन, सूफीमत, दीने-इलाही। मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति।

आर्थिक जीवन, कृषि जीवन। भूधारण पद्धतियां। उद्योग। वाणिज्य तथा व्यवसाय। आयात तथा निर्यात। परिवहन व्यवस्था। भारत का ऐश्वर्य।

सामाजिक जीवन : दरबारी जीवन। नागरिक जीवन, ग्रामीण जीवन। वेशभूषा। रीति-रिवाज, खाद्य तथा पेय, मनोरंजन तथा मेले, त्यौहार, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति।

(ग) भारतीय इतिहास III (1772 से 1950)

बंगाल तथा दक्षिण भारत में ब्रिटिश सत्ता का दृढ़ीकरण। भारत में ब्रिटिश सत्ता का विकास। ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा ब्रिटिश राज्य। सिविल सर्विस, न्याय पद्धति, पुलिस तथा सेना का विकास। नई भूमिकर पद्धति तथा भूधारण पद्धति का विकास। ब्रिटिश व्यवसायिक नीति। भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव। 1857 का विद्रोह। भारतीय राज्यों के साथ सम्बन्ध। विदेश नीति, तथा ब्रह्मा व अफ़गानिस्तान के साथ सम्बन्ध। आधुनिक उद्योग तथा संचार साधनों का विकास। आधुनिक शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास।

भारतीय पुनःजागृति :—राजा राम मोहन राय, ब्रह्मसमाज और विद्यासागर, आर्य समाज, थियोसोफिस्ट, रामकृष्ण तथा विवेकानन्द, सैयद अहमद खां सामाजिक सुधार आधुनिक भारतीय साहित्य का विकास।

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का अभ्युदय : इण्डियन नेशनल कांग्रेस (1885 से 1905) दादाभाई नारोजी, राणाडे, गोखले, उग्र राष्ट्रवाद का विकास, विभाजन विरोधी आन्दोलन, स्वदेशी तथा बायकाट आन्दोलन, तिलक व अरविन्द घोष, होमरूल लीग तथा लखनऊ समझौता।

सांविधानिक विकास :—1861 तथा 1892 के अधिनियम, मिन्टो मार्ले सुधार, मौंट फोर्ड सुधार, 1935 का अधिनियम।

महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश तथा स्वतन्त्रता संग्राम। सत्ता-हस्तान्तरण : क्रिप्स मिशन, कैबीनेट मिशन, स्वतन्त्रता अधिनियम तथा विभाजन। 1950 का संविधान। स्वतन्त्र भारत : विदेश नीति, तटस्थता, धर्मनिरपेक्षता तथा योजना।

9. (घ) ब्रिटिश संविधान का इतिहास (1601 से 1950 तक)

ताज बनाम संसद —

अम्स। तथा संसद के बीच सम्बन्ध। अधिकार याचिका। चार्ल्स तथा परमाधिकार बनाम सामान्य कानून। (गृह युद्ध)

संविधान प्रवर्तक—

लांग संसद की सरकार। लिट्स संसद। प्रोटैक्टोरेट। पुनःस्थापन। ग्लोरियस रिवौल्यूशन (बिल आफ एंड्यूस)।

ताज कार्यपालिका तथा संसद।

राजा तथा उसके मंत्री। ताज का प्रभावाधिकार। मन्त्रिमण्डल तथा संसद : 1936 का राजतन्त्रीय आपातकाल।

संसद का सुधार

सुधार अधिनियम तथा हाऊस आफ कामन्स। हाउस आफ़ कामन्स तथा हाउस आफ़ लार्ड्स। हाऊस आफ़ लार्ड्स का सुधार।

कामनवैल्थ (राष्ट्रमण्डल)

कामनवैल्थ का उद्गम तथा विकास। वैस्टमिंस्टर का परिनियम। कामनवैल्थ सहयोग का कार्यान्वयन। कामनवैल्थ में ताज की स्थिति।

9. (ङ) यूरोपीय इतिहास (1789 से 1878 तक)

यूरोप का औद्योगिक विकास। राष्ट्रीयता और प्रजातान्त्रिक व समाजवादी आन्दोलनों का विकास।

जर्मन साम्राज्य, तृतीय फ्रैंच गणतन्त्र, हाब्सबुर्ग राजतन्त्र, साम्राज्याधीन रूस।

श्रेणीबद्धकरण तथा सद्भावना की नीति

पूर्व सम्बन्धी (इस्टर्न) प्रश्न।

साम्राज्यवाद का उत्थान तथा समीप-पूर्व, मध्यपूर्व, अफ्रीका तथा सुदूर पूर्व में यूरोपीय साम्राज्यवाद हित।

प्रथम विश्व युद्ध का उद्गम तथा परिणाम

रूसी क्रान्ति तथा उसके परिणाम।

वर्सेलिज़ समझौता, लीग आफ़ नेशन्स :

विश्व निशस्त्रीकरण के प्रयत्न, सुरक्षा की खोज, फासिज्म और नाजिज्म का विकास तथा इनके अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव।

द्वितीय विश्वयुद्ध

करारोपण। (टैक्सेशन) का सिद्धान्त। करारोपण का भार। राजकीय करारोपण तथा व्यय के प्रभाव। घाटे की अर्थव्यवस्था तथा मुद्रा स्फीत। आर्थिक विकास के लिए योजना।

10. (क) उच्च अर्थशास्त्र

आर्थिक विश्लेषण के कृत्य।

मूल्य का सिद्धान्त। खपत और मांग का सिद्धान्त। उत्पादन का संगठन। एकाधिकार का सिद्धान्त। एकाधिकार का नियन्त्रण।

वितरण का सिद्धान्त। किराया। पूंजी का सिद्धान्त। धन तथा ब्याज का सिद्धान्त, बचत तथा विनियोजन। बैंकिंग तथा उधार सम्बन्धी नियम। मजदूरी तथा नियोजन सम्बंधी सिद्धान्त। सामूहिक सौदाबाजी तथा औद्योगिक शान्ति।

राष्ट्रीय आय। आर्थिक प्रगति तथा वितरणात्मक न्याय।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त। विदेशमुद्रा। अदायगियों का शेष।

व्यापारिक चक्र तथा उनका नियन्त्रण। सरकार का आर्थिक योग। आर्थिक कल्याण। लोक (हित के) साधन मूल्यांकन तथा नियमन।

10. (ख) उच्च भारतीय अर्थशास्त्र—

युद्धकालीन तथा युद्धोत्तर अवधि में आर्थिक विकस। प्राकृतिक साधन सामाजिक संस्थाएं। कृषि उत्पादन तथा वित्त। अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादन का मूल्य निर्धारण तथा वितरण। भूमि सुधार। किसी विकासमयी अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योगों का स्थान। आधुनिक संगठित उद्योग का विकास। लोक कम्पनियों का नियमन। औद्योगिक सम्बन्ध तथा श्रम (दल) की समस्याएं। समिश्रित अर्थ व्यवस्था। सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र तथा दक्षता। भारतीय पूंजी तथा प्रत्यय पद्धति। रिजर्व बैंक का योगदान। जनसंख्या, समस्याएं तथा जनसंख्या सम्बन्धी नीति। बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगारी। भारतीय राष्ट्रीय आय का निर्धारण। विदेशी व्यापार

का नियमन । अदायगियों का शेष । भारतीय करारोपण पद्धति । संघीय वित्त । आर्थिक विकास के लिये योजना । क्रमबद्ध योजनाओं का आकार तथा ढांचा । स्त्रोत तथा कार्यान्वयन की समस्याएं ।

11. (क) हाब्स से लेकर आज तक के राजनीतिक सिद्धान्त

ठेका (कान्ट्रैक्ट) तथा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त-हाब्स, लोक, रूस्सो । प्रभुता के मन्तव्य का विकास । इतिहासकार-वीको, मौन्टैस्क तथा बर्क । उपयोगितावादी । विकासवादी । आदर्शवादी-कान्ट, हेगल, ग्रीन, ब्राडले तथा बोसंक्वे । रूढ़ीवाद तथा उदारवाद । मार्क्सवाद तथा समाजवाद व साम्यवाद की धाराएं । बहुलवाद । फासिज्म । मनोविज्ञान का प्रभाव क्षेत्र । पूर्वी देशों में बीसवीं शताब्दी की विचारधाराएं ।

11. (ख) राजनीतिक संगठन तथा लोक प्रशासन–

राजनीतिक संस्थाएं । आधुनिक राष्ट्रों का विकास संसदीय तथा राष्ट्रपति सहित सरकारें । एक सत्ता तथा संघीय सरकारें । विधानांग कार्यपालिका तथा न्यायपालिका । प्रतिनिधित्व के प्रकार । साम्यवादी तथा एक सत्ताधारी सरकारें ।

लोक प्रशासन—आधुनिक सरकार में लोक प्रशासन । नीति-निर्धारण तथा उच्चतर नियन्त्रण-न्यायपालिका तथा कार्यपालिका । संगठन, प्रबंध, प्रकार तथा माध्यम । नियामक आयोग तथा लोक निगम । कर्मचारी वर्गप्रशासन-सिविलसेवा तथा इसकी समस्याएं । बजट तथा वित्तीय प्रशासन । प्रशासनिक अधिकार । न्यायालयों द्वारा नियन्त्रण । लोक सेवाएं तथा जनता ।

12. (क) उच्च अमूर्त विषय विज्ञान (शासनशास्त्र सहित)

उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे कान्ट से लेकर आज तक के प्रमुख दार्शनिकों (नामतः कान्ट, हेगल, ब्राडले, रायस, क्रोचे, मूर, रसल, जेम्स, शिल्लर, ड्यूई, बर्गसन, एलैक्साण्डर, ह्वाईटहैड, विटगनस्थाईन, अयर, हार्यडग्गर तथा मार्सेल ।

निम्नलिखित विषयों में से किसी पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं :

ज्ञान के स्त्रोत, तत्व, भिन्न-भिन्न रूप । उसकी सीमाएं, मापदण्ड तथा समाजविज्ञान ।

सत्य, मिथ्या, मूल

वास्तविकता के सिद्धांत । वास्तविकता । जीवन और श्री अस्तित्व । एकत्ववाद, द्वैतवाद, बहुलवाद प्रकृतिवाद, अनीश्वरवाद, ईश्वरवाद, मोक्षवाद और रहस्यवाद । हेगलोत्तर आदर्शवाद । नवीन यथार्थवाद । मौलिक अनुभूतिवाद । उपयोगितावाद ।

उपकरणवाद । मानववाद-प्रकृतिवादी और धार्मिक ।

तार्किक प्रत्यक्षवाद । अस्तित्ववाद-अनीश्वरवादी और ईश्वरवादी । आगमन की समस्याएं, प्राकृतिक नियम, सापेक्षवाद, ईश्वर और अनिश्चयवाद के सम्बन्ध में दर्शन के क्षेत्र में नवीन विचारधाराएं ।

12. (ख) उच्च मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सहित

मनोविज्ञान का क्षेत्र, विषय-वस्तु और पद्धतियां । कार्यकी (शरीर क्रिया विज्ञान), सामाजिक विज्ञानों और चिकित्सा शास्त्र (मेडिसिन) के साथ मनोविज्ञान का संबंध ।

आनुवंशिकता और पर्यवरण
व्यष्टि विकास ।
अभिप्रेरणा, भाव और संवेग ।
संवेदन, प्रत्यक्षज्ञान और अवलोकन, सीखना,
स्मृति, कल्पना और विचार
व्यक्तित्व सिद्धान्त ।
व्यष्टिगत अन्तर । बुद्धि और अन्य योग्यताओं का मापन ।
स्वभाव और व्यक्तित्व की परीक्षा ।
आधुनिक मनोविज्ञान के सम्प्रदाय ।
अन्तर्दर्शनवादी, व्यवहारवाद का प्रयोजनवादी
सम्प्रदाय, गेस्टाल्ट, मनोवैश्लैषिक और संबद्ध सम्प्रदाय ।

13. (क) भारत की संविधान विधि

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:—भारत के संविधान का विकास जिसमें 1861 के इंडियन काउंसिल ऐक्ट से 1950 तक के भारतीय संविधान में प्रतिनिधि तथा उत्तरदायी सरकार के विकास पर विशेष रूप से प्रश्न होंगे । सामान्य तत्व : कल्याणकारी राज्य का आदर्श, भारतीय संविधान का प्राक्कथन तथा राज्य की नीति के मार्ग दर्शन सिद्धांत, केन्द्रवर्ती तथा संघात्मक शासन पद्धतियों की मान्यताएं, मंत्रिमण्डलीय पद्धति, विधिनियम की यथावत पद्धति, न्यायिक पुनरेक्षण, संवैधानिक प्रथाएं, भारतीय संविधान के प्रमुख तत्वों का संयुक्तागल राज्य, संयुक्तराज्य अमरीका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया के संविधानों से तुलना । अधिकारों का विभाजन अधिकारों के पार्थक्य का सिद्धांत ।

विधानांग:–

विधायी अधिकार, विधानांग के विशेषाधिकार, विधायी अधिकारों का प्रत्यायोजन ।

13. (ख) विधिशास्त्र

विधिशास्त्र:—परिभाषा तथा क्षेत्र, विधिशास्त्र के विभिन्न मतवाद । विधिनियम, विधिनियम तथा आदर्श; विधि नियमों का विकास, प्राकृतिक नियम, राज्य के विधिनियम; विधिनियम की अनुलंघनीयता का सिद्धान्त; विधिनियम की सामाजिकतावादी सिद्धांत; विधिनियम के प्रकार; सिविल विधिनियम; दण्ड विधि-नियम; स्थायी तथा प्रक्रिया संबंधी विधिनियम व्यक्तिगत विधि-नियम तथा सामाजिक विधिनियम; अंतर्राष्ट्रीय विधिनियम; विधिनियम तथा न्याय; विधिनियम तथा समानता; विधिनियम के अनुसार न्याय; न्याय-प्रशासन प्रभुता के बारे में मान्यताएं तथा सिद्धांत ।

प्रथा, न्यायिक पूर्व निर्णय, विधान संहिताकरण विधि के तत्व—न्यायिक मान्यताओं का विश्लेषण तथा वर्गीकरण; व्यक्तित्व; अधिकार, कर्त्तव्य, स्वतन्त्रता; शक्ति, उन्मुक्ति; अयोग्यता; स्तर, कब्जा, स्वामित्व; पट्टा, न्यास, सुविधाधिकार, सुरक्षा, हानि, उत्तरदायित्व, दायित्व; अधिनियम, नीयत, उद्देश्य लापर्वाही; स्वत्व, चिरभोगाधिकार, उत्तराधिकार तथा वसीयतें । विधिनियम संबंधी मान्यताओं का विकास : संविदा का विकास, जिह्य, अपराध, सम्पत्ति तथा वसीयतें, न्यायिक विचारधारा में वर्तमान विचार-धारा ।

14. (क) अरबी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता (570 ई०–1650 ई०)

इस प्रश्नपत्र में उम्मीदवारों के भूगोल, इतिहास और सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्रम-विकास और प्रगति विषयक ज्ञान की जांच की जायेगी ।

(ख) फारसी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता (570 ई०–1650 ई०)

इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों के भूगोल, इतिहास और सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक क्रम-विकास और प्रगति विषयक ज्ञान की जांच की जायेगी ।

(ग) प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शन शास्त्र

2000 ई० प्र० से 1200 ई० तक भारतीय सभ्यता, दर्शन और विचारधारा का इतिहास ।

टिप्पण—इस प्रश्नपत्र में उम्मीदवारों के भूगोल, इतिहास और सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्रम-विकास और प्रगति विषयक ज्ञान की परीक्षा की जायेगी । ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिनमें पुरातत्व संबंधी खोजों की जानकारी अपेक्षित हो ।

15. **मानव विज्ञान—**

(क) **भौतिक मानव विज्ञान**—इसकी परिभाषा और क्षेत्र । भौतिक मानव-विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध । मानवजाति का क्रम विकास, वानरगणों में मानव का स्थान—उसका पैरेनिथैकस से लगाकर आस्ट्रा लाइथैकस तक प्रीहयूमैन तथा प्रोटोलूमैन जातियों से संबंध-पैलैआन्थ्रामिक मानव-पिथैसैन्थ्रोपस । सिनैन्थ्रोपस तथा नीऐंडर्थल । नीन्थ्रोपिक मानव—क्रोमैगनन, ग्रिमाल्डी तथा चान्सेलेड-होमोसेपिअन्स ।

मानव में जातिगत अन्तर तथा जातीय वर्गीकरण-शरीर रचना सम्बन्धी, रक्त वर्गीय तथा वानुवंशिक । जातियों के निर्माण में आनुवंशिकता तथा परिस्थितियों का प्रभाव । मानव की उत्पत्ति के सिद्धान्त—मैंडेलियन नियम जैसे कि वे मानव पर लागू होते हैं ।

मानव का शरीर विज्ञान—आहार-पोषण, अन्त; प्रजनन तथा वर्ण-संकरीकरण के प्रभाव पाषाण काल से सिंधुघाटी सभ्यता तथा मध्य और दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृतियों तक भारत में मानव के प्रसार का इतिहास । जातीय वर्ग और भारत में उनका वितरण ।

(ख) **सामाजिक (सांस्कृतिक) मानव-विज्ञान**—क्षेत्र तथा कार्य । समाज शास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान तथा पुरातत्वशास्त्र से संबंध । सांस्कृतिक मानव-विज्ञान के विभिन्न मत—विकासवादी, ऐतिहासिक, कार्यात्मक और सांस्कृतिक । मानव समाज का गठन तथा विकास ।

आर्थिक संगठन—प्रारंभिक शिकार तथा खाद्य-संग्रह की अवस्था, पशु-पालन, कृषि, परवर्ती कृषि, सघन कृषि, औजारों का प्रयोग ।

राजनीतिक संगठन—दल, जनजातियां, तथा दुहरा संगठन, जनजाति-परिषदें, मुखियों के कार्य ।

सामाजिक संगठन—विवाह तथा पारिवारिक रचना के प्रकार, मातृसत्ताक, पितृसत्ताक, बहुपत्नीत्व, बहुपतित्व, बर्हिजातीय विवाह तथा सगोत्रविवाह, स्त्रियों की स्थिति, दायित्व तथा तलाक ।

आद्य धर्म:—टोटमपाद, निषेध, गर्भाधान के अधिकार, नर-हत्या तथा नर-बलि ।

कला, संगीत, लोक नृत्य तथा खेलकूद । दलगत संबंध, विवाद निर्णय, न्याय तथा दण्ड-संबंधी मान्यताएं ।

बौद्धिक विकास का स्तर, विशेष रुचियां और योग्यताएं, आदि मानव के आचरण और प्रान्तपालों के केन्द्रीयतावाद की पृष्ठभूमि में भावात्मक आवश्यकताएं ।

व्यक्तित्व का निर्माण तथा व्यक्तित्व और आदिम समाज में उसके योगदान का विकास ।

आदिम जातियों का संस्कार तथा सम्पर्क का उन पर प्रभाव । बस्तियों का उजड़ना और उसके कारण । आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कुण्ठन । अमरीका, अफ्रीका तथा ओशियाना में आदिम जनजातियों का ह्रास । भारतीय जनजातियों में जनसंख्या का ह्रास तथा उसको रोकने के उपाय ।

(ग) **जातित्व के आधार पर भारतीय जनजातियों में से किसी एक का गहन अध्ययन**

1. भारत की उत्तर-पूर्वी सीमान्त वासी आदिम जन जातियां ।
2. नागापहाड़ियों—तैवान सांग क्षेत्र की जनजातियां ।
3. आसाम की स्वायतत्ता प्राप्त जनजातियां—खसिया, गारो मिकिर तथा लुशाई ।
4. छोटा नागपुर तथा मध्य भारत की आष्ट्रिक जन जातियां ।
5. दक्षिण भारत की, नीलगिरि पर्वत निवासी जनजातियों सहित, जनजातियां ।
6. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां ।

टिप्पणी—उम्मीदवारों को भाग (ग) तथा (क) अथवा (ख) में से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा ।

16. **समाज विज्ञान**

समाज विज्ञान का क्षेत्र । सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों के साथ उसका संबंध । पद्धतियां ।

समाज की उत्पत्ति, आदि जीवन, सामाजिक क्रम विकास की अवस्थाएं, सामाजिक दाय, इसके तंत्र । पर्यावरण के क्रम । व्यवहार के प्रकार ।

सामाजिक गठन, समूह, संस्थाएं, साहचर्य, परिवार, विवाह, हैसियत, वर्ग, समुदाय, यूथ और भीड़, व्यवसाय, सम्पत्ति, व्यक्तित्व, संस्कृति और सभ्यता, पुराण कथाएं और उपाख्यान, भाषा और बोली, मूल वंशों के संविदा और उनके प्रकार, राज्य, नैतिक आचार और उनका क्रम-विकास । स्वभाव रूढ़ियां, लोकाचार और लोक-रीतियां ।

सामाजिक परिवर्तन । प्राविधिक, आर्थिक, जनांकिकीय शक्तियां ।

मनोवैज्ञानिक कारक, अन्योन्यक्रिया, अनुकरण, विसरण, सांस्कृतिक कारक । विचारों का प्रभाव । नेतृत्व, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक वरण के नियम ।

सामाजिक प्रक्रम । प्रतियोगिता । विभेदीकरण, सामूहिकीकरण । विरोध के प्रकार । धन का विभाजन, सामाजिक परिस्थिति-विज्ञान ।

सामाजिक कुसमंजन, सामूहिक संस्कृति, नगर और गांव, अपराध, सामाजिक बुराइयां ।

सामाजिक नियंत्रण, अभिकरण । राज्य और विधि । कल्याणकारी राज्य । धर्म : कला । शिक्षा । लोकमत और प्रचार ।

सामाजिक आयोजन, इसके सिद्धांत, भारतीय परिस्थितियां, सामाजिक कार्य और कल्याण ।

सामाजिक सुरक्षा, प्रयोजन और प्रगति ।

सामाजिक विचार-धारा का इतिहास । भौतिकवादी और समाजशास्त्री सम्प्रदाय, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भारतीय योगदान ।

प्रारंभिक सामाजिक सांख्यिकी । सामाजिक सर्वेक्षणों की पद्धतियां ।

खण्ड (घ)

[परिशिष्ट 2 की धारा 1 की उप-धारा (ख) के अनुसार]

व्यक्तित्व परीक्षा—एक बोर्ड उम्मीदवार का इंटरव्यू लेगा । इस बोर्ड के सामने उम्मीदवार के कैरियर का वृत्त होगा । उससे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे । यह इंटरव्यू इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि जिस सेवा या सेवाओं के लिये उम्मीदवार ने आवेदन-पत्र दिया है, उसके/उनके लिये वह व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है । मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों का, अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है । इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण-शक्ति, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन करने की शक्ति, सन्तुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संघठन की योग्यता, बौद्धि और नैतिक ईमानदारी आदि की भी जांच की जाती है ।

2. इंटरव्यू में पूरी तरह से प्रति परीक्षा (Cross Examination) की प्रणाली नहीं अपनाई जाती । उसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का उद्घाटन करने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है ।

3. व्यक्तित्व परीक्षा उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं की जाती, क्योंकि इसकी जांच तो लिखित प्रश्न पत्रों में पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही समझ-बूझ के साथ रुचि न लें, परन्तु वे उन घटनाओं में भी, जो उनके चारों और अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही है, तथा आधुनिक विचारधाराओं में और उन नई खोजों में भी रुचि लें जो एक सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा उत्पन्न करती है ।

परिशिष्ट III

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है उनका संक्षिप्त ब्यौरा :—

सरकार ने निम्नलिखित ढंग से कार्यमुक्त आपात आयुक्त अधिकारियों तथा अल्पकालीन नियमित आयुक्त अधिकारियों की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली स्थाई रिक्तियां आरक्षित करने का का निश्चय किया है :—

सेवा	आरक्षित रिक्तियों का प्रतिशत
(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा . . .	20 प्रतिशत
(ii) भारतीय पुलिस सेवा . .	30 प्रतिशत
(iii) केन्द्रीय सेवा श्रेणी I (गैर तकनीकी) (रेलवे की सेवाएं भी सम्मिलित हैं)	25 प्रतिशत
(iv) केन्द्रीय सेवा श्रेणी II (गैर तकनीकी) (रेलवे की सेवाएं भी सम्मिलित हैं)	30 प्रतिशत

प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली जून को रक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय को यह सूचित करेगा कि पहली जनवरी से प्रारम्भ होने वाले आगामी वर्ष के 12 महीनों में कितने आपात आयुक्त तथा अल्पकालीन नियमित आयुक्त अधिकारी को कार्यमुक्त करने का कार्यक्रम है । यदि कार्यक्रम में आपात आयुक्त/अल्पकालीन नियमित आयुक्त अधिकारी को बताई गई अवधि के अंतर्गत वस्तुतः कार्य-मुक्त करना है तो गजट में यह सूचित किया जायगा कि संबंधित अवधि में ऊपर दिये गये प्रतिशत के हिसाब से भारतीय प्रशास-निक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I और श्रेणी II में रिक्तियां आरक्षित कर सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेंगी । सभी आरक्षित रिक्तियों पर इस संबंध में तैयार की गई विशेष चुनाव प्रक्रिया द्वारा भर्ती की जायेगी । सुयोग्य आपात आयुक्त अधिकारियों तथा अल्पकालीन नियमित आपात अधिकारियों के अभाव में आरक्षित रिक्तियों पर स्थाई तौर से अनारक्षित/रिक्तियों की तरह भर्ती कर ली जायेगी और उतनी ही संख्या में रिक्तियां अगले वर्ष के लिए आगे ले जाई जायेंगी, बशर्ते कि किसी खास वर्ष में आपात आयुक्त अधिकारियों/अल्प-कालीन नियमित आयुक्त अधिकारियों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या बढ़े नहीं :—

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा और केन्द्रीय सेवा श्रेणी I (गैर तकनीकी) की सीधी भर्ती से भरी जानेवाली स्थाई रिक्तियों की कुल संख्या का 45 प्रतिशत; और

(2) भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी II (गैर तकनीकी) में सीधी भर्ती से भरी जानेवाली स्थाई रिक्तियों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत ।

कोई भी रिक्ति चार वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं ले जाई जायेगी ।

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा—(क) नियुक्तियां परख पर की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है ।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी, ऊपर खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत, सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, से केन्द्रीय, सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं ।

(च) वेतन-मान :—

जूनियर —रु० 400–400–500–40–700–कु० रो०–30–1000 (19 वर्ष)

सीनियर

(i) समय-मान–रु० 900 (छठे या पहले) –50–1000–60–1600–50–1800 (25 वर्ष)

(ii) सलेक्शन ग्रेड –1800–100–2000 ।

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन रु० 2150/- से रु० 3000/- तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है ।

महंगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा ।

परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर समय में प्रारम्भ होगी और उन्हें परख पर बिताई गई अवधि को समय-मान में वेतन-वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी ।

(छ) **भविष्य निधि**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं ।

(ज) **छुट्टी**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं ।

(झ) **डाक्टरी परिचर्या**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा (डाक्टरी परिचर्या) नियमा-वली, 1954 के अन्तर्गत अनुमत्य डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है ।

(ञ) **सेवा निवृत्ति लाभ**—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-व-सेवा-निवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 द्वारा शासित होते हैं ।

2. भारतीय विदेश सेवा—(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । सफल उम्मीदवारों को भारत में लगभग 21 मास तक प्रशिक्षण लेना होगा । इसके बाद उन्हें तृतीय सचिव या उप कौंसुल बनाकर उन भारतीय मिशनों में भेज दिया जाएगा । जिनकी भाषाएं उनके

लिए अनिवार्य भाषाओं के रूप में नियत की गई हों। प्रशिक्षण की अवधि में परखार्धीन अधिकारियों को एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, इसके बाद ही वे सेवा में पक्के हो सकेंगे।

(ख) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परख-अवधि के समाप्त होने और निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परखाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का किया जाएगा। परन्तु यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या परख अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पद (substantive post) हो तो उस पर वापस भेज सकती है।

(ग) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उसे उस पर वापस भेज सकती है।

(घ) **वेतन-मान** —

जूनियर—रु० 400–400–500–40–700–कु० रो०–30–1000।

सीनियर—रु० 900 (छठे वर्ष या पहले)–50–1000–60–1600–50–1800।

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन रु० 1800/- से रु० 3500/- तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

(ङ) परख अवधि में परखाधीन अधिकारी को इस प्रकार वेतन मिलेगा :—

पहले वर्ष—रु० 400 प्रति मास।

दूसरे वर्ष—रु० 400 प्रति मास।

तीसरे वर्ष—रु० 500 प्रति मास।

नोट—1. परखाधीन अधिकारी को परख पर बिताई गई अवधि, समय-मान में वेतन वृद्धि, छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

नोट—2. परखाधीन अधिकारी को परख-अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब कि वह निर्धारित परीक्षाएं (यदि कोई हों) पास कर लेगा और सरकार को संतोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा। विभागीय परीक्षाएं पास करके अग्रिम वेतन-वृद्धियां भी अर्जित की जा सकती हैं।

(च) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(छ) विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को उनकी हैसियत (status) के अनुसार विदेश-भत्ते मिलेंगे जिससे कि वे नौकर-चाकरों और जीवन-निर्वाह के बढ़े हुए खर्च को पूरा कर सकें और आतिथ्य (इन्टरटैनमेन्ट) संबंधी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सकें। इसके अतिरिक्त, विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को निम्नलिखित रिआयतें भी मिलेंगी :—

(i) हैसियत के अनुसार मुफ्त सुसज्जित मकान।

(ii) सहायता प्राप्त डाक्टरी परिचर्या योजना (Assisted Medical Attendance Scheme) के अन्तर्गत डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं।

(iii) भारत आने के लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया, जो अधिक से अधिक दो बार और विशेष आपाती स्थितियों (emergencies) में ही दिया जाएगा, जैसे—भारत में स्थित किसी निकटतम संबंधी की मृत्यु या सख्त बीमारी अथवा पुत्री का विवाह।

(iv) भारत में पढ़ने वाले 8 से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार वापसी हवाई यात्रा का किराया, ताकि वे लम्बी छुट्टियों में माता-पिता से मिल सकें। परन्तु इस रियायत पर कुछ शर्तें लागू होंगी।

(v) 5 से 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर, शिक्षा-भत्ता।

(vi) विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाते समय और सेवा में पक्का होने पर सज्जा-भत्ता (Out fit allowance) अधिकारी के सेवा काल की विभिन्न अवस्थाओं में भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है। साधारण सज्जाभत्ते के अतिरिक्त, विशेष सज्जाभत्ता भी उन अधिकारियों को दिया जा सकता है जिन्हें असाधारण रूप से कठोर जलवायु वाले देशों में तैनात किया जाए।

(vii) विदेश में कम से कम दो वर्ष सेवा करने के बाद, अधिकारियों, उनके परिवारों और नौकरों के लिए, छुट्टी पर घर जाने का किराया।

(ज) समय-समय पर संशोधित पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 कुछ तरमीमों के साथ, इस सेवा के सदस्यों पर लागू होगी। विदेश में की गई सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को, भारतीय विदेश सेवा (PLCA) नियमावली, 1961 के अन्तर्गत अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक होंगी।

(झ) **भविष्य निधि**—भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 द्वारा शासित होते हैं।

(ञ) **सेवा-निवृत्ति लाभ**—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी उदारीकृत (Liberalised) पेंशन नियमावली, 1950 द्वारा शासित होते हैं।

(ट) भारत में रहते समय, अधिकारियों को वे ही रियायतें मिलेंगी जो उनके समकक्ष या समान हैसियत (Status) वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती हैं।

3. **भारतीय पुलिस सेवा** (क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख), (ग), (घ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड (ख) (ग) और (घ) में दिया गया है?

(ङ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में, किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(च) वेतनमान :—

जूनियर—रु० 400–400–500–450–30–600–35–670–कु० रु०–35–950

सीनियर—रु० 740 (छठे वर्ष या पहले) –40–1100–50/2–1250–50–1300.

सलेक्शन ग्रेड—रु० 1400

पुलिस उप महा निरीक्षक—रु० 1000–100–1800।

पुलिस कमिश्नर, कलकत्ता और बम्बई—रु० 1800–200–2000।

पुलिस महा निरीक्षक—रु० 2250।

निदेशक, खुफिया ब्यूरो—रु० 2750।

महंगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा।

(छ), (ज), (झ), (ञ) — जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड (छ), (ज), (झ) और (ञ) में दिया गया है।

4. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती हैं। परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पक्का कर दिया जाएगा। यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा के अधिकारी को दिल्ली-प्रशासन, हिमाचल प्रदेश या अण्डामान और निकोबार द्वीप समूह की सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी। उससे भारत सरकार के किसी पुलिस/खुफिया विभाग में भी सेवा ली जा सकती है।

(ङ) वेतन मान :—

ग्रेड I—(सलेक्शन ग्रेड)—रु० 900 नियत।

ग्रेड II—समय-मान—रु० 300-25-475-कु० रो०-25-650-कु० रो०-30-800।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति को नियुक्ति होने पर ग्रेड II के वेतन-मान में कम-से-कम वेतन मिलेगा।

इस सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति से नियुक्ति) विनियमावली, 1965 के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर मान के पदों पर पदोन्नति पाने के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारी उसी दर से महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन पाने के हकदार होंगे जो पंजाब सरकार के समकक्ष अधिकारियों को अनुमत्य होगी।

(छ) महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को, प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहन-सहन के बढ़े खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते दिए जाएंगे, यदि उन्हे ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा और उन स्थानों के लिए ये भत्ते अनुमत्य होंगे।

(ज) इस सेवा के अधिकारी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली, 1965 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे। जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप (Corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं।

5. केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड II (श्रेणी I)—

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा के पद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम-संगठनों (media organisation) में भारत भर में हैं। इन पदों के लिए पत्रकारिता और ऐसी ही अन्य व्यवसायिक योग्यता तथा किसी समाचार-पत्र या समाचार-ऐजेन्सी या प्रकाशन संस्था के कार्य का अनुभव होना जरूरी है। यह सेवा पहली मार्च, 1960 को बनाई गई थी।

(ख) इस सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :

ग्रेड	वेतन-मान
श्रेणी I	
स्लैक्शन ग्रेड	रु० 2250 (नियत)
सीनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान)	रु० 1800-100-2000
(जूनियर मान)	रु० 1600-100-1800
जूनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान)	रु० 1300-60-1600
(जूनियर मान)	रु० 1100-50-1400
ग्रेड I	रु० 700-40-1100-50/2-1250।
ग्रेड II	रु० 400-400-450-30-600-35-670-कु० रो०-35-950
श्रेणी II (राजपत्रित)	
ग्रेड III	रु० 350-25-500-30-590-कु० रो०-30-800।
श्रेणी II (राजपत्रित)	
ग्रेड IV	रु० 270-10-290-15-410-कु० रो०-15-485।

(ग) सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों में, नीचे बताई गई प्रतिशतता के अनुसार खाली जगहों में सीधी भर्ती की जाती है :—

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड	12 %
ग्रेड I	25%
ग्रेड II	50%
ग्रेड III	100%

उपर्युक्त ग्रेडों का बाकी खाली जगहें और सलैक्शन ग्रेड, सीनियर प्रशासनिक ग्रेड, जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (सीनियर मान) और ग्रेड III की खाली जगहें भी, ठीक निचले ग्रेडों के ड्यटी पदों (duty posts) पर काम करने वाले अधिकारियों में से चुने गए व्यक्तियों की पदोन्नति करके भरी जाएंगी।

(घ) (i) ग्रेड II में सीधे भर्ती होने वाले अधिकारी दो वर्ष तक परख पर रखे जाएंगे। परख अवधि में उन्हें इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मास कम्यनीकेशन, किसी समाचार पत्र या समाचार एजेंन्सी, सूचना प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी में प्रशिक्षण दिया जायगा। प्रशिक्षण की पूरी अवधि 15 महीने होगी। प्रशिक्षण के स्वरूप और अवधि में सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। प्रशिक्षण की अवधि में, उन्हें राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी में "पाठ्य क्रमान्त परीक्षा" तथा एक विभागीय परीक्षा पास करनी होगी जिसमें भाषा की परीक्षा भी शामिल होगी। यदि कोई उम्मीदवार अपने प्रशिक्षण की अवधि में विभागीय परीक्षा पास न कर सका तो उसे सेवा-

मुक्त किया जा सकता है या यदि वह किसी मूल पद पर गहन (Lien) रखता हो तो उसे उस पद पर वापस भेजा जा सकता है ।

(ii) परख अवधि की समाप्ति पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध हों तो सरकार सीधे भर्ती होने वाले अधिकारियों को, वर्तमान नियमों के अनुसार, उनकी नियुक्ति में पक्का कर सकती है । यदि परखाधीन अधिकारी का कार्य और आचरण संतोषजनक न रही तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या परख की अवधि उतने समय के लिए बढ़ायी जा सकती है जितना कि सरकार ठीक समझे । यदि उसका कार्य और आचरण से उसके कार्य कुशल होने की संभावना न हो तो उसे तत्काल सेवा मुक्त किया जा सकता है ।

(iii) परखाधीन अधिकारियों की सेवा, ग्रेड II के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी । यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी, मसूरी की पाठ्य क्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो एक साल के लिए उसकी वेतन वृद्धि की तारीख स्थगित कर दी जायगी अथवा विभागीय नियमों के अनुसार उसकी दूसरी वेतन वृद्धि जब पड़ने वाली हो और इन दोनों में से जो पहले पड़े तब तक वेतन वृद्धि स्थगित रहेगी ।

(छ) सरकार इस सेवा के किसी भी सदस्य को किसी विशिष्ट अवधि तक, संघ राज्य क्षेत्र के प्रचार संगठन में किसी पद पर रख सकती है ।

(च) सरकार, किसी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत किसी भी संगठन में किसी क्षेत्रीय पद पर रख सकती है ।

(छ) जहां तक छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जाएगा ।

6. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा ।

7. भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सेवा

8. भारतीय रक्षा लेखा सेवा

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है यदि परखाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके, अपने आपको पक्का किए जाने confirmation के योग्य सिद्ध न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी ।

(ख) यदि, यथा-स्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावनी न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, यथास्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है सकता है या यदि यथास्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती/सकता है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती/सकता है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(घ) लेखा परीक्षा के लेखा सेवा से अलग किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते हैं और कोई उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना जाय इस परिवर्तन से होने वाले परिणाम के आधार पर कोई दावा नहीं करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय और राज्य सरकार और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत अलग किये गए लेखा कार्यालयों के संवर्ग में अन्तिम रूप से रहना पड़ेगा ।

(ङ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (फील्ड सर्विस) पर भारत में या भारत से बाहर भी भेजा जा सकता है ।

(च) वेतन-मान—

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा—

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा का समय-मान—रु० 400–400–450–30–510–कु० रो०–700–40–1100–50–2–1250 ।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1300–60–1600 ।

महालेखापाल—रु० 1800–100–2000–125–2250 ।

नोट—1. परखाधीन अधिकारियों की सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारंभ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जायगी ।

नोट—2. परखाधीन अधिकारियों को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वे समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे ।

नोट—3. परखाधीन अधिकारियों की सेवा, ग्रेड II के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी । यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी रु० 450 तक ले जाने वाली वेतन वृद्धि एक साल के लिए उसकी वेतन वृद्धि की तारीख स्थगित कर दी जायगी अथवा विभागीय नियमों के अनुसार उसकी दूसरी वेतन-वृद्धि जब पड़नेवाली हो और इन दोनों में से जो पहले पड़े तब तक वेतन वृद्धि स्थगित रहेगी ।

भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क सेवा

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधीक्षक, श्रेणी I उत्पाद शुल्क सहायक समाहर्ता, सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता	रु० 400–400–450–30–510–कु० रो०–700–40–1100–50/2–2150
सीमाशुल्क उपसमाहर्ता उत्पाद शुल्क उपसमाहर्ता सहायक निदेशक उपनिदेशक अपील के अपर समाहर्ता	रु० 1100–50–1300–60–1600 ।
सीमाशुल्क समाहर्ता उत्पाद शुल्क समाहर्ता	रु० 1800–100–2000–125–2250 ।

नोट 1—भारतीय सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क सेवा के श्रेणी परखाधीन अधिकारी रु० 400–400–450–30–510–कु० रो०–700–40–1100–50/2–1250 के वेतन मान में वेतन प्राप्त करेंगे । परखाधीन अवधि में उन्हें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग/सीमाशुल्क विभाग/स्वापक विभाग में विभागीय प्रशिक्षण

तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी में आधारात्मक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के बाद पाठ्यक्रमान्त परीक्षा उन्हें पास करनी होगी। उन्हें विभागीय परीक्षा के खण्ड I और खण्ड II भी पास करने होंगे। पाठ्यक्रमान्त परीक्षा और विभागीय परीक्षा खण्ड I पास कर लेने पर उनका वेतन बढ़ाकर रु० 450 कर दिया जायगा। विभागीय परीक्षा का खण्ड II पास कर लेने के बाद उनका वेतन रु० 480 के स्तर पर निश्चित कर दिया जायगा। रु० 480 के ऊपर वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि उन्होंने 4 वर्ष की सेवा पूरी न कर ली हो या ऐसी शर्तों के अधीन होगी जो कि आवश्यक समझी जाय।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा नहीं पास करता तो उसकी पहली वेतन वृद्धि जिस तारीख को उसे वेतन वृद्धि मिलने वाली थी उसके बाद तक स्थगित कर दी जायगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत जब भी उसे दूसरी वेतन वृद्धि मिलने वाली हो और इन दोनों में जो भी अवधि पहले पड़ेगी तब तक स्थगित रहेगी।

नोट—2. परखाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सेवा के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, और वे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा :

समय मान:—

रु० 400–400–450–480–कु० रो०—700–40–1100–1100–1150–1150–1200–1200–1250।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—

रु० 1300–60–1600।

रु० 1600–100–1800 (सलेक्शन ग्रेड)

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—

रु० 1800–100–2000–125–2250।

रक्षा लेखा महानियंत्रक—रु० 2750 (नियत)

नोट—1. परखाधीन अधिकारियों की सेवा, समयमान में कम से कम वेतन से प्रारंभ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी।

नोट—2. परखाधीन अधिकारियों को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि वे समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेंगे; इसके अलावा यदि कोई भी अधिकारी जो राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा नहीं पास करता उसकी पहली वेतन वृद्धि जो उसे विभागीय परीक्षा का खण्ड I पास कर लेने पर प्राप्त होता उसकी तिथि एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायगी अथवा खण्ड II पास कर लेने के बाद जो उसे दूसरी वेतन वृद्धि मिलती और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

9. **भारतीय आयकर सेवा, श्रेणी-I**(क) नियुक्ति परख पर की जायगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परखाधीन अधिकारी, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको पक्का किए जाने (confirmation) के योग्य सिद्ध न कर सके। यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार, अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है; परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) वेतनमान:—

आय-कर अधिकारी, श्रेणी-I

रु० 400–400–450–30–510–कु० रो०–700–40–1100–50/2–1250।

आयकर सहायक आयुक्त—रु० 1100–50–1300–60–1600।

आयकर आयुक्त—रु०–1800–100–2000–125–2250

परखाधीन अवधि में अधिकारी को राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी मसूरी तथा आयकर प्रशिक्षण कालेज नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। इसके अतिरिक्त परखाधीन अवधि में विभागीय परीक्षा खण्ड I और खण्ड II भी पास करने होंगे। पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर 450 रु० कर दिया जायगा। विभागीय परीक्षा खण्ड II पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर रु० 480 कर दिया जायेगा। रु० 480 के स्तर के ऊपर वेतन तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 4 वर्ष पूरी न हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो आवश्यक समझा जाय।

यदि वह एकादमी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो एक वर्ष के लिए उसकी वेतन वृद्धि स्थगित कर दी जायगी अथवा उस तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन वृद्धि मिलने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट—1. परखाधीन अधिकारी को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेगा।

नोट—2. परखाधीन अधिकारियों को भलीभांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आय-कर सेवा श्रेणी-I के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे उस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे।

10. **भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी सेवा, श्रेणी I (गैर तकनीकी संवर्ग)**

नियुक्तियां सहायक प्रबंधक (गैर-तकनीकी) के पदों पर की जाएंगी। उम्मीदवार दो वर्ष तक परख पर रहेगा। इस अवधि में उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय तथा भाषा की परीक्षाएं पास करनी होंगी।

परख की अवधि समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

चुने हुए उम्मीदवारों को, अपनी नियुक्ति के समय, इस आशय का एक बांड भरना होगा कि वह अपनी परख-अवधि को सफलता-पूर्वक समाप्त करने के बाद, कम से कम तीन वर्ष तक भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी सेवा में कार्य करता रहेगा ।

सहायक प्रबंधक, जिनका पुनरीक्षित वेतनमान रु० 400—400—450—30—600—35—670— कु० रो०—35—950, गुणों (Merits) के आधार पर, भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी सेवा के ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकते हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

	वेतन-मान
1. उप-प्रबंधक (गैर-तकनीकी) उप-सहायक महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरी ।	रु० 700—40—1100—50/2—1250 ।
2. प्रबन्धक (गैर-तकनीकी) सीनियर उप-सहायक महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरी ।	रु० 1100—50—1400
3. सहायक महानिदेशक आर्डनेन्स फैक्टरी (ग्रेड 2)	रु० 1300—60—1600
4. सहायक महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरी (ग्रेड I) ।	रु० 1600—100—1800
5. उप-महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरी ।	रु० 1800—100—2000

विभिन्न शाखाओं तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी के आधारात्मक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा । मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी । विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी उन्हें पास करनी होंगी । पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास कर लेने पर उनका वेतन बढ़ाकर रु० 450 कर दिया जायेगा । दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर लेने और स्थायी किए जाने के बाद उनका वेतन 480 रु० के स्तर पर निश्चित कर दिया जायेगा । समय मान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इसके बाद उनका निश्चित होता रहेगा ।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी, की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी ।

11. भारतीय डाक सेवा (श्रेणी I)

(क) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा जिसकी अवधि, आमतौर पर, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस अवधि में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) वेतन मान :—

समय-मान रु० 400—400—450—30—510 कु० रो० 700—40—1100—50/2—1250 (प्रशिक्षणाधीन अधिकारी इस समय-मान में वेतन लेंगे) ।

डाक सेवा निदेशक: रु० 1300—60—1600 ।

महा पोस्टमास्टर : रु० 1800—100—2000 ।

सदस्य, डाक-तार बोर्ड : रु० 2250 ।

(च) भारतीय डाक सेवा श्रेणी I के परखाधीन अधिकारी रु० 400—400—450—30—480—510—कु० रो०—700—40—1100—50/2—1250 के निश्चित मान में अपना वेतन प्राप्त करेंगे । परखाधीन अवधि में उन्हें विभाग की विभिन्न शाखाओं तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी के आधारात्मक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा । मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी । विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी उन्हें पास करना होंगी ।

पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास कर लेने पर उनका वेतन बढ़ाकर रु० 450 कर दिया जायेगा । दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर लेने और स्थायी किए जाने के बाद उनका वेतन 480 रु० के स्तर पर निश्चित कर दिया जायगा । समयमान के अंतर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इसके बाद उनका वेतन निश्चित होता रहेगा ।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायगी अथवा विभागीय नियमों के अंतर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी ।

(छ) परखाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ लेना चाहिये कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा श्रेणी I, के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे ।

12. भारतीय रेलवे लेखा सेवा—

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी । इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी । परख-अवधि बढ़ाई जा सकेगी, यदि परखाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको पक्का करने के योग्य सिद्ध नहीं कर देगा ।

सरकार ऐसे परखाधीन अधिकारी की नियुक्ति खत्म कर सकती है जो अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर सभी विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेता ।

(ख) भारतीय रेलवे लेखा सेवा के परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ोदा में प्रशिक्षण लेना होगा और कालेज प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित

परीक्षा पास करनी होगी । इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जब कि अपवादिक परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती हो। हालांकि, दो वर्ष का प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उन्हें किसी कार्यकारी पद (Working Post) पर लगाया जा सकता है परन्तु उन्हें तब तक पक्का नहीं किया जाता जब तक कि वे रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा, की परीक्षा और ऊंची तथा नीची विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेते ।

(ग) परखाधीन अधिकारियों को देवनागरी लिपि में हिन्दी की अनुमोदित स्तर की एक परीक्षा पहले ही या परख-अवधि में पास कर लेनी चाहिये । यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली, द्वारा संचालित 'प्रवीण' हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो। किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उस का वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता । ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती ।

(घ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारी (परखाधीन) भी (क) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और (ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान रहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे ।

(ङ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए अधिकारी भारतीय रेलवे अधिकारियों पर उस समय लागू होने वाले छुट्टी के नियमों के अनुसार छुट्टी पाने के पात्र होंगे ।

परन्तु, वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते है । उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि सरकार ऐसा निर्णय करेगी ।

(च) यदि किसी ऐसे कारण से जो कि उसके वश के बाहर न हो, भारतीय रेलवे लेखा सेवा का कोई परखाधीन अधिकारी परख या प्रशिक्षण में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी ।

(छ) यदि सरकार की राय में, किसी परख धीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ज) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(झ) वेतन मान :—

(क) जूनियर रु० 400–400–450–30–600–35–670–कु० रो०—35–950 (प्राधिकृत मान)
सीनियर रु० 700 [छटे वर्ष या पहले–40–1100–50/2–1250 (प्राधिकृत मान)]
जूनियर प्रशासनिक मान रु० 1300–60–1600 (प्राधिकृत मान) ।
सीनियर प्रशासनिक मान रु० 1800–100–2000–125–2250 (प्राधिकृत मान) ।

(ख) नियुक्ति होने पर, परखाधीन अधिकारी को एक करार करना होगा जिसके द्वारा वह अपने आप को और एक जमानतदार को, संयुक्तरूप से और पृथक रूप से, इस बात के लिए आबद्ध करेगा कि यदि वह केन्द्रीय सरकार के लिए संतोषप्रद रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त नहीं कर सका तो परखाधीन अधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति के परिणाम स्वरूप उसे जो रकमें दी गई होंगी उन्हें वह वापस कर देगा ।

(ग) यदि परखाधीन अधिकारी अपनी दो वर्ष की परख-अवधि में, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से रु० 450 तक की उसकी वेतनवृद्धि रोक दी जाएगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी । जब वह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का कर दिया जाएगा तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था (Stage) पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा । ऐसे मामलों में, भावी वेतन वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

परख-अवधि में परखाधीन अधिकारी ज्योंही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्योंही उसको रु० 400–950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से 480 की अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी । अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए, अधिकारी का वेतन, वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार विनियमित कर दिया जाएगा ।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी ।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम से कम वेतन से प्रारंभ होगी और वेतनवृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्य-ग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी । परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी और उसके बाद ही उनका वेतन समय-मान में रु० 400 प्रतिमास से रु० 450 प्रतिमास किया जा सकेगा ।

नोट 2—जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में होंगे, परखाधीन अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर, उनका वेतन समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और विनियमों के अनुसार नियत किया जाएगा ।

13. सैनिक भूमि और छावनी सेवा (श्रेणी I और श्रेणी II)

(क) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परख पर रखा जाएगा जिसकी अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस अवधि में उसे छावनी और भूमि प्रशासन में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा जिस की अवधि छ. महीने से कम नहीं होगा ।

(ख) परख-अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ग) (i) यदि सरकार की राय में परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है, परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने से पहले, उसे सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जाएगा।

(ii) यदि परख अवधि की समाप्ति पर, अधिकारी ने ऊपर उप-पैरा (ख) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की हो तो सरकार अपने निर्णय से या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, उसकी परख-अवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो वह जितना उचित समझे, परख-अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है।

(iii) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोष-जनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है। परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने से पहले, अधिकारी को सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जाएगा।

(घ) यदि ऊपर उप-पैरा (ग) के अन्तर्गत, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो निर्धारित परख-अवधि के बाद की अवधि में अधिकारी की नियुक्ति मास-प्रतिमास मानी जाएगी और दोनों में से किसी भी ओर से एक कलेंडर मास का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी, परन्तु अधिकारी पक्का करने का दावा नहीं कर सकेगा।

(ङ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परख-अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि, देय हो जाने पर भी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह विभागीय परीक्षा पास न कर लेगा। जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली होगी, वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी।

(च) यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

(छ) वेतन-मान इस प्रकार है :—

प्रशासनिक पद

(i) निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां। रु० 1800–100–2000।

(ii) संयुक्त निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां। रु० 1600–100–1800।

(iii) उपनिदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां। रु० 1300–60–1600।

(iv) सहायक निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां। रु० 1100–50–1400।

श्रेणी–I

(v) उप-सहायक निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां, सैनिक संपदा अधिकारी और कार्यपालक अधिकारी — रु० 400–400–450–30–510–कु० रो० –700–40–1100–50/2–1250।

श्रेणी-II

(vi) कार्यपालक अधिकारी — रु० 350–25–500–30–590–कु० रो०– 30–800–कु० रो० –830–35–900

(vii) सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी — रु० 350–25–500–30–590–कु० रो०–30–800–कु० रो०–830–36–900

(ज) (i) श्रेणी I के अधिकारियों को, सामान्यतया, उप-सहायक निदेशक, सैनिक संपदा अधिकारी, और श्रेणी I और श्रेणी II की उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारी के पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिन पर छावनी अधिनियम 1924 की धारा–13 की उपधारा—(4) के खण्ड (ङ) का उप-खण्ड (i) लागू होता है।

(ii) श्रेणी II के कार्यपालक अधिकारियों को सामान्यतया उन छावनियों में नियुक्त किया जाएगा जो ऊपर (i) में उल्लिखित नहीं हैं।

(झ) (i) सभी पदोन्नतियां, इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार, सरकार द्वारा चुनकर (by selection) की जाएंगी [वरीयता (सीनियरिटी) पर तभी विचार किया जाएगा जबकि दो या अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणों की दृष्टि से बराबर होंगे]। श्रेणी II से श्रेणी I में पदोन्नति होने पर, वेतन, मूल नियमावली (Fundamental Rules) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(ii) साधारणतया, किसी भी अधिकारी को श्रेणी I में तब तक पदोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक कि श्रेणी II में उसकी तीन वर्ष की सेवा पूरी न हो गई हो।

(ञ) समय-समय पर संशोधित, पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 लागू होगी।

(ट) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार से पहले मंजूरी लिए बिना, कोई भी ऐसा काम अपने जिमे नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से संबंधित न हो।

(ठ) सैनिक भूमि और छावनी सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (Field Service) पर भी भारत के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है।

14. भारतीय रेलवे की उच्च राजस्व स्थापना के परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग

(क) नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को परिवहन (यातायात) और वाणिज्य-विभागों में परखाधीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उनकी परख-अवधि तीन वर्ष की होगी। इस अवधि में, उन्हें पैरा (ढ) में उल्लिखित प्रशिक्षण लेना होगा और कम-से-कम एक वर्ष तक किसी कार्यकारी पद पर काम करना होगा। यदि किसी मामले में, संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण, प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाएगी तो उसके अनुसार, परख की कुल अवधि भी बढ़ जाएगी।

(ख) यदि किसी ऐसे कारण से, जो कि उसके वश के बाहर न हो, परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग का परखाधीन अधिकारी, परख या प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख-अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी।

(ग) इस सेवा में नियुक्तियां परख पर की जाएंगी जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी। इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। परखाधीन अधिकारियों को पहले दो वर्ष तक व्यवहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। जो अधिकारी इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक समाप्त कर लेंगे और अन्यथा भी उपयुक्त समझे जाएंगे, उन्हें कार्यकारी पद का कार्यभार सौंप दिया जाएगा, यदि उन्होंने निर्धारित विभागीय और अन्य परीक्षाएं पास कर ली हों। ध्यान रहे कि ये परीक्षाएं नियमतः प्रथम प्रयास में ही पास कर ली जाएं क्योंकि विशेष (एकसेप्शनल) परिस्थितियों को छोड़, बाकी किसी भी हालत में, दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। किसी परीक्षा में असफल होने के परिणाम स्वरूप, परखाधीन अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है और उसकी

वेतनवृद्धि तो हर हालत में रुक ही जाएगी। किसी कार्यकारी पद पर एक वर्ष तक कार्य करने के बाद, परखाधीन अधिकारियों को एक अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। यह परीक्षा व्यवहारिक और सैद्धान्तिक दोनों प्रकार की होगी। जब पराखाधीन अधिकारी सब तरह से नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझ लिए जाएंगे तो उन्हें पक्का कर दिया जाएगा। जिन मामलों में किसी कारण से परख-अवधि बढ़ाई गई हो, उनमें विभागीय परीक्षाएं पास करने और पक्का होने पर, समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, पहली और बाद की वेतनवृद्धियां ली जा सकेंगी।

(घ) नियुक्ति होने पर, परखाधीन अधिकारी को एक करार करना होगा जिसके द्वारा वह अपने आपको एक और एक जमानतदार को, संयुक्त रूप से और पृथक रूप से, इस बात के लिए आबद्ध करेगा कि यदि वह केन्द्रीय सरकार के लिए संतोषप्रद रूप से अपनी परख अवधि समाप्त नहीं कर सका तो परखाधीन अधिकारी के रूप में उसको नियुक्ति के परिणाम स्वरूप उसे जो रकमें दी गई होंगी, उन्हें वापस कर देगा।

(ङ) परखाधीन अधिकारियों को, देवनागरी लिपि में अनुमोदित स्तर की हिंदी की एक परीक्षा पहले ही या परख-अवधि में पास कर लेनी चाहिए। यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली, द्वारा संचालित "प्रवीण" हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो।

किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता। ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती।

(च) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे की उच्च राजस्व स्थापना के परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग के अधिकारी (परखाधीन) भी—

(क) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और

(ख) समय-समय पर संशोधित, राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदानरहित) के नियमों के अंतर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(छ) कार्यग्रहण की तारीख से ही वेतन प्रारंभ होगा। वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से भी सेवा उसी तारीख से गिनी जाएगी।

(ज) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए अधिकारी, भारतीय रेलवे अधिकारियों पर उस समय लागू होने वाले छुट्टी के नियमों के अनुसार, छुट्टी पाने के पात्र होंगे।

वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि सरकार ऐसा निश्चय करेगी।

(झ) अधिकारियों को, आमतौर पर, उनकी सेवा की अवधि भर उसी रेलवे में रखा जाएगा जिसमें वे सर्वप्रथम नियुक्त कर दिए जाएंगे और किसी अन्य रेलवे में स्थानान्तरित होने के लिए साधिकार दावा नहीं कर सकेंगे। परन्तु भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह उन अधिकारियों को, सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना (Project) या रेलवे में स्थानांतरित कर सके।

(ञ) नियुक्त किये गये अधिकारियों की आपेक्षिक वरीयता (रिलेटिव सीनियारिटी) आमतौर पर, उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त हुए योग्यता क्रम (Order of merit) के अनुसार निश्चित की जाएगी। यदि प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा न करने के कारण, किसी अधिकारी की प्रशिक्षण अवधि और उसके परिणामस्वरूप परख अवधि बढ़ानी पड़े तो इससे उसकी वरीयता (सीनियरिटी) भी घट सकेगी। वैसे भारत सरकार को व्यक्तिगत मामलों में अपने निर्णय के अनुसार वरीयता निश्चित करने का अधिकार है। उसको यह भी अधिकार है कि वह प्रतियोगिता परीक्षा से अन्यथा नियुक्त अधिकारियों को, अपने निर्णय के अनुसार वरीयता सूची में कोई भी स्थान दे सकती है।

(ट) वेतन मान—

जूनियर :—रु० 400—400—450—30—600—35—670 रु० रो०—35—950 (प्राधिकृत मान)।

सीनियर :—रु० 700 (छठे वर्ष या पहले)—40—1100—50/2—1250 (प्राधिकृत मान)।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड :—रु० 1300—60—1600 (प्राधिकृत मान)

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड :—रु० 1800—100—2000—125—2250 (प्राधिकृत मान)।

नोट 1 :—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी। परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी और उसके बाद ही उनका वेतन समय-मान में रु० 400 प्रतिमास से रु० 450 प्रति मास किया जा सकेगा।

यदि परखाधीन अधिकारी अपनी परख और प्रशिक्षण की अवधि के पहले दो वर्षों में, विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से 450 तक की उस की वेतन-वृद्धि रोक दी जाएगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी। जब यह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का हो जाएगा तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में, भावी वेतन-वृद्धियों की तारीख पर कोई, प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परख अवधि में, परखाधीन अधिकारी ज्यों ही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्यों ही उस को रु० 400 से 950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से रु० 480 की अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी। अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए, अधिकारी को वेतन, वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार, विनियमित कर दिया जाएगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अंतर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 2 :—जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में होंगे, परखाधीन अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर, उनका वेतन समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और विनियमों के अनुसार नियत किया जाएगा।

(ठ) वेतन-वृद्धियां केवल अनुमोदित सेवा के लिये ही और विभाग के नियमों के अनुसार ही दी जायेंगी।

(ड) प्रशासनिक ग्रेडों में पदोन्नति, स्वीकृति स्थापना (Establishment) में खाली जगहें होने पर ही की जायेंगी और पूर्णरूप से चुनाव (selection) के आधार पर ही की जायेंगी। एकमात्र वरायता के आधार पर ही ऐसा पदोन्नति के लिये दावा नहीं किया जा सकता।

(ढ) परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग के परखाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम।

नोट 1—जिन उम्मीदवारों ने भारत में या और कहीं प्रशिक्षण या अनुभव पहले कभी प्राप्त कर रखा हो, उनके मामले में भारत सरकार को अपने निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण-अवधि घटाने का अधिकार है।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कॉलिज, बड़ौदा में दो दौर में प्रशिक्षण लेना होगा। इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जब कि आपवादिक परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य अभिलेख ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती है। परीक्षा में असफल होने पर परखाधीन अधिकारियों की सेवा समाप्त की जा सकेगी, उनके प्रशिक्षण और परख की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ा दी जायेगी और उन्हें किसी भी हालत में तब तक पक्का नहीं किया जायेगा जब तक कि वे परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे।

नोट 3—नीचे जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है वह मुख्य रूप से मार्ग-दर्शन के प्रयोजन से बनाया गया है। इस में महा-प्रबंधकों द्वारा अपने निर्णय के अनुसार स्थिति-विशेष को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किये जा सकते हैं, परन्तु, सामान्यतया प्रशिक्षण की कुल अवधि घटाई नहीं जानी चाहिए।

(1) पाठ्यक्रम की अवधि—दो वर्ष।

विषय	अवधि
	मास
1. राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी	4
2. एरिया स्कूल, गार्ड की ड्यूटी सीखने के लिये	1
3. गार्ड का काम	3½
4. बड़ौदा स्टाफ कालेज में प्रशिक्षण का पहला दौर	3
5. टिकट घर, पार्सल कार्यालय, माल-गोदाम और यानान्तरण शैड	1
6. यातायात लेखा कार्य, जिसमें दौराकार लेखानिरीक्षक के साथ काम करना और स्टेशन पर खुद संतुलन-पत्र बनाना भी शामिल है	1½
7. एरिया स्कूल में, सहायक स्टेशन मास्टर की योग्यता प्राप्त करने के लिये	1
8. यार्डमास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन और गाड़ी परीक्षक का काम	3
9. सहायक लोको फोरमैन का काम	½
10. सहायक नियंत्रक का काम	2
11. बड़ौदा स्टाफ कालेज में प्रशिक्षण (दूसरा दौर)	1½
12. (क) डिस्ट्रिक्ट या डिविजन कार्यालय में प्रशिक्षण	1
(ख) सहायक बिजली नियंत्रक का प्रशिक्षण	1½
13. मुख्यालय (परिचालन कार्यालय) में प्रशिक्षण	1½
14. मुख्यालय (वाणिज्य कार्यालय) में प्रशिक्षण	1½
	23½
विभिन्न प्रशिक्षण कार्यों को करने के लिये की जाने वाली यात्रा के लिये और अपरिहार्य छुट्टियों के लिये नियत की गई अवधि	½
कुल	24 मास

(2) यदि परखाधीन अधिकारी अपने दो वर्ष के प्रशिक्षण के अन्त में परीक्षा पास कर लेगा तो उसे अगले एक वर्ष के लिये किसी कार्यकारी पद का भार परख पर सौंप दिया जायेगा। परीक्षा, आवश्यकता अनुसार, पाठ्यक्रम पूरा होने पर तथा प्रशिक्षण-अवधि में निश्चित समय पर ली जायेगी।

नोट—किसी परखाधीन अधिकारी को, स्वतंत्र रूप से, गार्ड, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन, सहायक लोकोमोटिव फोरमैन या सहायक नियंत्रक का काम सौंपने से पहले यह आवश्यक है कि प्रशासन के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक पद के कार्य के संबंध में उसकी परीक्षा ली जाए और योग्य घोषित किया जाये।

15. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी II

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

ग्रेड	वेतनमान
सलैक्शन ग्रेड उप-सचिव या समकक्ष	रु० 1100-50-1300-60-1600-100-1800।
ग्रेड I अवर सचिव	रु० 900-50-1200।
अनुभाग अधिकारी ग्रेड	रु० 350-25-500-30-590-कु० रो०-30-800- कु० रो०-30-830-35-900।
सहायक ग्रेड	रु० 210-10-270-15-300-कु० रो०-15-450-कु० रो०-20-530।

सलैक्शन ग्रेड और ग्रेड का नियंत्रण अखिल-सचिवालय आधार पर गृह मंत्रालय करता है और अनुभाग अधिकारी/सहायक ग्रेड, मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं।

केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की जाती है।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा। इस परख-अवधि में उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतया, "अनुभागों" का अध्यक्ष बनाया जायेगा और ग्रेड I के अधिकारियों को, सामान्यतया, शाखाओं का कार्यभार सौंपा जायेगा, जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड I में पदोन्नति पा सकेंगे।

(छ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I के अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय में सलेक्शन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे।

(ज) जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, वे अन्य श्रेणी I और II के अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे।

16. सीमाशुल्क मूल्य-निरूपक सेवा, श्रेणी II

(क) निर्धारित वेतन मान रु० 350-25-500-30-590-कु० रो०-30-800-कु० रो०-830-35-900 है । इस सेवा में सीधे भर्ती किये जाने वाले अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा। इस परख-अवधि में उन्हें केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। प्रशिक्षण की अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकने पर या परीक्षा पास न कर सकने पर, परखाधीन अधिकारियों को सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा।

(ख) परख-अवधि के समाप्त होने पर और विभागीय-परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने पर, अधिकारी पक्के किये जा सकेंगे, यदि स्थायी पद उपलब्ध होंगे । यदि सम्बन्धित सीमा-शुल्क समाहर्ता की राय में परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो तो उसे सेवा-मुक्त किया जा सकता है या उसकी परख-अवधि उतनी बढ़ाई जा सकती है जितनी कि संबंधित सीमाशुल्क समाहर्ता उचित समझे ।

(ग) मूल्य-निरूपक के रूप में सेवा की अवधि समाप्त होने पर अधिकारी रु० 600-35-950 के वेतनमान में प्रधान मूल्य-निरूपक के ग्रेड में पदोन्नति पाने के पात्र हो जायेंगे और उसके बाद वे सहायक समाहर्ता, श्रेणी I के पदों पर पदोन्नत हो सकेंगे ।

(घ) जहां तक छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, वे श्रेणी II के अन्य अधिकारियों के समान समझे जायेंगे ।

नोट—ऊपर दिये गये वेतन और ग्रेड बदले जा सकते हैं।

17. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, श्रेणी II ।

(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उस सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा । परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी ।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पक्का कर दिया जायेगा । यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

(घ) उस सेवा के अधिकारी को, दिल्ली प्रशासन, हिमाचल प्रदेश या अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में इन क्षेत्रों में प्रशासन/सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी ।

(ङ) वेतनमान:—

ग्रेड I—(सलक्शन ग्रेड)—रु० 900–50–1200 ।

ग्रेड II—रु० 300–30–510–कु० रो०–30–600 40–720–कु० रो०–40–800–50–850 ।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किये गये व्यक्ति को नियुक्ति होने पर ग्रेड II के वेतनमान में कम से कम वेतन मिलेगा ।

उक्त सेवा के अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति से नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर मान के पदों पर पदोन्नति पाने के पात्र होंगे ।

(च) उक्त सेवा के अधिकारी उसी दर से महंगाई भत्ता पाने के हकदार होंगे जो पंजाब सरकार के समकक्ष अधिकारियों को अनुमत्य होगी ।

(छ) महंगाई भत्ता के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को, प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहन-सहन के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिये अन्य भत्ते दिये जायेंगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिये ऐसे स्थानों पर भेजा जायेगा और उन स्थानों के लिये ये भत्ते अनुमत्य होंगे ।

(ज) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अन्दमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली 1965 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाये जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अंतर्गत दिये गये आदेशों या विशेष आदेशों के अंतर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप (Corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं ।

18. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, श्रेणी II

(क) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में निम्नलिखित पद और वेतन-मान हैं :—

सेवा	वेतन-मान
(i) सहायक निदेशक अवर सचिव	रु०० 900–50–1250
(ii) अनुभाग अधिकारी	रु० 350–25–500–30–590–कु० रो०–30–800–कु० रो०–30–830–35–900
(iii) सहायक	रु० 210–10–270–15–300–कु० रो०–15–450–कु० रो०–20–530 ।

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है ।

(ख) अनुभाग अधिकारियों के रूप में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा । इस परख-अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा ।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

(घ) यदि सरकार ने नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) जिन अनुभाग अधिकारियों ने सचिवालय के अनुभागों में काम करके पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर रखा हो उनको सामान्यतया अनुभागों का अध्यक्ष बनाया जायेगा और सहायक निदेशक/अवर सचिव की सामान्यतया शाखाओं का कार्यभार सौंपा जायेगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे ।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार, सहायक निदेशक अवर सचिव के रूप में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(छ) सहायक निदेशक/अवर सचिव रेलवे बोर्ड सचिवालय में ऊंचे पदों पर नियुक्ति पाने के लिये पात्र होंगे ।

(ज) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, रेलवे मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके अधिकारी अन्य मंत्रालयों को स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी किये जा सकते हैं ।

(झ) रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को, रेलवे अधिकारियों के समान ही, पास और सुविधा टिकट आदेश (Privilege Ticket Orders) लेने की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(ख) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किये गये रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी (परखाधीन अधिकारी भी)

(क) रेलवे पेंशन रूल से अधिशासित होंगे, और

(ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान-रहित) के नियमों के अंतर्गत, इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(ट) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों को रेलवे के श्रेणी I और II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जायेगा परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में, वे उन नियमों से शासित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं।

परिशिष्ट IV

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

(ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिये दिये जा रहे हैं, ताकि वे इस बात का पता लगा सकें कि वे शारीरिक स्वास्थ्य के अपेक्षित स्तर तक आते हैं या नहीं। पर यह साफ़-साफ़ समझ लेना चाहिये कि भारत सरकार अपने निर्णय से वह मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को शारीरिक दृष्टि से अक्षम मान कर स्वीकार कर सकती है और उसका निर्णय किसी भी प्रकार इन विनियमों से बंधा नहीं है। ये विनियम केवल मेडिकल परीक्षक के मार्ग-दर्शन के लिये हैं और इनसे उसका निर्णय किसी प्रकार भी सीमित नहीं होता।)

1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. (क) भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों के आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग-दर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए। यदि वजन, कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिये उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिये और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य करेगा।

(ख) निश्चित सेवाओं के लिये कद और छाती के घेर का कम से कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को मंजूर नहीं किया जा सकता।

	कद	छाती का घेर (पूरा फैला कर)	फैलाव
		से० मी०	से० मी०	से० मी०
(1)	*परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग	152	84	5
(2)	**भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	165	84	5

*(संख्या 1 ऊपर जिस सेवा का उल्लेख किया गया है और उसमें छाती का घेर पूरा फैलाकर माप के लिए जो मानक दिया गया है वह स्त्री उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होगा)।

**(स्त्री उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होगा)।

गोरखा, गढ़वाली, असमिया, आदिम जातियों आदि के उम्मीदवारों के लिये, जिनका औसत कद विशेष रूप से कम होता है, कम से कम निर्धारित कद में छूट दी जाती है।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से नापा जायेगा:—

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप-दंड (स्टैंडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन, सिवाए एड़ियों के, पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितंब और कंधे माप-दंड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जायेगी ताकि सिर का स्तर (बटैक्स आफ़ दि हैड लेवल) हारिज़ैंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए। कद सैंटिमीटरों और आधे सैंटिमीटरों में नापा जायेगा।

4. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया जायेगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर-एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिज़ैंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जायेगा और इन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जायेगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किये जाएं जिससे कि फीता न हिले। अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जायेगा और छाती का अधिक से अधिक फैलाव गौर से नोट किया जायेगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सैंटिमीटरों में रिकार्ड किया जायेगा, 84–89, 86–93.5 आदि। नाम को रिकार्ड करते समय आधे सैंटिमीटर से कम के भिन्न फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जायेगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जायेगा। आधे किलोग्राम से कम के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

6. उम्मीदवार की नज़र की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जायेगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जायेगा :—

(i) सामान्य जनरल—किसी रोग या विलक्षणता (एबनार्मेलिटी) का पता लगाने के लिये उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जायेगी। यदि उम्मीदवार को ऐसा भेंगापन या आंखों, पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (कंटिगुअस स्ट्रक्चर्स) का विकास होगा जिसे भविष्य में किसी भी समय सेवा के लिये उसके अयोग्य होने की सम्भावना हो तो उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(ii) दृष्टि की पकड़ (विज़ुअल एक्विटी):—दृष्टि की तीव्रता का निर्धारण करने के लिये दो जांचें की जायेंगी, एक दूर की नजर के लिये और दूसरी नजदीक की नज़र के लिये। प्रत्येक आंख की अलग से परीक्षा की जायेगी।

चश्मे के बिना नज़र (नेकेड आई विज़न) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जायेगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मल सूचना (बेसिक इन्फार्मेशन) मिल जायेगी।

चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा :–

	दूर की नजर		नजदीक की नजर	
	अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख
1. परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग	6/9 अथवा 6/6	6/9 6/12	0.6	0.8
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, केन्द्रीय सूचना सेवा (ग्रेड-II) श्रेणी-I, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय आय-कर सेवा (श्रेणी-I) भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी सेवा, श्रेणी-I (सहायक प्रबंधक, अतकनीकी) भारतीय डाक सेवा, श्रेणी I, सैनिक भूमि और छावनी सेवा श्रेणी-I, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी-II सीमाशुल्क मूल्य-निरूपक सेवा, श्रेणी-II, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा श्रेणी-II, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा श्रेणी-II सैनिक भूमि और छावनी सेवा, श्रेणी II	6/9 अथवा 6/6	6/9 6/12	0.6	0.8
3. भारतीय पुलिस सेवा तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी-II	6/9 अथवा 6/6	6/9 6/12	0.6	0.8

नोट—

(1) ऊपर 1 और 3 में उल्लिखित सेवाओं के लिये मायोपिया की कुल मात्रा (सिलिंडर समेत)—4.00 डी से अधिक नहीं होगी, हाइपरमेट्रोपिया की कुल मात्रा (सिलिंडर समेत) +4.00 डी से अधिक नहीं होगी।

(2) ऊपर 2 में उल्लिखित सेवाओं के लिये मायोपिया की कुल मात्रा (सिलिंडर समेत)—8.00 डी से अधिक नहीं होगी कुल हाइपरमेट्रोपिया 6.00 डी से अधिक नहीं होगी।

(3) फंडस परीक्षा—जब कभी सम्भव होगा मेडिकल बोर्ड की इच्छा पर फंडस परीक्षा की जायेगी और परिणाम रिकार्ड किये जायेंगे।

(4) कलर विज़न—(i) ऊपर 1 और 3 में उल्लिखित सेवाओं के लिये रंगों के संबंध में नज़र की जांच जरूरी है।

(ii) नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए जो लैंटर्न के द्वारक (एपर्चर) के आकार पर निर्भर हों।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	4.9 मीटर	4.9 मीटर
2. द्वारक (एपर्चर) का आकार	1 3 मि० मीटर	13 मि० मीटर
3. दिखाने का समय	5 सैकंड	5 सैकंड

जनता की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिये जैसे पाइलट, ड्राइवर, गार्ड आदि, के लिये कलर विज़न का हायर ग्रेड अनिवार्य है लेकिन अन्य सेवाओं के लिये कलर विज़न का लोअर ग्रेड ही काफ़ी समझना चाहिए।

(iii) लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विज़न है। इशिहारा की प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एडिंज ग्रीन की लैंटर्न जैसी उपयुक्त लैंटर्न और अच्छी रोशनी में दिखाया जाता है, कलर विज़न की जांच करने के लिये बिल्कुल विश्वासनीय समझा जायेगा। वैसे तो दोनों जांचों में से किसी भी एक जांच को साधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सड़क, रेल और हवाई यातायात से संबंधित सेवाओं के लिये लैंटर्न से जांच करना लाज़मी है। शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाये तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए।

(5) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ़ विज़न)—सभी सेवाओं के लिये सम्मुखन विधि (कन्फ्रंटेशन मेथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जायेगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परिमापी (पेरीमीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(6) रतोंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस)—केवल विशेष मामलों को छोड़ कर रतोंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है, रतोंधी या अंधेरे में दिखाई न देने की जांच करने के लिये कोई नियत स्टेंडर्ड टेस्ट नहीं है। मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टेस्ट कर लेने चाहियें जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में ले जाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीज़ों की पहचान करवा कर दृष्टि की पकड़ रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के अपने कथनों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

(7) दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडिशन्स)—(क) आंख की उन बीमारी को या बढ़ती हुई वर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रेक्टिव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ के कम होने की सम्भावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) रोहे (ट्रेकोमा) :—यदि रोहे जटिल न हों तो वे आमतौर से अयोग्यता का कारण नहीं होंगे ।

(ग) भेंगापन (स्क्विंट) ऊपर 1 और 3 में लिखी सेवाओं के लिए द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना लाजमी है । नियत स्टेंडर्ड की दृष्टि की पकड़ होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए । दूसरी सेवाओं के लिए उस हालत में भेंगापन को अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए जब दृष्टि की पकड़ नियत स्टेंडर्ड की हो ।

(घ) एक आंख वाले व्यक्ति :—नियुक्ति के लिए एक आंख वाले व्यक्तियों की सिफारिश नहीं की जाती ।

7. **ब्लड प्रेशर**

ब्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है ।

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100+आयु होता है ।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ दी जाए । यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है ।

ध्यान दीजिए —सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर के सिस्टालिक प्रेशर को और 90 से ऊपर के डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखे । अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक बीमारी) है (ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्सरे और विद्युत हृल्लेखी (इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफिक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकाय (लीयरेंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए । फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा ।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमत : पारेवाले दाबमापी (स्फिगमो मेनोमीटर) किस्म का आला (इंस्ट्रुमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेष कर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो । कुछ कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाता है । भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देने चाहिए । कफ में से पूरी तरह हवा निकालकर बीच की रबड़ को भुजा के अंदर की ओर रख कर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर कर के लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले ।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रेकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब इस के ऊपर बीचों-बीच स्टेस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे । कफ में लगभग 200 m.m Hg. हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे धीरे हवा निकाली जाती है । हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी । जिस स्तर पर ये साफ़ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हलकी दबी हुई सी लुप्त प्राय हो जाएं, वह डायस्टालिक प्रेशर है । ब्लड-प्रशर काफ़ी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है । यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए । (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्नतर स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं । इस "साइलेंट गेप" से रीडिंग में गलती हो सकती है) ।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायाबीटीज) के द्योतक चिह्नों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज़ मेह (ग्लाइकोसूरिआ) के सिवाए, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टेंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज़ मेह असधु मेही (नान डायबेटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसन के किसी ऐसे निर्दिष्ठ विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों । मेडिकल विशेषज्ञ स्टेंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबारेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की 'फिट' या "अनफिट" की अंतिम राय आधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकती है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख रेख में रखा जाए ।

9. **निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए ।**

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं । यदि कोई कान की खराबी हो तो इसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए । यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य-क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो । रेलवे सेवाओं के लिए यह बात लागू नहीं है ।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता या नहीं ।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं ; और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं । (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफ़ी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल और फेफड़े ठीक हैं या नहीं ।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं ।

(च) उसे रप्चर (हार्निया या फटन) है या नहीं ।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई वेरिकोसील वेरिकोज शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं ।

(ज) उसकी शाखाओं, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी संधियां भली भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं ।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं ।

(अ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं ।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिनसे कमज़ोर गठन का पता लगे ।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं ।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं ।

10. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी केसों में नेमी रूप से छाती की एक्सरे-परीक्षा की जानी चाहिए ।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं ।

नोट:—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त सेवाओं के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने का कोई हक नहीं है । किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जांच में निर्णय की गलती की संभावना के संबंध में, प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने अपील की इजाज़त दे सकती है । ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख के एक महीने के अंदर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा ।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाणपत्र पेश करें तो इस प्रमाणपत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जब कि इसमें संबंधित मेडिकल प्रेक्टिशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाण पत्र इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवा के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका है ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है:—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टेंडर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा-काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए ।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को, यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिसे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो ।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरंतर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय-पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट किया जाए कि यहां प्रश्न केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरंतर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो ।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सह-योजित किया जाएगा ।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा (इंडियन डिफेंस अकाउंटस सर्विस) के उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के योग्य है या नहीं ।

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए ।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्योरा नहीं दिया जा सकता ।

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाय तो एक दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है ।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई रूप से अयोग्य करार दिया जाय तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए । निर्दिष्ट अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए ।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा:—

अपनी मैडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उस के साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिएं । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ।

1. अपना पूरा नाम लिखें.....
(साफ़ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं.....

3. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पाप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमैटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है ?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ?

4. आपको चेचक आदि का अंतिम टीका कब लगा था ?

5. क्या आपको या आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार को तपेदिक, स्क्रोफूला, गाऊट, दमा, दौरे (फिट्स) मिरगी (एपिलेप्सी) या पागलपन (इन्सेनिटी) हुआ है ?

6. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नवसनेस) हुई है ?

7. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें ।

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

8. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ? .....

9. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' हो तो बताइए किस सेवा/सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ? .....

10. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? .....

11. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ? .....

12. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो । .....

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर .....

मेरे सामने हस्ताक्षर किए ।

बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर

नोट—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा । जान-बूझ कर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाये तो वार्धक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरऐनुएशन अलाउंस) या उपदान (ग्रेचुटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा ।

(ख) .....की शारीरिक परीक्षा की/

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास : अच्छा .....बीच का ....कम .....
पोषण : पतला .....औसत ....मोटा .....
कद (जूते उतार कर) .....वजन .....
अत्युत्तम वजन .....कब था ? .....
वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन .....
तापमान .....
छाती का घेर .....
(1) पूरा सांस खींचने पर .....
(2) पूरा सांस निकालने पर .....

2. त्वचा—कोई जाहिरा बीमारी .....

3. नेत्र
(1) कोई बीमारी .....
(2) रतौंधी .....
(3) कलर विजन का दोष .....
(4) दृष्टि क्षेत्र (फ़ील्ड आफ़ विजन) .....
(5) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी) .....

दृष्टि की पकड़	चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की पावर गोल	सिलि० अक्ष
दूर की नज़र	दा० ने०			
	बा० ने०			
पास की नज़र	दा० ने०			
	बा० ने०			
हाइपरमेट्रोपिया (व्यक्त)	दा० ने०			
	बा० ने०			

4. कान: निरीक्षण .....सुनना :
दायां कान ..... बायां कान .....

5. ग्रंथियां ..... थाइरायड .....

6. दांतों की हालत ....

7. श्वसन तंत्र (रेस्पिरेटरि सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो विलक्षणता का पूरा ब्यौरा दें ।

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्युलेटरी सिस्टम)

(क) हृदय: कोई आंगिक क्षति (आर्गेनिक लेज़न) ?
.....
गति (रेट):
खड़े होने पर:
25 बार कुदाए जाने के बाद .....
कुदाए जाने के 2 मिनट बाद .....
(ख) ब्लड प्रेशर .....सिस्टालिक..डायस्टालिक..
.....

9. उदर (पेट): घेर .....दाब वेदना (टैंडरनेस)
हर्निया .....
(क) दबा कर मालूम पड़ना, जिगर .....तिल्ली ....
गुर्दे .....ट्यूमर .....
(ख) बवासीर के मस्से .....फिस्चुला .....

10. तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) तंत्रिका या मानसिक अशक्तता का संकेत .....

11. चाल तंत्र (लोकोमोटर सिस्टम)
कोई विलक्षणता .....

12. जनन-मूत्र तंत्र (जेनिटो यूरिनरी सिस्टम) / हाइड्रोसील, वेरिकोसील आदि का कोई संकेत ।

मूत्र परीक्षा

(क) कैसा दिखाई पड़ता है

(ख) स्पेसिफ़िक ग्रेविटी (अपेक्षिक गुरुत्व)

(ग) एल्ब्युमेन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) कोशिकाएं (सेल्स)

13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह उस सेवा को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है जिसके लिए वह उम्मीदवार है ?

15. (i) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए उम्मीदवार की परीक्षा की गई है :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा ।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा .....

(ग) केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-I और II .....

(ii) क्या वह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षतापूर्वक और निरंतर काम करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा ।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (कद, छाती का घेर, नज़र, रंग दिखाई न देना और चाल, खास तौर से देखें) ।

(ग) भारतीय रेलवे के परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग (कद, छाती, नज़र, रंग दिखाई न देना, खास तौर से देखें) ।

(घ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I/II

(iii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है ?

नोट—बोर्ड को अपना जांच-परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए ।

(i) योग्य (फ़िट)

(ii) अयोग्य (अनफ़िट) जिसका कारण .....

(iii) अस्थायी रूप से अयोग्य, जिसका कारण .....

स्थान ..... अध्यक्ष (प्रेसिडेंट) .....

तारीख ..... सदस्य .....

सदस्य .....

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 1966

सं० 35(2)-काम (जन) (एफ० एम० सी०)/65—वायदा बाजार आयोग, बम्बई के कार्यचालन का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति बनाने के प्रश्न पर भारत सरकार पिछले कुछ दिनों से विचार कर रही थी । अतः भारत सरकार ने यह पुनरीक्षण कर के सरकार को इस विषय पर अपनी सिफारिशें दे देने के लिए नीचे लिखे व्यक्तियों की एक समिति बनाने का निश्चय किया है ।

1. प्रो० एम० एल० दांतवाला,
अध्यक्ष,
कृषि सम्बन्धी मूल्य आयोग,
कृषि विभाग, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय । **अध्यक्ष**

2. श्री ए० एस० नाइक, आई० सी० एस०,
अध्यक्ष,
वायदा बाजार आयोग,
बम्बई । **सदस्य**

3. श्री आर० टी० मीरचन्दानी,
कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार,
खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय,
नागपुर । **सदस्य**

4. डा० के० एस० कृष्णस्वामी,
आर्थिक सलाहकार,
योजना आयोग, नई दिल्ली । **सदस्य**

5. श्री जी० एम० लाड,
सम्पादक,
'दी फाईनेन्शियल एक्सप्रेस'
ससून डाक्स, कोलाबा,
बम्बई । **सदस्य**

6. श्री सी० एल० धीवाला,
सचिव,
इण्डियन मरचेन्ट्स चैम्बर,
76, वीरनरीमैन रोड,
चर्चगेट, बम्बई । **सदस्य**

7. श्री आर० महादेवन,
वित्त उप-सलाहकार, वित्त मन्त्रालय,
नई दिल्ली । **सदस्य**

2. वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री पी० के० जे० मेनन सदस्य सचिव का कार्य करेंगे ।

3. समिति के विचारणीय विषय ये होंगे :—

(क) गत 10 वर्षों में वायदा बाजार आयोग ने जिस प्रकार कार्य चलाया है उसका पुनरीक्षण करना जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि आयोग उन उद्देश्यों को किस सीमा तक अमल में ला सका है जोकि संविधि के उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी विवरण में दिये गये हैं ।

(ख) देश की बदली हुई आर्थिक अवस्थाओं के प्रकाश में उस कार्य का आकलन करना जो वायदा बाजार भविष्य में कर सकते हैं ।

(ग) सुधार करने के उद्देश्य से वर्तमान अधिनियम में संशोधन के सुझाव देना ।

(घ) यह विचार करके सुझाव देना कि वायदा बाजार आयोग को अन्य क्या कार्य सौंपे जा सकते हैं ।

4. समिति की बैठकें नई दिल्ली अथवा देश के अन्य महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्रों में हो सकती हैं ।

5. समिति 6 महीने के अन्दर अपना प्रतिवेदन सरकार को दे देगी ।

6. इसके द्वारा इस विषय की सभी पूर्व अधिसूचनाएं रद्द की जाती हैं ।

एम० एल० गुप्त, अवर सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 1966

सं० 26(1)-टैरि/63—टैरिफ आयोग की कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण करने के लिये एक जांच समिति बनाने के प्रश्न पर भारत सरकार कुछ समय से विचार कर रही थी। इसी के अनुसार भारत सरकार ने यह पुनरीक्षण करके इस विषय में अपनी सिफारिशें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये नीचे लिखे व्यक्तियों की एक समिति बनाने का निश्चय किया है :—

(1) डा० वी० के० आर० वी० राव,
सदस्य,
योजना आयोग,
नई दिल्ली । अध्यक्ष

(2) श्री एम० पी० पाई,
अध्यक्ष,
टैरिफ आयोग, बम्बई । सदस्य

(3) डा० डी० के० रंगनेकर,
विशेष प्रतिनिधि,
इकानामिक टाइम्स, नई दिल्ली । सदस्य

(4) डा० डी० टी० लकडावाला,
अर्थ विभाग,
बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई । सदस्य

(5) श्री एच० एन० रे,
अतिरिक्त सचिव,
वित्त मन्त्रालय, नई दिल्ली । सदस्य

(6) डा० के० एस० कृष्णस्वामी,
आर्थिक सलाहकार,
योजना आयोग, नई दिल्ली । सदस्य

(7) श्री पी० के० जे० मेनन,
संयुक्त सचिव,
वाणिज्य मन्त्रालय, नई दिल्ली । सदस्य-सचिव

2. समिति के विचारणीय विषय नीचे लिखे अनुसार होंगे :—

(क) टैरिफ आयोग के कार्य-प्रणाली का 1952 में उसका आरम्भ होने से लेकर अब तक का पुनरीक्षण करना;

(ख) सुधार करने की दृष्टि से वर्तमान अधिनियम में संशोधनों के सुझाव देना;

(ग) आयात के वर्तमान प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के संरक्षण नीति का पुनरीक्षण करना;

(घ) जांच करके यह सुझाव देना कि देश में विकासशील आयोजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टैरिफ आयोग को कौन से अन्य कार्य सौंपे जा सकते हैं, और आयोग के संविधान तथा कार्यों में परिवर्तन करने की सिफारिश करना ।

3. समिति 6 महीने के अन्दर अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

4. इसके द्वारा इस विषय की पिछली सभी अधिसूचनाएं निरस्त की जाती हैं ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये और इसकी एक-एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेज दी जाये ।

वी० कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

उद्योग मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 1966

सं० 7(43)/64-आई० सी० सी० 2—भारत सरकार ने भूतपूर्व उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में श्री वी० पी० पटेल की अध्यक्षता में 5 सितम्बर 1962 को औद्योगिक सहकारिता संबंधी एक कार्यकारी दल की नियुक्ति निम्नलिखित निर्देश-पदों पर की थी :—

(1) "औद्योगिक सहकारी समितियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना;

(2) तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में सहकारी समितियों का गठन करने के लिये विशिष्ट कार्यक्रमों और वास्तविक लक्ष्यों की सिफारिश करना तथा सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये दी गई निधियों में से उसका कुछ अंश सहकारी समितियों के लिये निर्धारित करने की सिफारिश करना;

(3) सरकार से वित्तीय सहायता के प्रतिरूप सुझाना;

(4) सहकारी समितियों के विभिन्न स्तरों पर वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण करना तथा उन्हें पूरी करने के लिये अर्थोपायों के बारे में सुझाव देना; और

(5) चौथी योजना में औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास का आधार बताना ।"

2. इस कार्यकारी दल ने 31 मई 1963 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। भारत सरकार द्वारा दल की सिफारिशों की जांच कर ली गई है और उसके निर्णय निम्नलिखित पैराग्राफों में बताये गये हैं :—

भाग 1

3. भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं :—

सिफारिश सं० 1—कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है कि विशिष्ट व्यवसायों में उत्पादन प्रयोजनों के लिये मजदूरों द्वारा स्थापित वर्कशापों को "सहकारी समिति वर्कशाप" कहा जाना चाहिये और उन समितियों को, जो अपने सदस्यों को कच्चा माल, औजार एवं उपकरण, उनके उत्पादों का विक्रय करने अथवा ऋण या अन्य किसी प्रकार की सुविधाएं देकर उनकी सेवा करने का प्रस्ताव करती है; 'औद्योगिक सेवा सहकारी समितियां' कहा जाना चाहिये ।"

सिफारिश सं० 3—कायर की सहकारी समितियों को कच्चा छिलका क्रय करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये; उसे सड़ाने का काम आरम्भ करना चाहिये तथा सदस्यों के धागे एवं अन्य तैयार उत्पादों के विक्रय संबंधी सामान्य कार्यों के साथ-साथ सड़ाये हुए छिलकों का विक्रय करना चाहिये तथा सहकारी बैंकों को छिलके सड़ाने की प्रक्रिया की सुरक्षा के लिये ऋण देना चाहिये । इस सिफारिश को स्वीकार करते समय सरकार की इच्छा इस बात पर बल देने की है कि इसको तत्काल इस प्रकार कार्यान्वित किया जाना चाहिये जिससे कायर उद्योग की विद्यमान सहकारी समितियों का मूलभूत कार्य और उनके भावी विकास का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलता रहे ।

सिफारिश सं० 6—कृषि प्रधान समितियों को ग्रामीण दस्तकारों की वित्त-व्यवस्था करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ।

सिफारिश सं० 7—पूर्ति और विक्रय करने वाली समितियों को बाजार सांख्यिकी सेवा, सहायक उत्पादन का विकास तथा सदस्यों इत्यादि की ओर से काम करने के आर्डर लेने चाहिये तथा इस प्रयोजन के लिये अनुभवी कर्मचारी नियुक्त करने चाहिये ।

सिफारिश सं० 8—यदि समितियां चाहें तो नियंत्रित शुल्क पर सदस्यों का लेखा रखने में उनकी सहायता करने के लिये लेखा एकक बना सकती है तथा उनके कर-विवरण इत्यादि तैयार कर सकती हैं।

सिफारिश सं० 9—सहकारी ऋण गारंटी संगठनों का निर्माण करने की सम्भावना का पता लगाया जाना चाहिये ।

सिफारिश सं० 11—नई समितियों के गठन और पंजीकरण से संबंधित अधिकारी वित्त क्षमता की संभाव्यताओं, कार्य की मात्रा तथा सदस्यता की पर्याप्ता के संबंध में प्रवर्तकों से बातचीत करते हैं। अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों के लिये वित्त क्षमता की कुछ मोटी-मोटी प्रारम्भिक शर्तें बताने वाली आदर्श योजनाएं तैयार की जानी चाहिये ।

सिफारिश सं० 13—औद्योगिक सहकारी समितियों के सदस्यों और संचालकों के लिये विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होने चाहिये तथा उन उद्योगों के अधिकारियों के लिये विशेष स्थिति ज्ञान अल्पकालिक पाठ्यक्रम होने चाहिये जो तकनीकी, वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं, नियंत्रित सामग्री के संभरणकर्त्ता, आयात लाइसेंसों के लिये अनिवार्यता प्रमाण-पत्र जारी करने, सरकारी स्टोरों के लिये सामान खरीदने के लिये एककों की सिफारिश करने तथा मशीनों आदि की किराया-खरीद के प्रभारी हैं।

सिफारिश सं० 15—प्रत्येक अखिल भारतीय बोर्ड में सहकारी समितियों के लिये स्थायी सलाहकार समितियां स्थापित की जानी चाहिये। लघु उद्योग सेवा संस्थानों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा औद्योगिक सहयोग के विभिन्न बोर्डों के चुने हुए अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये प्रबन्ध किया जाना चाहिये। उद्योग मंत्रालय के संगठन को, जिस पर औद्योगिक सहकारी समितियों का उत्तरदायित्व है, पर्याप्त सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये ।

सिफारिश सं० 18 और 19—अन्तर्सहकारी समितियों के बीच संगठन संबंधी तथा विभिन्न स्तरों पर अन्य सम्पर्क स्थापित करके उनके संबंधों का विकास किया जाना चाहिये। राज्य सहकारी समिति अधिनियमों में इस प्रकार उपयुक्त संशोधन किये जाने चाहिये जिससे औद्योगिक सहकारी समितियों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

सिफारिश सं० 21—सदस्यों को अंश खरीदने के लिये अपेक्षित निधि सरकार द्वारा सदस्यों को अलग-अलग ऋण के रूप में दी जानी चाहिये जिससे भुगतान का दायित्व सदस्य का रहे। समिति के अभिकरण का प्रयोग उससे आवेदन-पत्र, बांड, रसीदें आदि एकत्र करने तथा मजदूरी या विक्रय आय में से अपेक्षित वसूली करने के लिये किया जा सकता है । सरकार द्वारा इस बात के लिये सम्मिलित प्रयत्न किया जाना चाहिये कि उसकी निधि के अधिकांश का प्रयोग विद्यमान तथा भावी सदस्यों के अंश क्रय करने के लिये ऋण के रूप में किया जाये ।

सिफारिश सं० 24—प्रत्येक राज्य के आय-व्ययक में प्रत्येक वर्ग के उद्योगों की सहकारी समितियों का विकास करने के लिये विशिष्ट आवंटन किया जाना चाहिये ।

सिफारिश सं० 31—शीर्षस्थ (एपेक्स) सहकारी बैंकों द्वारा औद्योगिक सहकारी संस्थाओं की वित्त-व्यवस्था को बढ़ावा देने, अलग-अलग स्कन्धों का निर्माण करने तथा विशेषकर इस प्रयोजन के लिये उप-प्रबन्धक और लागत लेखाकार, पर्यवेक्षक इत्यादि नियुक्त करने के लिये क्रमबद्ध प्रयत्न किये जाने चाहिये । सरकार अनुभव करती है कि जब तक एपेक्स बैंकों द्वारा क्रमबद्ध रूप से यह सिफारिश कार्यान्वित नहीं की जाती तब तक औद्योगिक सहकारी समितियों की वित्त-व्यवस्था में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की जा सकती ।

सिफारिश सं० 32 (1)—केन्द्रीय सहकारी बैंकों की औद्योगिक वित्त-व्यवस्था के लिये अलग-अलग स्कन्ध होने चाहिये जिसके लिये उप-प्रबन्धक, उप-सचिव अथवा उसी श्रेणी का कोई विशेष अधिकारी तथा पर्याप्त संख्या में निरीक्षणकारी एवं अन्य कर्मचारी-वर्ग होना चाहिये तथा अलग-अलग समितियां स्थापित की जानी चाहिये जिनके बोर्डों आदि में औद्योगिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किये जायें ।

(2) सरकार को चाहिये कि वह केन्द्रीय सहकारी बैंकों और औद्योगिक सहकारी बैंकों को बकाया ऋण की राशि के औसत का 1 प्रतिशत के बराबर अनुदान का भुगतान करे तथा उत्पादन किस्म की औद्योगिक सहकारी संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋण को एक विशेष अशोध्य ऋण की निधि में अंशदान के रूप में रख दे। सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है । कृषि क्षेत्र में इसी प्रकार की कार्यविधि पहले से ही विद्यमान है। उससे पता लगेगा कि फिर भी यह कार्यविधि बैंकों द्वारा विशेष अशोध्य ऋण निधि का निर्माण करने और उसे बनाये रखने के लिये संविहित दायित्व का स्थान नहीं लेगी ।

(3) कम से कम 20 प्रतिशत केन्द्रीय सहकारी बैंकों को प्रति वर्ष औद्योगिक सहकारी समिति संबंधी प्रथम कार्यकारी दल द्वारा उन औद्योगिक सहकारी समितियों की वित्त-व्यवस्था करने के लिये सुझाव दिये गये थे, सभी उपाय स्वीकार करने के लिये तैयार किया जाना चाहिये जिनके लिये लक्ष्यों सहित विशिष्ट कार्यक्रम, जिनमें केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वह राशि बताई गई है जिसके लिये उनसे औद्योगिक क्षेत्र में विनियोग करने की आशा की जाती है, तैयार और कार्यान्वित किये जाने चाहिये। इसका अन्तिम निर्णय संबंधित राज्य सरकार और भारत सरकार के परामर्श से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा किया जायेगा ।

सिफारिश सं० 34—सरकारी और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के ऋण पंचायत समितियों के द्वारा न दिये जाकर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के जरिये दिये जाने चाहिये ।

सिफारिश सं० 37—90 प्रतिशत गारंटी योजना नियमित योजना के रूप में चलती रहनी चाहिये । वित्त-व्यवस्था अभिकरण इस योजना अथवा लघु उद्योगों की ऋण गारंटी योजना से लाभ उठा सकते हैं। कुछ औद्योगिक सहकारी समितियों जैसे खादी तथा ग्रामोद्योग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े सदस्यों के मामले में उनकी वित्त-व्यवस्था करने हेतु बैंकों को तैयार करने के लिये 100 प्रतिशत की गारंटी देना आवश्यक होगा। ऐसी प्रत्येक समिति के संबंध में यह निश्चय करने के लिये कि 100 प्रतिशत की गारंटी कब रोक दी जानी चाहिये, प्रत्येक 2 या 3 वर्षों में उसकी साख की समीक्षा की जा सकती है तथा 90 प्रतिशत गारंटी योजना लागू कर देनी चाहिये। इन्हीं आधार पर इस समय एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सिफारिश सं० 38—स्टेट बैंक आफ इण्डिया और उसकी शाखाओं के जिन क्षेत्रों में काम करने लगने की आशा है उनकी एक सूची राज्य सरकारों द्वारा उन्हें शीघ्र ही भेज दी जानी चाहिये और 90 प्रतिशत गारंटी योजना के लाभ एवं रियायती दर पर ब्याज की योजना भी उनके द्वारा दिये गये ऋणों पर लागू कर देनी चाहिये । औद्योगिक सहकारी बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया के बीच साझेदारी संबंधी व्यवस्था का ब्योरा तैयार किया जाना चाहिये तथा उसे प्रथम दृष्ट्या प्रायोगिक आधार पर चलाया जाना चाहिये ।

सिफारिश सं० 39—राज्य वित्तीय निगमों तथा औद्योगिक वित्त निगम से स्थान संबंधी सुविधा प्राप्त की जा सकती है बशर्ते कि कुछ मामलों में राज्य सरकार की गारंटी के बदले जमानत की मात्रा में कुछ छूट दी जाये।

सिफारिश सं० 40—सहकारिता अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन किये जा सकते हैं जिससे सहकारी समितियों के बंधक प्रभारों का रजिस्ट्रारों के पास पंजीयन कराया जा सके। सरकारी ऋणों के मामले में करार के फार्मों में उपयुक्त संशोधन किये जाने चाहिये

जिससे ऋणों से निर्मित आस्तियों में से सरकारी ऋणों के प्रभार पर नियंत्रण रखा जा सके अथवा कोई ऐसा उपयुक्त खण्ड सम्मिलित किया जाना चाहिये जिससे गिरवी अथवा बंधक रखे गये माल के बदले बैंक अल्प और मध्य-कालिक ऋण दे सकें ।

भाग 2

4. कार्यकारी दल की निम्नलिखित सिफारिशों में कुछ रूप-भेद कर के भारत सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है।

सिफारिश सं० 2—कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है कि हमारा उद्देश्य तीसरी योजना की समाप्ति तक घरेलू उद्योगों के मजदूरों में से लगभग 30 प्रतिशत मजदूरों को सहकारिता संगठन के अन्तर्गत लाना चाहिये। इसका वास्तविक तात्पर्य विद्यमान कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर लगभग 15,000 नई औद्योगिक सहकारी समितियों में लागू कर 15 लाख सदस्य और बढ़ाना होगा। इस प्रकार तीसरी योजना की अवधि की समाप्ति तक लगभग 48,000 समितियां हो जायेंगी । यह भी बताया गया है कि कार्यवाहक पूंजी का लक्ष्य रु० 300 प्रति सदस्य होगा अर्थात् 120 करोड़ रु० तथा प्रदत्त पूंजी के लिये अतिरिक्त राशि 20 करोड़ रु० होगी। पिछले कुछ वर्षों में विकास की गति को ध्यान में रखते हुए सरकार का अनुमान है कि तीसरी योजना की समाप्ति तक 53,500 समितियां हो जायेंगी जिनकी सदस्य संख्या 34 लाख, कार्यवाहक पूंजी 1,23 करोड़ रु०, प्रदत्त पूंजी 30 करोड़ रु०, उधार 70 करोड़ रु०, उत्पादन 122 करोड़ रु० तथा विक्रय 148 करोड़ रु० का होगा।

सिफारिश सं० 4—में दस्तकारों और लघु निर्माताओं की समितियों को संगठित करने की आवश्यकता पर बल देने के साथ-साथ मजदूरों की सहकारी समितियों का निर्माण करने पर भी बल दिया गया है और इस बात की वकालत की गई है कि विभिन्न वर्गों को दी गई सहायता की किस्म और उसके परिमाण के संबंध में विभेद किया जाना चाहिये । सरकार इससे सहमत है कि इस संबंध में सावधानी बरती जानी चाहिये कि मजदूरों और कारीगरों की समितियों के लिये दी गई विशेष सहायता का उपयोग सम्पन्न और कुशल कारीगरों तथा उद्योगपतियों की समितियों द्वारा नहीं किया जायेगा तथा बाद वाले लोगों को केवल सेवा किस्म की समितियां बनाने की ही अनुमति प्राप्त है ।

सिफारिश सं० 5—में सुझाव दिया गया है कि औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण मार्ग-दर्शन के आधार पर नगरीय सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिये । इन बैंकों को सरकारी सहायता दिये जाने के प्रश्न पर अलग से विचार किया जायेगा ।

सिफारिश सं० 10—में उत्पादन और विक्रय करनेवाली सहकारी समितियों की कार्य-पद्धति में सुधार करने के संबंध में अनेक सुझाव दिये गये हैं । सरकार इन सुझावों को इस परन्तुक सहित स्वीकार करती है कि मजदूर सदस्यों के लाभ के लिये समितियों द्वारा निर्मित भविष्य-निधि में सरकार का कोई अंशदान नहीं होगा ।

सिफारिश सं० 12—में अकेले या बहु-उद्योगों के आधार पर विभिन्न स्तरों पर औद्योगिक सहकारी समितियों के संघ (फेडरेशन) स्थापित करने की कल्पना की गई है । सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है बशर्ते कि संघों की संख्या बहुत अधिक न हो।

सिफारिश सं० 14—राज्य सरकारों और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा आंकड़ों का संकलन, पूर्ति और प्रकाशन करने के संबंध में है। सामान्य रूप से इस सिफारिश से सहमत होते हुए भारत सरकार अनुभव करती है कि जहां तक राज्यों में इस प्रकार के प्रबन्ध का संबंध है, उन्हें कोई ऐसा उपाय खोज निकालना चाहिये जो उनके लिये प्रशासकीय दृष्टि से सुविधाजनक हो ।

सिफारिश सं० 16—में राज्यों में प्रशासकीय व्यवस्था संबंधी कार्यकारी दल के विचार दिये गये हैं । एक सम्मति यह प्रकट की गई है कि जहां इसमें है कि औद्योगिक सहकारी समितियां, केवल उन मणीनीकृत उद्योगों को छोड़कर, जिन्हें उद्योग निदेशक के अधीन रखा जा सकता है, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के नियंत्रण में रहनी चाहिये । उद्योग विभाग तथा निगम के बीच समन्वय बनाये रखने, प्रशासकीय और तकनीकी कर्मचारियों में यथोचित एकीकरण करने तथा पर्यवेक्षण और लेखा-परीक्षा के कार्य को चलाने के संबंध में विस्तृत उपायों का सुझाव दिया गया है । सामान्य रूप से इन सिफारिशों से सहमत होते हुए भारत सरकार का दृष्टिकोण यह है कि जहां तक सहकारी समिति, उद्योग अथवा अन्य किसी विभाग के द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियों के नियंत्रण का संबंध है, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा वहां की स्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार निश्चय करना पड़ेगा ।

सिफारिश सं० 17—में निष्क्रिय समितियों में शीघ्र ही पुनः जीवन संचार करने के कार्यक्रम के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं । भारत सरकार समझती है कि तीसरी योजना की अवधि में 6,000 समितियों में पुनः जीवन संचार करने के लिये कार्यकारी दल का लक्ष्य बहुत ऊंचा है । इसलिये प्रति वर्ष विद्यमान निष्क्रिय समितियों में से पर्याप्त संख्या में पुनः जीवन संचार किया जाना चाहिये जिससे इसका सुनिश्चय हो सके कि चौथी योजना की समाप्ति तक सारी औद्योगिक सहकारी संस्थाएं सक्रिय हो जायेंगी और ठीक प्रकार से कार्य करने लगेंगी । पुनः जीवन संचार करने वाले कार्यक्रम को चलाने के लिये सभी संबंधित विभागों और सभी उपयुक्त स्तरों पर अतिरिक्त कर्मचारी रखे जाने चाहिये । इस प्रकार के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिसके लिये पर्याप्त धन अलग रखा जाना चाहिये । पुनः जीवन संचार करने वाले कार्यक्रम के साथ-साथ यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि उन समितियों को तत्काल ही भंग कर दिया जाना चाहिये जो पुनः जीवन संचार किये जाने के योग्य नहीं है ।

सिफारिश सं० 20—में इस बात का सुझाव दिया गया है कि प्रमुख औद्योगिक सहकारी समितियों की अंश पूंजी को बढ़ाने के लिये सरकारी सहायता सामान्यतः सदस्यों को अंशों का क्रय करने के लिये ऋण के रूप में होनी चाहिये, यद्यपि विशेष परिस्थितियों में तदर्थ आधार पर इस प्रकार की समितियों की अंश पूंजी में सरकार की साझेदारी जारी रखी जा सकती है; सेवा किस्म के फेडरेशनों के अंश में साझेदारी सदस्यों द्वारा दी गई राशि की तीन गुनी तक तथा अन्य फेडरेशनों में उसके अनुरूप हो सकती है तथा सरकारी अंशों के विमोचन कम उत्तरदायित्व सदस्यों पर होना चाहिये। इन विचारों से सहमत होते हुए सरकार की यह सम्मति है कि जहां तक फेडरल सहकारी समितियों में अंश की साझेदारी का संबंध है, इसका निर्णय बहुत कुछ विशेषकर औद्योगिक सहकारी बैंकों के मामले में गुणावगुणों के आधार पर किया जायेगा ।

सिफारिश सं० 22—में इस का अनुबन्ध है कि (1) राज्य सरकारों द्वारा लघु उद्योग तथा अन्य सहकारी समितियों को भूमी इमारतों, और वर्कशापों आदि के लिये दिये गये ऋण की अदायगी की अवधि बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी जानी चाहिये, अदायगी की पहली किश्त ऋण दिये जाने के चौथे वर्ष दिन को देय हो जाती है । इस नमूने को युक्तिसंगत बनाने के लिये सरकार यह समझती है कि संभवतः राज्य सरकारें भी इस सिफारिश को स्वीकार कर लेंगी। संशोधित रूप अर्थात् अदायगी की पहली किश्त ऋण के दिये जाने के पांचवें वर्ष दिन पर देय होनी चाहिये; (2) सरकार यह सिफारिश स्वीकार करती है कि औद्योगिक सहकारी समितियों को उपकरणों के लिये प्राप्त बिना शर्त अनुदान तथा स्थायी आस्तियों की प्रथा के रूप में एक निधि को हस्तांतरित कर देनी चाहिये किन्तु उसकी यह भी सम्मति है कि उसका नाम 'अवक्षयण निधि' के स्थान

पर 'शोधन निधि' रखा जाना चाहिये ; और (3) अतिरिक्त अंशों का क्रय करने के लिये सदस्य के अंशदान का निश्चय, जो किश्त पूरी करने के लिये अपेक्षित राशि से कम नहीं होना चाहिये, समिति द्वारा सरकार अथवा वित्त-व्यवस्था करने वाले अभिकरण से सावधि ऋण की मांग करने से पहले ही कर लिया जाना चाहिये ।

सिफारिश सं० 23—सरकार द्वारा लघु उद्योग एवं अन्य सहकारी समितियों, सहकारी औद्योगिक बस्तियों तथा सेवा फेडरेशनों को दिये जाने वाले प्रबन्धकीय अनुदानों के संबंध में है, जो निम्न प्रकार है :—

(1) लघु उद्योग तथा अन्य सहकारी समितियों को दिये जाने वाले अनुदानों में निम्नलिखित पर होने वाला व्यय सम्मिलित किया जा सकता है :—

(क) एक प्रबन्धक अथवा एक सेक्रेटरी, (ख) लेखाकार (ग) एक इंजीनियर, डिजाइनर अथवा अन्य इसी प्रकार का टेक्नीशियन तथा (घ) समिति द्वारा नियुक्त एक प्रशिक्षित अथवा अनुभवी विक्रेता । सरकार का विचार है कि इस सिफारिश पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिये तथा प्रत्येक मामले के गुणावगुणों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों की समितियों के लिये अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित अधिकतम सीमा के अन्दर अनुदान निश्चित किया जाना चाहिये ।

(2) उपयुक्त सहकारी औद्योगिक बस्तियों को उनके एक प्रबन्धक, एक इन्जीनियर तथा एक लेखाकार के वेतन के लिये समंजित मान पर अनुदान दिया जा सकता है ; और

(3) सेवा फेडरेशनों के नमूने में कर्मचारियों का वेतन तथा कार्यालय के लिए लिया गया स्थान का किराया सम्मिलित किया जा सकता है ।

सिफारिश सं० 25: में यह बताया गया है कि (1) उन लघु उद्योगपतियों की सहकारी समिति को गठन करने की जांच की जानी चाहिए जिनके पास विभाग के द्वारा प्रबन्ध की गई औद्योगिक बस्तियों में वर्कशेड हैं । सरकार का विचार है कि जिस आधार पर सहकारी समितियों का गठन करने का सुझाव दिया गया है उसमें पर्याप्त समय लगेगा और उसकी जांच और उसे तैयार करने में सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी ।

(2) उन लघु उद्योग एककों की सहकारी समितियां बनाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए जो विभाग द्वारा चलाई गई सामान्य सुविधा वर्कशापों की सेवाओं का नियमित रूप से प्रयोग करते आ रहे हैं ।

सिफारिश सं० 26: में औद्योगिक समितियों को नियंत्रित कच्चे माल का अलग कोटा निर्धारित करने तथा उसे शीर्षस्थ औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के जरिये देने का सुझाव दिया गया है । भारत सरकार समझती है कि अभाव की वर्तमान परिस्थिति में औद्योगिक सहकारी समितियों के लिए कच्चा माल अलग-अलग निश्चित कर सकना संभव नहीं होगा फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राज्य सरकारें औद्योगिक सहकारी समितियों की आयातित और कच्चे माल की आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान देंगी । इस प्रकार का कोटा शीर्षस्थ और फेडरल औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के जरिये दिया जाना प्रत्येक मुख्यतः राज्य में प्रचलित प्रथाओं और कार्यक्रम पर निर्भर करेगा किन्तु इसके लिए लगातार प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

सिफारिश सं० 27: में यह अनुबन्ध है कि औद्योगिक सहकारी समितियों को 6 प्रतिशत से कम मूल्य अधिमान्य नहीं स्वीकृत किया जाना चाहिए तथा लघु औद्योगिक एककों को उनके उद्धरणों के लिए अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक एककों की तुलना में सम्पूर्ण रूप से 15 प्रतिशत का मूल्य अधिमान्य दिया जाना चाहिए । भारत सरकार समझती है कि औद्योगिक सहकारी समितियों को अखिल भारत के नमूने पर जिस आधार पर विशेष अधिमान्य का सुझाव दिया गया है वह संभव नहीं होगा । इस बात का सुनिश्चय कर लिया जाना चाहिए कि बड़े एककों की तुलना में लघु एककों को न्यूनतम 15 प्रतिशत अधिमान्य अवश्य मिलेगा । कुछ राज्यों में अधिक उदार नमूना अर्थात लघु औद्योगिक एककों की तुलना में औद्योगिक सहकारी समितियों के उत्पादों के लिए 10 प्रतिशत का मूल्य अधिमान्य की प्रथा इस समय प्रचलित है । ये चलते रह सकते हैं ।

सिफारिश सं० 28: में सुझाव दिया गया है कि औद्योगिक सहकारी समितियों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वे सभी प्रकार के औद्योगिक परिष्करण एककों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए । सरकार का विचार है कि परिष्करण उद्योगों को सहकारी अथवा उद्योग योजनाओं के अन्तर्गत, जैसा कि इस समय है, वित्तीय सहायता मिलती रह सकती है, आवश्यक तकनीकी तथा अन्य सहायता जो केन्द्रीय सरकार और राज्य के उद्योग विभागों द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियों को मिलती है, परिष्करण उद्योगों को भी दी जानी चाहिए ।

सिफारिश सं० 29: में सुझाव दिया गया है कि मूल्य उतार-चढ़ाव संबंधी निधि प्रमुख औद्योगिक सहकारी समितियों अथवा उनके फेडरेशनों से होने वाले शुद्ध लाभ में से निर्मित की जानी चाहिए । इसकी जांच खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की जाएगी ।

सिफारिश सं० 30: औद्योगिक सहकारी समितियों की वित्त-व्यवस्था करने में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अंश से संबंधित है । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम की धारा 17(2) (खख) के संशोधन से संबंधित सुझाव तथा केन्द्रीय वित्तपोषक अभिकरण को अपने साधनों का प्रयोग करने के लिए तैयार करने हेतु उपयुक्त तैयार करने की जांच कार्य विधि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के परामर्श से की जा रही है । भारत सरकार इस बात से सहमत है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया धारा 17(2) (खख) के अन्तर्गत उपयुक्त स्थान दे सकती है और राज्य सरकारें एक सामान्य गारंटी जारी कर सकती हैं जैसा कि कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है ।

सिफारिश सं० 33: में विद्यमान सहकारी समितियों की कार्य-पद्धति में सुधार करने के लिए सुझाव दिया गया है तथा नई जिला औद्योगिक सहकारी बैंकों की स्थापना करने के लिए किए जाने वाले उपाय बताए गए हैं । कुछ राज्यों में यह कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है । भारत सरकार का दृष्टिकोण यह है कि इस प्रकार के बैंक औद्योगिक सहकारी समितियों को संस्थागत वित्त-व्यवस्था करने में सहायक सिद्ध होंगे और वह यह चाहती है कि इस प्रकार के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में इस प्रकार के बैंकों का गठन करने के लिए निर्धारित शर्तों का कोई कठोर सिद्धान्त नहीं अपनाना चाहिए ।

सिफारिश सं० 35: में सुझाव दिया गया है कि सूती हथकरघे के अतिरिक्त उद्योगों की समितियों के लाभ के लिए कुछ शर्तों पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के स्थान पर सरकार द्वारा शीर्षस्थ सहकारी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए और ये निधियां केन्द्रीय सहकारी बैंकों की मर्जी पर रखी जा सकती हैं जो उन्हें औद्योगिक सहकारी समितियों को अल्प-कालिक या मध्य-कालिक के आधार पर, जैसी भी अवस्था हो, बैंक की सामान्य शर्तों पर दे सकती हैं । सिद्धान्त रूप से इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया ऋण

शीर्षस्थ बैंकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, सरकार का यह दृष्टिकोण है कि नमूना और कार्याविधि का ब्योरा तैयार करना होगा ।

सिफारिश सं० 36: में सुझाव दिया गया है कि औद्योगिक सहकारी समितियों को दिए गए ऋण पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दर कुछ अनुकूल होनी चाहिए किन्तु किसी भी दशा में मध्यम और लघु उद्योगों को जो ब्याज दर देनी पड़ती है इससे अधिक नहीं होनी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए ब्याज दरों को इस प्रकार युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए कि वे निधियों के सूत्र को ध्यान में रखे बिना अर्थात् चाहे वे केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य बैंकों या सहकारी बैंकों कहीं से भी प्राप्त हुए हों, समान रहेंगी । इससे प्रारम्भ करके कि किसी औद्योगिक सहकारी समिति से ली जाने वाली ब्याज रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की ब्याज दर से कम नहीं होनी चाहिए, इस संबध में दल ने आर्थिक-सामाजिक आधार पर संगठित लघु उद्योगों और समितियों के लिए अलग-अलग ब्याज की दरों का सुझाव दिया है । सरकार का विचार यह है कि ब्याज की दर उद्योग की किस्म, विकास की अवस्था तथा सरकारी सहायता की आवश्यकता के अनुसार बदलनी पड़ेगी । वह इसकी पुनरुक्ति करती है कि औद्योगिक सहकारी समितियों से जो ब्याज लिया जाता है वह व्यक्तिगत उद्यमियों से सामान्यतः लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है ।

सिफारिश सं० 41: कार्यकारी दल का अनुमान है कि चौथी योजना की समाप्ति तक समितियों की संख्या 68,000 हो जाएगी । जिनकी सदस्य संख्या 65 लाख तथा कार्यवाहक पूंजी 250 करोड़ रु० हो जाएगी । यह भी अनुमान लगाया गया है कि अनुदानों, छूट, विकास संबंधी तथा राजस्व संबंधी अन्य मदों पर सरकार का व्यय 65 करोड़ रु० तथा समितियों के अंश पूंजी ऋणों, अंश सांझेदारी, उपकरणों और वर्कशेडों आदि के लिए ऋण तथा बैंकों को ऋण देने पर 100 करोड़ रु० होगा । अतः चौथी योजना में उद्योगों के सहकारी विकास पर सरकार द्वारा 165 करोड़ रु० की व्यवस्था की जाने का अनुमान है । यह भी सुझाव दिया गया है कि नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 50 प्रतिशत लघु उद्योगों और औद्योगिक परिवारों को सहकारी समितियों में बदल दिया जाना चाहिए । कार्यकारी दल मणीनीकृत उद्योगों के क्षेत्र में, जिनमें से अधिकांश के सेवा सहकारी समितियां होने की आशा है, लघु उद्योगपतियों की सहकारी समितियों को तेजी से बढ़ाने की आशा करती है । सरकार इस प्रकार की समितियों को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में जागरूक है तथा चौथी योजना में इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था सम्मिलित करने के लिए प्रयत्न किया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया गया कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित कार्यालयों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया गया कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

के० वी० वेंकटचलम, संयुक्त सचिव

संशोधन

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 1966

सं० ई०ई०आई०-19(20)/65—भतपूर्व उद्योग तथा संभरण मंत्रालय (उद्योग विभाग) के संकल्प संख्या ई० ई० आई०-19 (20)/65, दिनांक 7 दिसम्बर, 1965 के संदर्भ में जिसमें विद्युत् उपकरण उद्योग में आयातित कच्चे माल के स्थान पर देशी सामान का प्रयोग करने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये एक समिति के गठन का उल्लेख किया गया था ।

संकल्प के पैरा 1(क) में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा :

क्रम संख्या 7 के पश्चात् जोड़िये

8. मेसर्स एसोशियेटेड इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्राइवेट लि०, 1 तारातोला रोड, गार्डेन रीच, डाकघर कलकत्ता ।

2. निश्चय किया गया है कि समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन 31 जनवरी, 1966 के बदले 31 दिसम्बर, 1966 को प्रस्तुत करेगी ।

के० एन० शिनाय, उप-सचिव

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1966

सं० 17(3)/65-वि० का० 4—दामोदर घाटी निगम के बिजली करों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार करने के लिये सिंचाई व बिजली मंत्रालय के संकल्प सं० 17(3)/65-वि० का० 4, दिनांक 18 अगस्त, 1965 के अधीन भारत सरकार ने तीन सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की थी । भारत सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के संयुक्त सचिव, श्री पी० एन० जैन इस समिति के अतिरिक्त सदस्य होंगे । सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट के प्रस्तुत करने की अवधि को फरवरी 1966 के अन्त तक बढ़ाने का भी निर्णय किया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों/भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/प्रधान मंत्री सचिवालय/राष्ट्रपति के निजी व सैनिक सचिव/भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक/योजना आयोग को सूचनार्थ भेजी जाए ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारों से प्रार्थना की जाए कि वे भी इस संकल्प को राज्य के राजपत्रों में आम सूचना के लिये प्रकाशित कर दें ।

संकल्प

दिनांक 23 फरवरी 1966

सं० 33/2/66-डी० डब्ल्यू० I—चम्बल नियन्त्रण बोर्ड के संस्थापन के सम्बद्ध, समय-समय पर संशोधित इस मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 11(2)/54-डी० डब्ल्यू० 1, दिनांक 14 अप्रैल, 1955 के पैरा 3 के अधीन आलेख (1) को निम्नलिखित आलेख में तबदील किया जाए:—

(1) सिंचाई व बिजली राज्य मंत्री, भारत सरकार—अध्यक्ष

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के पास भेज दिया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से प्रार्थना की जाए कि वे भी आम सूचना के लिये इस को राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित कर दें ।

के० पी० मथाई, सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 19th February 1966

No. 29-Pres./66.—The President is pleased to make the following awards to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

BAR TO THE POLICE MEDAL FOR GALLANTRY

Shri Bharatendu Prakash Singhal, I.P.S.,
Superintendent of Police, Fatehgarh,
Uttar Pradesh.

Shri Sukhrampal Singh,
Sub-Inspector of Police,
Fatehgarh District,
Uttar Pradesh.

POLICE MEDAL FOR GALLANTRY

Shri Ramendra Narain Pande,
Sub-Inspector of Police,
Fatehgarh District,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decorations have been awarded.

In November 1962, the notorious dacoit Ganga Singh kidnapped a boy, Sudhir Kumar, and held him for ransom. The dacoits sent a note saying that they were willing to hand over the boy provided a sum of Rs. 30,000 was paid. On 2nd December, Shri Bharatendu Prakash Singhal along with Sub-Inspectors Ramendra Narain Pande and Sukhrampal Singh, and the father of the boy went to the appointed place. Shri Singhal and Shri Pande were dressed as money lenders and Shri Sukhrampal Singh as a munim. At about 3.00 p.m. two dacoits approached Shri Singhal and told him to follow them towards the fields to take charge of the boy. When they were a short distance from the sugarcane and arhar fields, Shri Singhal refused to go any further, pretending to be afraid, and demanded that the boy be brought there. The dacoits were annoyed but called to their associates to come out. After sometime three persons emerged from the fields with the boy. Shri Singhal manoeuvered to the side of dacoit Dularey, who insisted that the money should be counted then and there. The munim (Shri Sukhrampal Singh) squatted on the ground and took out some bundles of notes. In the meantime Sub-Inspector Pande worked himself close to dacoit Lakhan. Finding that many of the bundles were fake, Dularey tried to shoot Shri Singhal but Shri Singhal was quick enough to shoot at the dacoit before he could fire and grappled with him. Sub-Inspector Sukhrampal Singh rushed to assist Shri Singhal but the dacoit was dead. At the same time Shri Pande caught Lakhan and felled him on the ground. Meanwhile, the other three dacoits ran off into the fields with the boy. The three Police officers chased the fleeing dacoits who disappeared among the crops. After combing the fields, the boy was rescued and dacoit Ujagar was arrested by Sub-Inspector Sukhrampal Singh after a hot chase.

Sarvashri Bharatendu Prakash Singhal, Ramendra Narain Pande and Sukhrampal Singh exhibited gallantry, initiative and devotion to duty of a high order at great personal risk.

2. These awards are made for gallantry under Rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal. In the cases of Shri Sukhrampal Singh and Shri Ramendra Narain Pande, they carry with them the special allowance admissible under Rule 5(b) and Rule 5(a) respectively, with effect from the 2nd December, 1962.

Y. D. GUNDEVIA
Secretary to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RULES

New Delhi, the 5th March 1966

No. 20/-1-/66-AIS(I).—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in October/November, 1966, for the purpose of filling vacancies in the following services are with the concurrence of the Ministries concerned and the Comptroller and Auditor General of India in respect of the Indian Audit and Accounts Service, published for general information :—

Category I

(i) The Indian Administrative Service, and

(ii) The Indian Foreign Service.

Category II

(i) The Indian Police Service, and

(ii) The Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Class II.

Category III

(a) *Class I Services* :—

(i) The Central Information Service, (Grade II), Class I.

(ii) The Indian Audit & Accounts Service.

(iii) The Indian Customs and Central Excise Service,

(iv) The Indian Defence Accounts Service,

(v) The Indian Income-tax Service (Class I),

(vi) The Indian Ordnance Factories Service, Class I, (Assistant Managers—Non-Technical),

(vii) The Indian Postal Service, Class I,

(viii) The Indian Railway Accounts Service, and

(ix) The Transportation (Traffic) and Commercial Department of the Superior Revenue Establishment of Indian Railways.

(b) *Class II Services* :—

(i) The Central Secretariat Service, Section Officers' Grade, Class II,

(ii) The Customs Appraisers' Service, Class II,

(iii) The Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, Class II.

(iv) The Railway Board Secretariat Service, Class II, and

(v) The Military Lands and Cantonments Service, Class II.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Schedule Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 and the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. The combined competitive examination for recruitment to I.A.S. etc. is to be treated as comprising three separate and distinct examinations for three categories of Services, *viz.*, (I), I.A.S. and I.F.S.C.(II) I.P.S. and Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service and (III) Central Services and Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu or is not a migrant from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than two times at the examination for each of the three categories of Services mentioned in Rule 4 above, but this restriction is effective from the examination held in 1961.

NOTE.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in *any* one or more subjects.

6. (1) For the Indian Administrative Service and the Indian Police Service, a candidate must be a citizen of India.

(2) For other services, a candidate must be either—

(a) citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Ttibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the Government of India, and if he belongs to category (f) the certificate of eligibility, will be issued for a period of one year after which such a candidate will be retained in service subject to his having acquired Indian citizenship.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

(i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then.

(ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens under Article 6 of the Constitution.

(iii) Non citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constition, *viz.*, 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will, however, require certificate of eligibility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

7. (a) (i) A candidate for the Indian Administrative Service, the Indian Foreign Service and for all the remaining services, excepting the Indian Police Service and Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service mentioned in paragraph 1 above must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 24 years on the 1st August, 1966 *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd August, 1942 and not later than 1st August 1945.

(ii) A candidate for the Indian Police Service and Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service must have attained the age of 20 years, and must not have attained the age of 24 years on the 1st August, 1966 *i.e.* he must have been born not earlier than 2nd August, 1942 and not later than 1st August 1946.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at one stage or another;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goad, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the the United Republic of Tanzania (formrely Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963; and

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

8. A candidate must hold a degree of any of the Universities enumerated in Appendix I or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

Provided that a candidate for the Transportation (Traffic) and Commercial Department of the Superior Revenue Establishment of Indian Railways in Category III may possess any of the above qualifications *or* any of the qualifications mentioned in Appendix I-B.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such a candidate will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if he does not produce proof of having passed the examination, as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the forgoing quallfications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

9. A candidate who is appointed to a Service in Category I (I.A.S. or I.F.S.) on the results of an earlier examination will *not* be eligible to compete at this examination.

A candidate who is appointed to a Service mentioned in col. (ii) below on the results of an earlier examination will be eligible to compete at this examination only for Services mentioned against that Service in col. (iii) below :

S.No.	Service to which appointed	Services for which eligible to complete
(i)	(ii)	(iii)
1.	Indian Police, Service	(*i*) Category I (I.A.S. and and I.F.S.). (*ii*) Central Services, Class I, in Category III.
2.	Central Services, Class I	(*i*) Category I (I.A.S. and and I.F.S.). (*ii*) I.P.S. in Category II.
3.	Central Services, Class II, Delhi-Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service and Delhi-Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service.	(*i*) Category I (I.A.S. and I.F.S.). (*ii*) I.P.S. in Category II. (*iii*) Central Services, Class I, in Category III.

10. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice. No claim for a refund of the fee will be entertained except to the extent stated in that Annexure nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

11. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or a temporary capacity, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

12. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

13. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution.—

(a) be debarred permanently or for a specified period:—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

17. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission in their discretion to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the Commission for any Service, is declared by them to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration shall be recommended for appointment to vacancies reserved for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, in that Service.

18. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. Due consideration will be given to the preferences expressed by a candidate at the time of his application, but the Government of India reserve the right to assign him to any Service for which he is a candidate.

Provided that a candidate who is appointed to a Service in Category I (I.A.S. or I.F.S.), on the results of an earlier examination, will *not* be considered for allotment to any other Service on the results of this examination.

Provided further that a candidate who is appointed to a Service mentioned in col. (ii) below on the results of an earlier examination will be considered only for allotment to Services mentioned against that Service in col. (iii) below, on the results of this examination.

S.No.	Service to which appointed	Service to which allotment will be considered
(i)	(ii)	(iii)
1.	Indian Police Service	(*i*) Category I (I.A.S. and I.F.S.) (*ii*) Central Services, Class I, in Category III.
2.	Central Services, Class I	(*i*) Category I (I.A.S. and I.F.S.). (*ii*) I.P.S. in Category II.
3.	Central Services, Class II, Delhi-Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service and Delhi—Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service.	(*i*) Category I (I.A.S. and I.F.S.). (*ii*) I.P.S. in Category II. (*iii*) Central Services, Class I, in Category III.

20. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

21. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the Personality Test by the Commission may be required to undergo medical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix IV to these Rules.

22. (a) No male candidate who has more than one wife living or who having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to any of the Services, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any male candidate from the operation of this rule.

(b) No female candidate whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to any of the Services, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any female candidate from the operation of this rule.

23. It will be open to the Government of India, not to appoint to the Indian Administrative Service/Indian Police Service/Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Island, Civil Service/Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, a woman candidate who is married or to require such a candidate who is not married, to resign from the Service in the event of her marrying subsequently if the maintenance of the efficiency of the Service so requires.

24. Four the Indian Foreign Service a woman candidate is eligible only if she is unmarried or a widow without encumbrances. If such a candidate is selected, she will be appointed on the express condition that she might be called upon to resign from the Service on marriage or re-marriage.

Under no circumstances, the officers appointed to the Indian Foreign Service Branch 'A' will be allowed to marry persons other than of Indian nationality.

25. Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates have to take after entry into service.

O. S. MARWAH, Under Secy.

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India (vide *Rule* 8)

INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India and other educational institutes established by an Act of Parliament, or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

UNIVERSITY IN BURMA

The University of Rangoon.

ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

SCOTTISH UNIVERSITIES

The Universities of Aberdeen Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College).
The National University of Dublin.
The Queen's University, Belfast.

UNIVERSITIES IN PAKISTAN

The University of Punjab.
The Dacca University.
The University of Sind.
The Rajshahi University.

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination (*vide* Rule 8).

1. French Examination "Baccalaureat."

2. French Examination "Propedeutique."

3. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.

4. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.

5. Diploma in Commerce of All India Council for Tech. Education.

6. Diploma in Civil, Mechanical or Electrical Engineering of the All India Council for Tech. Education.

7. 'Higher Course' of Shri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full student."

8. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.

APPENDIX I-B

List of qualifications recognised for admission to the examination for the Transportation (Traffic) and Commercial Department of the Superior Revenue Establishment of Indian Railways only (*vide* proviso to Rule 8).

(i) A pass in Section A and B of the Associate membership examination of the Institution of Engineers (India); or such educational qualifications as are now or may subsequently be recognised by that institution as exempting candidates from passing Sections A and B of that examination; or

(ii) Associateship or Fellowship of the Indian Institute of Science, Bangalore; or

(iii) Hons Diploma in Civil, Mechanical or Electrical Engineering of the Loughborough College, Leicestershire, provided that a candidate has passed the common preliminary examination or has been exempted therefrom; or

(iv) A pass in Graduate Membership Examination of the Institution of Tele-Communication Engineers (India); or

(v) A pass in Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers (London) held after November, 1959.

The Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers (London) held prior to November, 1959, is also acceptable subject to the following conditions :—

(1) that the candidates who have passed the examinations held prior to November, 1959, should have appeared and passed in the following additional subjects :

(i) Principles and applications of Electrical Engineering (in accordance with the syllabus prescribed in Section A of Post-1959 Scheme).

(ii) Mathematics II (in accordance with the syllabus prescribed in Section B of Post-1959 Scheme).

(2) that the candidates concerned should produce a certificate from the Institution of Electronics and Radio Engineers (London) in fulfilment of the condition prescribed at (1) above.

APPENDIX II

SECTION I

Plan of the Examination

The competitive examination comprises :—

(A) Written examination in—

(i) three compulsory subjects (for all Services), Essay, General English, and General Knowledge, each with a maximum of 150 marks [*see* Sub Section (a) of Section II below];

(ii) a selection from the optional subjects set out in Sub-Section (b) of Section II below. Subject to the provisions of that Sub-Section, candidates may take optional subjects up to a total of 600 marks for all Services except the Services under Category II (c.f Rules 1 & 4) for which optional subjects up to a total of 400 marks only may be taken. The standard of these papers will be approximately that of an Honours Degree Examination of an Indian University: and

(iii) a selection from the additional subjects set out in Sub Section (c) of Section II below. Subject to the provision of that Sub Section, candidates may take additional subjects up to a total of 400 marks for the Indian Administrative Service and Indian Foreign Service (Category I). The standard of these papers will be higher than that prescribed for the optional subjects under Sub Section (A) (ii) above.

(B) Interview for Personality Test (*vide* Part D of the Schedule to this Appendix) of such candidates as may be called by the Commission, carrying maximum marks as follows :

Category I	
Indian Foreign Service	400
Indian Administrative Service	300
Categories II & III	
All Services	200

SECTION II

Examination Subjects

(a) *Compulsory subjects* (*vide Sub-Section* A(i) of Section I above) :—

	Maximum Marks
(1) Essay	150
(2) General English	150
(3) General Knowledge	150

Note.—The syllabi of the subjects mentioned above are given in Part A of the Schedule to this Appendix.

(b) *Optional subjects* (*vide* Sub Section A(ii) of Section I above)

Candidates or Services under Category II (cf. Rules 1 and 4) may offer any two, and for all other Services any three of the following subjects :—

	Maximum Marks
(1) Pure Mathematics	200
(2) Applied Mathematics	200
(3) Statistics	200
(4) Physics	200
(5) Chemistry	200
(6) Botany	200
(7) Zoology	200
(8) Geology	200
(9) Geography	200
(10) English Literature	200
(11) Hindi	200
(12) One of the following— Arabic, Chinese, French, German, Latin, Pali, Persian Russian, Sanskrit and Spanish	200
(13) Indian History	200
(14) British History	200
(15) European History	200
(16) World History	200
(17) General Economics	200
(18) Political Science	200
(19) Philosophy	200
(20) Law	200
(21) Public International law	200
(22) Mercantile Law	200
(23) Advanced Accountancy & Auditing	200
(24) Applied Mechanics	200
*(25) Prime Movers	200

Provided that the following restrictions shall apply to particular optional subjects :

(i) Of the subjects 1, 2 and 3, not more than two can be offered for any Service.

(ii) Candidates for Services other than the Indian Foreign Service may not offer more than one of the languages mentioned under item 12 above. For the Indian Foreign Service only, candidates are allowed to offer any two of these languages; but no candidate shall be allowed to offer both Pali and Sanskrit.

(iii) Of the History subjects 13, 14, 15 and 16, not more than two can be offered for any Service but no candidate shall be allowed to offer both World History and European History.

(iv) Of the Law subjects 20, 21 and 22, not more than two can be offered for any Service.

(v) Subjects 24 and 25 must not be offered for the Services under Category II.

*The subject "Prime Movers" will be deleted from the scheme of the examination to be held in 1967 and onwards.

NOTE.—The syllabi of the subjects mentioned above are given in Part B of the Schedule to this Appendix.

(c) *Additional subjects* (*vide* Sub Section A(iii) of Section I above).

Candidates competing for the Indian Administrative Service/Indian Foreign Service (Category I), must also select any two of the following subjects :—

	Maximum Marks
(1) (a) Higher Pure Mathematics	200
or	
(b) Higher Applied Mathematics	200
(2) Higher Physics	200
(3) Higher Chemistry	200
(4) Higher Botany	200
(5) Higher Zoology	200
(6) Higher Geology	200
(7) Higher Geography	200
(8) English Literature (1798—1935)	200

	Maximum Marks
(9) (a) Indian History I (From Chandragupta Maurya to Harsha)	200
or	
(b) Indian History II [The Great Mughals (1526—1707)]	200
or	
(c) Indian History III (From 1772 to 1950)	200
or	
(d) British Constitutional History (From 1603 to 1950)	200
or	
*(e) European History (From 1789 to 1878)	200
(10) (a) Advanced Economics	200
or	
(b) Advanced Indian Economics	200
(11) (a) Political Theory from Hobbes to the present day	200
or	
(b) Political Organisation and Public Administration	200
(12) (a) Advanced Metaphysics including Epistemology	200
or	
(b) Advanced Psychology including Experimental Psychology	200
(13) (a) Constitutional Law of India	200
or	
(b) Jurisprudence	200
(14) (a) Medieval Civilisation as reflected in Arabic Literature (570 A.D.—1650 A.D.)	200
or	
(b) Medieval Civilisation as reflected in Persian Literature (570 A.D.—1650 A.D.)	200
or	
(c) Ancient Indian Civilisation and Philosophy	200
(15) Anthropology	200
(16) Sociology	200

Provided that no candidate shall be allowed to offer both Indian History I [9(a)] and Ancient Indian Civilisation and Philosophy [14(c)].

*The coverage of the paper on European History from 1789 to 1878 will be revised to "1871 to 1945" for the examination to be held in 1967 and onwards.

NOTE.—The syllabi of the subjects mentioned above are given in Part C of the Schedule to this Appendix.

SECTION III

General

1. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH, EXCEPT QUESTION PAPERS IN LANGUAGES WHICH, UNLESS SPECIFICALLY REQUIRED OTHERWISE, MAY BE ANSWERED IN ENGLISH OR IN THE LANGUAGE CONCERNED.

2. The duration of each of the papers referred to in Sub-Sections (a), (b) and (c) of Section II above will be 3 hours.

3. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

4. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

5. For the Indian Administrative Service and the Indian Foreign Service (Category I) the two additional papers of only such candidates will be examined and marked as attain such minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion at the written examination in all the other subjects.

6. If a candidate's handwriting is not easily legible a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

7. From the marks assigned to candidates in each subject such deduction will be made as the Commission may consider necessary in order to secure that no credit is allowed for merely superficial knowledge.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

9. Candidates are expected to be familiar with the metric system of weights and measures. In the question papers, wherever necessary, questions involving the use of metric system of weights and measures may be set.

SCHEDULE

PART A

[Vide *Sub-Section (a) of Section II of Appendix II*]

1. *Essay.*—Candidates will be required to write an essay in English. A choice of subjects will be given. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression.

2. *General English.*—Candidates will be required to answer questions designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Some of the questions will be devised to test also their reasoning power, their capacity to perceive implications, and their ability to distinguish between the important and the less important. Passages will usually be set for summary or precis. Credit will be given for concise and effective expression.

3. *General Knowledge.*—Including knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on Indian History, and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study, and questions on the teachings of Mahatma Gandhi.

PART B

[Vide *Sub-Section* (b) *of Section II of Appendix II*]

1. *Pure Mathematics.*—The subjects included will be :—

Algebra, Trigonometry and Theory of Equations with Determinants.

Pure Plane Geometry and Analytical Geometry of two and three dimensions.

Differential and Integral Calculus and Differential equations.

2. *Applied Mathematics.*—The subjects included will be :—

Statics (including Theory of Attractions and Potentials) and *Hydrostatics.*

Dynamics of a particle and Elementary Rigid Dynamics.

3. *Statistics.*—Frequency distributions, average, percentiles, and simple methods of measuring dispersion, graphic methods, treatment of qualitative data, *e.g.*, investigation of association by comparison of ratios, the practice of graphic and algebraic methods of interpolation.

Practical methods used in the analysis and interpretation of statistics of prices, wages and incomes, trade transport, production and consumption, education, etc., methods of dealing with population and vital statistics, miscellaneous methods used in handling statistics of experiments or observations.

Elements of modern mathematical theory of statistics, frequency curves and the mathematical representation of groups generally, accuracy of sampling as affecting averages, percentages, the standard deviation, significance of observed differences between averages of groups, etc., the theory of correlation for two variables.

4. *Physics.*—

General Properties of Matter and Mechanics.—Units and dimensions. Rotational motion and Moments of inertia. Gravity, Gravitation, planetary motion. Stress and Strain relationship, elastic modulii and their inter-relations. Surface tension, capillarity. Flow of incompressible fluids. Viscosity of liquids and gases.

Sound.—Forced vibrations and resonance. Wave motion Doppler effect. Vibration of strings and air-columns. Measurement of frequency, velocity and intensity of sound Musical scales. Accoustics of halls. Ultrasonics.

Heat and Thermodynamics.—Elements of the kinetic theory of gases. Brownian motion. Van der Waal's equation of state. Measurement of temperature, specific heat and thermal conductivity. Joule-Thomson effect and liquefaction of gases. Laws of thermodynamics. Heat engines. Black body radiation.

Light.—Geometrical optics, and simple optical systems. Telescope and microscope. Defects in optical images and their corrections. Wave theory of light. Measurement of velocity of light. Interference, diffraction and polarization of light. Simple interferometers. Elements of spectroscopy. Raman effect.

Electricity and Magnetism.—Calculation of field and potential in simple cases. Gauss's theorem. Electrometers. Electrical and magnetic properties of matter and their measurement. Magnetic field due to electric current. Galvanometers. Measurement of current and quantity of electricity. Potentiometer. Resistance, inductance and capacitance: and their measurement. Thermo-electricity. Elements of alternating currents. Dynamos and motors. Electrolysis. Electromagnetic waves. Radio valves and their simple applications, transmission and reception of wireless waves. Television.

Elements of Modern Physics.—Elementary projects of electron, proton and neutron. Planck's constant and its measurement. Bohr's theory of the atom. X-rays and their properties. Elements of radioactivity, and properties of alpha, beta and gamma rays. Nuclei of atoms. Elements of the special theory of relativity, mass and energy. Fission and fusion. Cosmic rays.

5. *Chemistry.*—

Inorganic Chemistry.—Structure of the atom. The Periodic Law. Radioactivity. Isotopes. Artificial transmutations of elements. Nuclear fission. Nature of chemical bonds. The inert gases of the atmosphere. Chemistry of the more common and useful elements and their compounds. Rare earth elements. Hydrides, oxides, oxyacids, peracids and persalts, and carbides. Inorganic complexes. Basic principles of chemical analysis.

Organic Chemistry.—Petroleum and petroleum products. Chemistry of the following classes of aliphatic compounds : Saturated and unsaturated hydrocarbons, alcohols, ethers, aldehydes, ketones, mono and di-carboxylic acids, esters, substituted carboxylic acids; thio, nitro and cyano compounds, amines, urea and ureides, organometallic compounds, monosaccharides (including structures) carbohydrates and proteins (general ideas). Simple alycyclic compounds. Strain theory.

Aromatic.—

Benzene, napthalene and anthracene and their principal derivatives; coaltar distillation, phenols, aromatic alcohols, aldehydes, ketones. Aromatic acids and hydroxy acids. Steric hindrance. Arylamines. Diazo, azo and hydrazo compounds. Quinones. Heterocyclic compounds. Pyrole, pyridine, quinoline, indole and indigo. Azo, triphenylmethane and phthalein dyes.

Simple molecular re-arrangements. Isomerism, stereoisomerism and tautomerism. Polymerisation.

Physical Chemistry.—The kinetic theory. Properties of gases. Equations of state (Van der Waals, Dieterici). The critical state. Liquefaction of gases. Physical properties of liquids in relation to their chemical constitution. Elementary Crystallography.

The first and second laws of thermodynamics and their application to simple physical and chemical processes. Chemical equilibrium and Law of Mass Action. Le Chatelier's Principle. The Phase Rule and its application to one-component systems and to the iron-carbon system.

Rate and order of a reaction. First and second order reactions. Chain reactions. Photochemical reactions. Catalysis. Adsorption.

Electrolytic dissociation. Ionic equilibria. Acid-base equilibria and indicators. Study of electrolytic conductance and its applications. Electrode potentials. E.M.F. of cells. Measurements of E.M.F. and their applications.

6. *Botany.*—

Form, structure, habit, economic importance, life-histories and inter-relationships of the important representatives of the various groups and sub-groups or families and sub-families of cryptogams (including bacteria and viruses) and phanerogams, with special reference to Indian plants.

The fundamental principles and processes of plant physiology.

A general knowledge of important diseases of crop plants in India and methods of their control and eradication.

The basic facts relating to ecology and plant geography, with special reference to Indian flora and the botanical regions of India.

Basic knowledge about evolution, cytology, genetics and plant breeding.

Economic uses of plants, specially flowering plants, in relation to human welfare, particularly with reference to such vegetable products as foodgrains, pulses, fruits, sugars and starches, oil-seeds, spices, beverages, fibres, woods, rubber, drugs, and essential oils.

A general familiarity with the development of knowledge relating to the botanical science.

7. *Zoology.*—

The classification, bionomics, morphology, life-history, and relationships of non-chordates and chordates, with special reference to Indian forms.

Functional morphology (form, structure and function) of the integument, endoskeleton, locomotion, feeding, blood-circulation, respiration, osmoregulation, nervous system, receptors and reproduction. Elements of vertebrate embryology.

Evolution : evidences, theories and their modern interpretations. Mendelian inheritance; mutation. Structure of animal cell; basic principles of cytology & genetics. Adaptation and distribution.

8. *Geology.*—

Physical Geology and Geomorphology.—Origin, structure, interior and age of the Earth. Geosynclines and mountains. Isostasy. Origin of continents and oceans. Continental drift. Seismology. Volcanology. Geological action of surface agencies.

Structural and Field Geology.—Common structures of igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Study of folds, faults, unconformities, joints and thrusts. Elementary ideas of methods of geological Surveying and Mapping.

Crystallography and Mineralogy.—Elements of crystal forms and symmetry; Laws of Crystallography; Crystal systems and classes; Crystal habits; twining. Stereographic projections. Physical, chemical and optical properties of minerals. Study of more important rock-forming and economic minerals regarding their chemical and physical properties, crystallographic and optical characters, alterations, occurrence, and commercial uses.

Stratigraphy and Palaeonotology.—Principles of Stratigraphy Indian Stratigraphy. Lithological and Chronological subdivisions of Geological record. Fossils—nature and mode of preservation; bearing on Organic evolution. Invertebrate and plant fossils.

Economy Geology.—Theories of Ore genesis; Classification, geology, occurrence, localities and resources of chief metallic and non-metallic minerals of India. Mineral industries in India. Principles of Geophysical prospecting and ore dressing.

Petrology.—Origin, constitution, structure and classification of igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Study of common Indian Rock types.

9. *Geography.*—Physical and Human Geography of the world with special reference to India. Principles of Physical Geography comprising a detailed study of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere, leading up to the modern views regarding cycle concepts, isostasy, processes of mountain formation, weather phenomena, surface and sub-surface movement of ocean waters, etc.

Principles of Human Geography comprising a detailed study of the distribution of man on the basis of culture, race, religion, etc., environment and mode of life, population trends, population movements.

Candidates are expected to have a detailed knowledge of physical, human and economic geography of India.

10. *English literature.*—Candidates will be expected to show a general knowledge of the history of English Literature from the time of Chaucer to the end of the reign of Queen Victoria, with special reference to the works of the following authors :—

Shakespeare, Milton, Dryden, Johnson, Wordsworth, Keats, Dickens, Tennyson, Arnold and Hardy.

Evidence of first-hand reading will be required. The paper will be designed also to test the candidates' critical ability.

11. *Hindi.*—Candidates will be expected to have a general knowledge of the History of Hindi Literature from Chand Bardai to Premchand, as in paras. (2) & (3) below. They will also be expected to have a general idea of the evolution of Hindi language and its relationship to other Indian languages.

(2) Medieval Hindi Literature, with special reference to the works of Kabir, Nanak, Jayasi, Surdas, Tulsidas, Mira, Abdur Rahim Khankhana (Rahim), Keshava Das, Bihari and Bhushan.

(3) Modern Hindi Literature from Lalluji Lal to Premchand.

NOTE I.—Evidence of first-hand reading will be required. Candidates will also be expected to show general acquaintance with major literary works produced during the period in other Indian languages.

NOTE II.—Candidates will be expected to possess such knowledge of general social history as will enable them to understand the background of the development of the tendencies of Hindi literature during the last one hundred years.

12. *Languages.*—Candidates will be expected to show a knowledge of the principal classical authors and to be able to translate from and compose in the language.

NOTE.—Candidates for Arabic, Persian and Sanskrit may be asked to answer some questions in Arabic, Persian or Sanskrit as the case may be. Answers required to be written in Sanskrit must be written in the Devanagiri script.

13. *Indian History.*—From the beginning of the reign of Chandragupta Maurya to the establishment of Indian Republic. The paper will include questions on political, constitutional, economic and cultural developments.

14. *British History.*—The period of study will be from 1485 to 1945. The paper will include questions on political, constitutional, economic and cultural developments.

15. *European History.*—The period of study will be from 1789 to 1945. The paper will include questions on political diplomatic, economic and cultural developments.

16. *World History.*—(From 1789 to 1945). Candidates will be expected to possess sound knowledge of the major political and economic developments in the world, with special reference to Europe, the U.S.A., the Far East, the Middle East and the African continent. There will be special emphasis on international events of world importance.

Candidates will also be expected to be familiar with cultural developments as reflected in contributions to civilization as a whole, in the fields of science, literature and art.

17. *General Economics.*—Candidates will be expected to have a general knowledge of (a) the principles of economic analysis; and (b) the history of economic doctrines.

They should be able to apply their knowledge of theory to an analysis of the current economic problems of India.

18. *Political Science.*—Candidates will be expected to show a knowledge of political theory and its history, political theory being understood to mean not only the theory of legislation but also the general theory of the State. Questions may also be set on constitutional forms, (Representative Government, Federalism, etc.) and Public Administration, Central and Local. Candidates will be expected to have knowledge of the origin and development of existing institutions.

19. *Philosophy.*—The candidates will be expected to be familiar with History and Theory of Ethics, Eastern and Western, with special reference to the problems of Moral Standards and their application, Moral Judgement, Determinism and Free Will, Moral Order and Progress, relation between Individual, Society and the State, theories of Crime and Punishment, and relation of Ethics to Religion.

They will also be expected to be familiar with History of Western Philosophy, with special reference to nature of Philosophy and its relation to Science and Religion, theories of Matter and Spirit, Space and Time, Causation and Evolution, and Value and God, and with History of Indian Philosophy (including orthodox and heterodox systems), with special reference to theories of God, Self and Liberation, and Causation, Evolution and Appearance.

20. *Law.*—Constitutional Law of the Republic of India and the United Kingdom, Jurisprudence, Torts, Indian Law of Contract, Indian Evidence Act, Indian Penal Code.

21. *Public International Law.*—

Nature and Sources of International Law. History of International Law. The School of International Law. International Law and Municipal Law.

States as persons of International Law. Acquisition and loss of international personality. State recognition. State succession.

Rights and duties of States. Principle of equality. Jurisdiction of States.

Treaties.

Agents of International intercourse. Privileges and immunities of diplomatic agents. The individual and international Law. Aliens. Nationality. Naturalisation. Statelessness. Extradition. War Criminals.

Modes of settlement of International disputes.

War : Declaration : effects.

Laws of Land, sea and aerial warfare.

War in self-defence. Collective security. Regional pacts. Outlawry of war. Laws of belligerent occupation. Belligerency and insurgency.

Methods of warfare. Prisoners of war. Right of visit and search. Prize courts.

Blockade and contraband.

Neutrality and neutralisation. Rights and duties of neutral states in war. Unneutral service. Neutrality under the Charter of the U.N.

The Charter of the U.N. and covenant of the League of Nations. Principal organs of the United Nations. Specialised International Organisations.

Candidates will be expected to show familiarity with cases, including the pronouncements of the International Court of Justice.

22. *Mercantile Law.*—The main principles of the law relating to :

Agreements

Contracts.

Bailment.

Pledge.

Sale of Goods

Agency.

Partnership.

Indemnity and Guarantee.

Negotiable Instruments

Company Law and Liquidation of Companies.

Life, Fire, Marine Insurance.

Common Carriers and Carriage of Goods by Land, Sea and Air.

Insolvency.

23. *Advance Accountancy and Auditing.*—

Accounts relating to.—Partnership, Joint Stock Company, Amalgamation, Absorption and Reconstruction, Holding and Subsidiary Companies, Insolvency, Liquidation, Double Accounts System, Hire Purchase and Instalment Systems, and Non-trading organisations, Branch Accounts, Bank Accounts, Contract Accounts, Insurance Accounts, Royalty Accounts, Criticism of Published Accounts, Problems relating to Goodwill, Depreciation and Reserves, etc.

Cost Accounts.—Aims and objects of costing. Principal systems of ascertaining costs for different types of industries and their characteristics. Methods of apportionment of *on cost*, Treatment and Control of Materials, Stores and Stocks. Treatment of wages and other expenses. Pricing of Stores and Stocks, Forms of Cost Ledger, Stores-Ledger, Purchase Journal, Stores Requisition Note, Goods Received Book, Bin Card, Time Sheet Wages Summary, Cost Sheet and other necessary rulings, Ascertainment of Cost and ex-Works Price under Controlled Economy. Practical Problems relating to Cost Accounting.

Principles and procedure of auditing.—Audit of Firms, Joint Stock Companies and Public Utilities. Rights, Duties and Liabilities of Auditors, Internal Check, Auditor's appointment and qualifications. Auditor's Report, Investigation and their conduct. Divisible Profits and Dividends. Legal decisions relating to audit matters, problems relating to audit.

Income-tax.—Application of Income-tax Act and exemptions. Income-tax authorities. Heads of income and their assessment. Previous year, Assessment year, Depreciation. Free of tax and Less Tax. Set-off. Computation of Total Income and tax payable by assessees. Assessment of Individuals, Firms, Joint Stock Companies, Hindu undivided family, Association of persons. Assessment of new business and discontinued business. Method and principles relating to assessment to supertax. Practical problems.

24. *Applied Mechanics.*—

BUILDINGS

Consideration of Materials used in the construction of roof-trusses. Steel and Timber. Determination of stresses in trusses by various methods. Dead-loads and wind pressure. Factors of safety and working stresses.

Design of roof-trusses. Various types of roof-trusses and roof-coverings; collar beam and hammer beam trusses.

Use of Euler's, Gordon's, Rankine's, Fidler's, Johnson's and straight line formulae in the design of struts, Buckling factor of struts; curves showing comparative strength of struts obtained by various formulae. Choice of size of sections. Finish of steel work. Joints. Design of end-bearings; methods of fixing and supporting ends.

Application of circles and ellipse of stress and Clayepron's theorem to design of structures.

Cast Iron and Steel Columns.—Flange and web connections to steel Columns; caps; bases; transverse bracing of columns.

Foundations.—Safe pressures. foundations for columns. Slab foundations, cantilever foundations; grillage foundations. Wells. Piles.

Retaining Walls and Earth Pressures.—Rankine's theory. Wedge theory. Winkker's and Blight's graphical constructions with corrections. Design of various types of retaining walls in masonry.

Tall Masonry and Steel Chimneys.—Theory and design.

Design of Steel and Masonry Reservoirs; with considerations of wind-pressures.

Deflection of framed structures and determination of stresses etc., in redundant frames.

Influence diagrams for bending moment and shear for uniformly distributed and irregular loads on trusses, built in beams, and three pinned parabolic; semi-elliptic and semi-circular arches.

General principles of dome design.

Principles of Building Design; consideration of loads on buildings; Steel-works, girders, etc., for buildings.

BRIDGES

Design of superstructure. Determination by graphical and analytical methods of bending moment due to moving loads, wind pressures.

Design of masonry bridges and culverts.

Plate-webb girders. Analysis of stresses.

Warren and lattice girders.

Three pinned arches; doubly pinned and rigid arches.

General consideration on the design of suspension, cantilevers and tubular bridges.

Steel arched bridges.

Swing bridges.

REINFORCED CONCRETE

Shear, bond and diagonal tension, its nature, evaluation and location of reinforcement.

Design of simple and doubly reinforced beams and continuous beams.

Theory and design of reinforced concrete columns and piles.

Design of slab foundations.

Design of simple cantilever and counterfort retaining walls.

Equivalent moments of inertia for reinforced concrete sections.

Theory of elastic deflections and outline of investigation of stresses in reinforced concrete arches.

GENERAL

Analysis of stress, analysis of strain, elastic limit and ultimate strength. Relation between the elastic constants. Launhardt-Weyrauch formula for working stresses in a structural member and determination of its cross sectional area. Repetition of stresses. Bending moment and shearing force diagrams for dead loads. Graphical determination of stresses in frames; effect of wind pressure; method of sections. Stress in the cross-section of a beam due to bending (M/I-F/Y-E/R); compound and conjugated stresses. Rankine's theory of earth-pressure; depth of foundations strength of footings. Grillage foundations; Coulomb's theory of earth-pressure. modification due to Rebahn.

Bending moment and shearing force diagrams for live loads. Analysis of uniform and uniformly varying stress; Elastic theory of bending beams; bending and shear stresses in beams, Modulus of section and equivalent areas. Maximum and minimum stresses in a joint due to eccentric loading. Stresses in damps and chimneys. Stability of block, work structures, Design of rivetted joints and stresses in boiler shells. Euler's theory concerning struts, modifications due to Rankine, Gordon and others, Torsion, Combined torsion and bending deflections. Encastre beams. Continuous beams and theorem of three moments. Elastic theory of arches. Masonry arches.

25. *Prime Movers.*—

FUEL, GAS PLANTS AND BOILERS

Fuel.—Coal, wood, petroleum, gas, petrol, alcohol, etc., Physical characteristics, approximate chemical composition; heat of combustion.

Gas Plants.—Gas producers, pressure and suction plants, arrangements and working.

Boilers.—Draught; natural, forced and induced. Ordinary forms of stationary locomotive, marine water-tube, and other types; heating surface, fire-grate area; boiler efficiency superheaters; feed-water heaters, accessories and management.

THEORY OF HEAT ENGINES

Thermodynamical principles; Carnot's cycle; perfect heat engine; second law.

Air Engines.—Stirling and other forms.

Internal Combustion Engines.—Gas, oil and petrol engines. types and working features of cycles. Proportioning of mixtures; efficiencies.

Steam.—Thermodynamics of the generation, expansion and condensation of steam; heat-diagrams, etc.

Steam engines and turbines, with special references to modern developments.

Refrigerating Plants.—Theory and General arrangement of the more common types.

Air Compressors.—Theory of pneumatic working.

GENERATING PLANTS, ACCESSORIES AND DETAILS

General arrangements and construction of the more important types.

Condensers, air-pumps, circulating pumps, cooling tanks, etc.

Carburettors, and system of ignition.

Cylinders, pistons, cross-heads, guides, connecting rods, cranks, governors, fly-wheels, valves and valve-gears; glands and pipies.

Engine Testing.—Consumption of steam and fuel, gas, and oil brakes, and dynamo-meters, indicators and indicator diagrams,

PART C

[Vide *Sub-Section (c) of Section II of Appendix II*]

1(*a*) *Higher Pure Mathematics.*—

Infinite Series and Products

Tests for Convergence. Absolute, conditional and uniform convergence of infinite (real and complex) series. Differentiation and integration of infinite (complex) series. Fundamental properties of power series. Double series. Absolute and uniform convergence of infinite products.

Analysis—

Functions of a Real Variable. Dedekind's Section. Bounds and limits of sequences. Continuity and properties of continuous functions. Rolle's Theorem. Taylor's Theorem. Maxima and Minima of functions of two or more variables. Differentiability and differentials. Implicit functions. Properties of Jacobians. Riemann Integration. Mean Value Theorems. Differentiation and Integration under the integral sign. Improper integrals. Double, triple and surface integrals. Green's and Stokes' Theorems. Fourier's expansions of functions. Sum of the series at points of discontinuity. Sets of points. Measure. Measurable functions. The Lebesuge integral of a bounded function.

Functions of a Complex Variable. Bilinear transformations. Analytic functions. Cauchy's Theorem and its converse. Cauchy's integral formula. Taylor's and Laurent's series. Liouville's Theorem. Singularities. Zeros. Theory of Residues, Application to contour integration and the roots of algebraic equations. Conformal representation. Analytic continuation. Mittage-Leffler's Theorem. Weirstrass's factorisation Theorem. The maximum-modulus principle. Hadamard's three-circles Theorem.

Advanced Geometry

Plane Sections and Generating lines of Quadrics. The Quadric surface and its analysis. The circle at infinity. Confocal quadrics. Elementary theory of Pencils of Quadrics.

Curves in Space. Curvature and torsion. Frenet's formulae. Envelopes. Developable Surfaces. Developables associated with a curve. Rules Surfaces. Curvature of surfaces. Lines of Curvature. Conjugate lines. Asymptotic lines. Geodesics.

1(*b*) *Higher Applied Mathematics.*—

Statics, including Attractions and Potentials.

Hydrostatics—Fluid pressure. Atmospheric pressure. Capillarity.

Particle Dynamics—Central orbits. Constrained motion. Motion in a resisting medium. Motion in three dimensions.

Rigid Dynamics—Motion in two dimensions. Momentum and *vis-viva*. Lagrange's equations of motion and their application to small oscillations.

Hydrodynamics, including the elementary theory of the motion of solids through a liquid, and surface waves.

Electricity and Magnetism.

Thermodynamics. Kinetic theory of gases. Radiation.

2. *Higher Physics.*—

General Properties of Matter and Sound. Mechanics of deformable bodies. Helical springs. Capillary phenomena. Viscosity Acoustical measurements. Ultrasonics.

Heat and Thermodynamics. Brownian motion. Kinetic theory of gases. Transport phenomena in gases at low pressures. Thermodynamic functions and their applications. Specific heat of solids and gases. Production and measurement of low temperatures. Radiation and Planck's law of energy distribution.

Optics. Theory of co-axial symmetrical optical systems. Experimental spectroscopy. Electro-magnetic theory. Scattering of light. Raman effect. Diffraction. Polarisation.

Electricity and Magnetism. Gauss's theorem. Electrometers. Magnetic hysteresis. Theory of permanent magnets. Measurement of electrical quantities. Alternating current theory. Cyclotron and other methods for production of high voltages. Transmission and reception of wireless waves. Television.

Modern Physics. Special theory of relativity. Dual nature of light and matter. Schroedinger's equation and its solution in simple cases. Hydrogen and helium spectra. Zeeman and Stark effects. Pauli's principle and periodic classification of elements. X-Rays and X-Ray spectroscopy. Compton effect. Conduction in metals. Supraconductivity. Thermionics. Thermal ionization. Properties of atomic nuclei. Mass spectroscopy. Elementary particles and their properties. Nuclear reactions Cosmic rays. Nuclear fission and fusion.

3. *Higher Chemistry.*—

Inorganic Chemistry.—The structure of the atom. Radioactivity, natural and artificial. Fission and fusion of nuclei. Isotopes. Radioactive indicators. Radioactive series. Transuranic elements.

Chemistry of the elements and their principal compounds, with special reference to Be, W, Ti, V, Mo, Hf, Zr and rare earth elements.

Co-ordination compounds. Interstitial and non-stoichiometric compounds. Free radicals. Advanced Physico-chemical methods of analysis.

Organic Chemistry.—Theories of organic chemistry, including resonance and hydrogen bond formation. Mechanism of important organic reactions. Stereochemistry, including conformation.

Chemistry of different classes of organic compounds, with special reference to the following: Polysaccharides, terpenes, natural colouring matters, alkaloids, vitamins, important hormones, anti-malarials, chlorine insecticides, principal antibiotics, and synthetic polymers.

Physical Chemistry.—The kinetic molecular theory. The three laws of thermodynamics and their application to physical chemical processes. Physico-chemical properties in relation to and elucidating molecular structure. Quantum theory and its application to chemistry.

The mechanism and kinetics of chemical and photochemical reactions. Catalysis. Adsorption. Surface chemistry. Colloids. Electrochemistry.

4 *Higher Botany.*

Plant kingdom.—Advanced knowledge of the main groups of the vegetable kingdom both living and extinct (*viz.* Algae, Fungi, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms) with special reference to the Indian flora.

Systematic botany.—Principles of classification and a general knowledge of the more important families of angiosperms.

Anatomy.—Origin, nature and development of plant tissues and their distribution from the ecological and physiological points of view.

Plant pathology.—An advanced knowledge of the important diseases of plants caused by bacteria, fungi, viruses, and physiological diseases. Methods of control.

Physiology.—An advanced knowledge of the important physiological processes in plants, including plant biochemistry.

Ecology.—Principal types of vegetation of India, their distribution and the importance of eco-physiological studies. Principles of plant geography.

Economic botany.—A study of the important economic plants of tropical and sub-tropical areas, with special reference to India.

General Biology.—Knowledge of the fundamentals of and recent developments in variation, heredity, evolution, cytology, genetics and principles of plant breeding.

5. *Higher Zoology.*

The classification, bionomics, morphology, life-history and relationships of non-chordates and chordates, with special reference to Indian fauna.

Functional morphology (form, structure and function) of the organ systems. Outlines of vertebrate embryology.

The classification, ontogeny, phylogeny, adaptive divergence and convergence of animals, animal ecology, migration & colouration.

Evolution: evidences, theories, and their modern interpretations. Adaptation; distribution of animals in space.

Recent advances in the knowledge of the cells, cytology, genetics, sex determination, and endocrinology.

Modern concept of the environment as a complex of physical chemical and biological factors and of the organisms as individuals, populations and communities.

An essay relating to any of the following topics: Protozoa and disease; Insect and man; Parasitology. Freshwater and marine biology; Limnology and fishery biology; Contribution of great biologists to knowledge and civilization.

6 *Higher Geology.*

General Geology.—History and development of the Science of Geology, its different branches and contracts with other sciences. Origin, evolution, structure, constitution, interior and age of the Earth. Geomorphology: Radioactivity and its applications to Geology; Seismology; Volcanology. Geosynclines: Isostasy. Evolution of continents and ocean basins. Geological action of surface and subterranean agencies. Continental drift.

Structural and Field Geology.—Diastrophism; Rock deformation; Origin of mountains; Structures in relation to topography and mining. Tectonic history of India. Methods of Geological Surveying and Mapping.

Stratigraphy and Palaeontology.—Principles of Stratigraphy, and correlation. Detailed study of Indian Stratigraphy and outline of World Stratigraphy. Distribution of land, sea, faunas and floras in different periods. Theories of organic evolution. Fossils—their importance. Index fossils and correlation. Detailed study and geological history of the invertebrate fossils and the principal groups of vertebrate and plant fossils with special reference to India.

Crystallography and Mineralogy.—Crystal morphology; Laws of crystallography; crystal systems and classes; habits; twinning. Goniometric and X-ray study of crystals. Atomic structure. Detailed study of rock-forming minerals and of economic minerals with special reference to their occurrence in India.

Petrology.—Origin and evolution, structure, mineral constituents, texture and classification of igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Petrogenesis including metamorphism. Petrochemistry. Study of meteorites. Important Indian rock types.

Economic Geology.—Ore-genesis; classification of economic minerals and controls of ore localization. Geology of economic mineral deposits with particular reference to India. Location of mineral industries. Evaluation of properties; Mineral economics; conservation and utilisation of minerals. National mineral policy. Strategic minerals. Geological, geophysical and geochemical prospecting techniques and their applications. Principal methods of mining, sampling, ore dressing and ore beneficiation. Soils and ground water. Application of Geology to common engineering problems.

7. *Higher Geography.*—The paper will consist of two parts:—

The first part will comprise an advanced study of Physical, Human and Economic Geography, with special reference to India.

The second part will comprise advanced study of the following special subjects, and a candidate will be expected to have knowledge of at least two of these subjects:

Geomorphology. Climatology (including modern methods of weather forecasting and analysis). Cartography (including solution of right-angled spherical triangles, use of Theodolite, advanced projections like the oblique zenithal nets, etc.). Historical geography. Political geography. History of geographical thought and discoveries.

8. *English Literature* (1798—1935).—The paper will cover the study of English Literature from 1798 to 1935, with special reference to the works of Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, Lamb, Jane Austen, Carlyle, Ruskin, Thackeray, Robert Browning, George Eliot, G. M. Hopkins, Shaw, W. B. Yeats, Galsworthy, J. M. Synge, E. M. Forster and T. S. Eliot.

Evidence of first hand reading will be required. The paper will be designed to test not only the knowledge but also critical evaluation of the main literary trends during the period. Questions having a bearing on the social and cultural back ground of the period may be included.

9. (a) *Indian History I (From Chandragupta Maurya to Harsha).*

The Mauryas. The rise and consolidation of the empire. Administration and economy. Decline of the empire.

The eclipse of Magadha. The Shungas and the Kanvas.

The Cholas, Cheras, and Pandyas.

Contacts with the West. North India—the Indo-Greeks. South India—Roman trade.

Central Asia and India. The Shakas. The Kushanas.

The Satavahanas.

Indian contacts with Asian countries—The spread of Buddhism.

The Imperial Guptas—The Creation of Classical Indian Culture. Further Indian contacts overseas. The decline of the Guptas. The Hunas.

Changing economic patterns in north India and their impact on politics.

The rise of the Vakatakas and the Chalukyas.

The emergence of the Pallavas.

Harshavardhana.

9. (b) *Indian History II* [*The Great Mughals* (1526-1707)] *—Political History.*

Establishment of the Mughal Empire in India; its consolidation and expansion. The Sur interregnum. Mughal Empire at its zenith. Akbar, Jehangir & Shahjehan. Mughal relations with Persia and Central Asia. The development of administrative system. Europeans at the Mughal Court; early Portuguese, French and English settlements. The beginning of the decline. Aurangzeb, his wars and policies.

Cultural, Religious, Economic and Social Life

Cultural life, and promotion of art, architecture and literature.

Religious movements: Bhakti Movement, Sufism, Din-i-Ilahi. Religious policy of the Mughal Emperors.

Economic life: Agrarian life. Systems of land tenure. Industry. Trade and Commerce. Exports, imports. Means of transport. Wealth of India.

Social life: Court life; Urban life; Rural life. Dress, manners, customs, food and drink; amusements, recreations and festivals. Position of women.

9. (c) *Indian History III (From 1772 to 1950).*

Consolidation of British power in Bengal and South India. Expansion of British power in India. The East India Company

and the British state. Evolution of the Civil Service, Judicial system, the police, and the army. Development of new land revenue systems and agrarian relations. British commercial policy. Economic impact of British rule in India. The Revolt of 1857. Relations with Indian States. Foreign policy and relations with Burma and Afghanistan. Development of modern industry, and means of communication. Development of modern education. Growth of the Press.

Indian Re-awakening: Raja Rammohan Roy, Brahmo Samaj, and Vidya Sagar; the Arya Samaj; the Theosophists; Ramakrishna and Vivekananda; Sayyed Ahmed Khan. Social Reform. Development of modern Indian literature. The rise of Indian National Movement: The Indian National Congress (1885-1905), Dadabhai Naoroji, Ranade, and Gokhale; Growth of militant nationalism, anti-parution agitation. Swadeshi and Boycott, Tilak and Aurobindo Ghosh; the Home Rule League and the Lucknow Pact.

Constitutional Development: Acts of 1861 & 1892; Minto-Morley Reforms; the Montford Reforms, the 1935 Act.

Emergence of Mahatma Gandhi and the struggle for freedom. Transfer of Power: The Cripps Missions: the Cabinet Mission; Independence Act and Partition. The Constitution of 1950. Independent India: Foreign Policy, Non-alignment; Secularism; and Planning.

9. (d) *British Constitutional History (From* 1903 *to* 1950)—

Crown versus Parliament.—

Relations between James I and Parliament. Petition of Rights. Charles I and the issue of prerogative *versus* common law. Civil War.

The Constitution makers.

Government by Long Parliament. The Little Parliament. The Protectorate. The Restoration. The Glorious Revolution. The Bill of Rights.

The Crown, the Executive and Parliament.—

The King and his Ministers. Influence of the Crown. The Cabinet and Parliament. The Monarchical Crisis of 1936.

The Reform of Parliament.—

Reform Acts and the House of Commons. The House of Commons and the House of Lords. The Reform of the House of Lords.

The Commonwealth.—

Origin and growth of the Commonwealth. The Statute of Westminister. The Machinery of Commonwealth Co-operation. The position of the Crown in the Commonwealth.

9. (e) *European History (From* 1789 *to* 1878).

10. (a) *Advanced Economics.*—

Functions of economic analysis.

The theory of price. The theory of consumption and demand. Organization of production. Theory of the firm and industry. Imperfect competition. Theory of monopoly. Control of monopoly.

The theory of distribution. Rent. The theory of capital. The theory of money and interest. Savings and investments. Banking and credit regulation. The theory of wages and employment. Collective bargaining and industrial peace.

National income. Economic progress and distributive justice.

The theory of international trade. Foreign exchanges. Balance of payments.

Business cycles and their control. Economic role of Government. Economic welfare. Public utilities, pricing and regulation.

Theory of taxation. Incidence of taxation. Effects of Government taxation and expenditure. Deficit financing and inflation.

Planning for economic development.

10. (b) *Advanced Indian Economics.*

Economic developments during the War and Post-War period. Natural resources. Social institutions. Agricultural production and finance. Pricing and distribution of food grains and other agricultural products. Land reform. Place of cottage and small scale industries in a developing economy. Growth of modern organized industry. Regulation of public companies. Industrial relations and problems of labour. Mixed economy. Scope and efficiency of the public sector. Indian monetary and credit system. Role of the Reserve Bank. Population problems and population policy. Unemployment and under-employment. Computation of Indian national income. Regulation of foreign trade. Balance of payments. Indian taxation system. Federal finance. Planning for economic development. Size and structure of successive plans. Problems of resources and implementation.

11. (a) *Political Theory from Hobbes to the Present Day.*

Theories of Contract and Natural Rights—Hobbes, Locks and Rousseau. Development of the Idea of Sovereignty. The Historians—Vico, Montesquieu and Burke. The Utilitarians. The Evolutionists. The Idealists—Kant. Hegel, Green Bradley and Bosanquet. Conservatism and Liberalism. Marxism and Schools of Socialism and Communism. Pluralism. Fascism. The Impact of Psychology. Trends in twentieth century thought in the East.

11. (b) *Political Organisation and Public Administration.*

Political Institutions. The rise of Modern National States. Parliamentary and Presidential forms of Government. Unitary and Federal Governments. The Legislature. The Executive and the Judiciary. Methods of Representation. The Communistic and Totalitarian forms of Government.

Public Administration. Public Administration in the Modern State. The formulation of policy and higher control—the Legislature and the Executive. Organization, Management, Methods and Tools. Regulatory Commissions and Public Corporations. Personnel Administration—The Civil Service and its Problems. The Budget and Financial Administration. Administrative Powers. Control by the Courts. The Public Services and the Public.

12. (a) *Advanced Metaphysics Including Epistemology.*—Candidates will be expected to be familiar with the views of prominent philosophers from Kant to the present day, *e.g.*, Kant, Hegel, Bradley, Royce, Croce, Moore, Russel, James, Schiller, Dewey, Bergson, Alexander, Whitehead, Wittgenstein, Ayer, Heidegger and Marcel.

Questions may be set on any of the following topics :—

The sources, materials, varieties, limits, criteria and sociology of knowledge.

Truth, falsehood, error.

Theories of reality. Reality, substance and existence. Monism, dualism and pluralism. Naturalism, agnosticism, theism, absolutism and mysticism. Post-Hegelian idealism. New realism. Radical empiricism. Pragmatism.

Instrumentalism. Humanism—naturalistic and religious.

Logical positivism. Extentialism—atheistic and theistic. Recent trends of the philosophy of science in regard to the problems of induction, laws of nature, relativity, indeterminacy and God.

12. (b) *Advanced Psychology Including Experimental Psychology.*

Scope, subject matter and methods of Psychology.

Relation of Psychology with Physiology, the Social Sciences and Medicine.

Heredity and environment. The development of the individual. Motivation, feeling and emotion. Sensation, perception and observation. Learning, memory, imagination and thinking. Theories of personality.

Individual Differences. Measurement of intelligence and other abilities. Temperamental and personality tests.

Schools of Modern Psychology. The Introspectionists, the Hormic School of Behaviourism, Gestalt, the Psycho-Analytical and allied Schools.

13. (a) *Constitutional Law of India.*

Historical Background: The growth of the Indian Constitution with special reference to the development of representative and responsible Government from the Indian Councils Act of 1861 down to the Indian Constitution of 1950.

General Features: Welfare State Ideal; Preamble to the Indian Constitution and Directive Principles of State Policy: Concepts of Unitary and Federal Government, Cabinet System, Due Process of Law, Judicial Review, Constitutional Conventions; Comparison of the Salient Features of the Indian Constitution with those of the U.K., the U.S.A., Canada and Australia.

Division of Powers: Theory of separation of powers.

The Legislature.—Legislative procedure; Privileges of Legislature; Delegation of legislative power.

The Executive.—Presidential and Parliamentary Executives; Provisions relating to Services and Public Service Commissions; The doctrine of Rule of Law.

The Judiciary.—Judicial control of administrative and quasi-judicial authorities; Scope of Writ Jurisdiction; Independence of the Judiciary.

Distribution of Legislative Powers: Principles of distribution of powers with special reference to Treaty Power, Commerce Power, Taxing Power, Constituent (Constitution-Amending) Power and Residual Power. Judicial doctrines relating to distribution of powers.

Fundamental Rights: Nature and scope of the various fundamental rights guaranteed under the Constitution.

NOTE.—Candidates will be expected to be conversant with the text of the Indian Constitution, amendments thereto, and leading decisions of the Supreme Court.

13. (b) *Jurisprudence.*

Jurisprudence: Definition and scope; various Schools of Jurisprudence; Concepts and doctrines regarding Sovereignty

Law : Law and Morals; Evolution of Law; Law of Nature. Law of the State; Imperative theory of Law; Pure theory of Law; Sociological theory of Law; Kinds of Law; Civil Law, Criminal Law; Substantive Law and Adjective Law: Private Law and Public Law; International Law; Law and Justice; Law and Equity; Justice according to Law; Administration of Justice.

Sources of Law : Customs, Judicial Precedent. Legislation; Codification.

Elements of Law : Analysis and classification of Juristic concepts : Personality; Right, Duty, Liberty, Power, Immunity, Disability; Status, Possession, Ownership; Lease, Trust, Easement, Security; Wrong, Liability, Obligation; Act, Intention, Motive, Negligence; Title: Prescription; Inheritance and Wills.

Evolution of Legal Concepts : Evolution of Contract, Tort, Crime, Property, and Wills. Current trends in Juristic thought.

14. (a) *Medieval Civilisation as Reflected in Arabic Literature* (570 *A.D.*—1650 *A.D.*).—The paper will test the candidate's knowledge of geography, history and social, political and religious evolution and developments.

14. (b) *Medieval Civilisation as Reflected in Persian Literature* (570 *A.D.*—1650 *A.D.*).—The paper will test the candidate's knowledge of geography, history and social, political and religious evolution and developments.

14. (c) *Ancient Indian Civilisation and Philosophy.*

The history of the Civilisation, Philosophy and Thought of India from 2000 B.C. to 1200 A.D.

NOTE.—The paper will test the knowledge of geography, history and social, political and religious evolution and developments. Questions may be set which require an acquaintance with archaeological discoveries.

15. *Anthropology.*

(A) *Physical Anthropology.*—Definition and scope. The relation of Physical Anthropology to other sciences. The evolution of Man, his exact place among the Primate Group—his relationship to Prehuman and Protohuman forms from Parapithecus to Australoithecus. Early types of Man—Palaeonthropic man—Pithecanthropus. Synanthropus and Neanderthal. Neanthropic man—Cro Magnon, Grimaldi and Chancelade—Homo Sapiens.

Racial differentiation of Man and bases of racial classification—Morphological, serological and genetic. Role of heredity and environment in the formation of Races. Principles of human genetics—Mendelian laws as applicable to Man.

Human Biology—The effects of nutrition, inbreeding and hybridisation.

History of distribution of Man in India from the lithic ages to the Indus Valley civilization and Megalithic cultures of Central and Southern India. Racial types and their distribution in India.

(B) *Social (Cultural) Anthropology.*—Scope and functions. Relation with Sociology, Social Psychology and Archaeology. Different schools of Cultural Anthropology—Evolutionary, Historical, Functional and Kultur Kreis. The structure and development of Human society.

Economic organisation—Early stage of hunting and food gathering, domestication of animals, agriculture, shifting cultivation, terracing, intensive cultivation, implements used.

Political Organization—Clan, tribe, and dual organization, tribal council, function of headman or chief.

Social Organization—Marriage and kinship forms, matriarchy, patriarchy, polygyny, polyandry, exogamy and endogamy. Position of women, inheritance and divorce.

Primitive religion—Totemism, Taboo, magical and fertility rites, head hunting and human sacrifice.

Art, Music, Folk dance and sports.

Group relationship, adjudication of disputes, concept of justice and punishment.

Intelligence level, special aptitudes and abilities, emotional needs underlying primitive behaviour and ethnocentrism.

Structure of personality and development of personality and its role in primitive society.

Acculturation and the effects of contact on primitive tribes. Depopulation and its causes. Economic and psychological frustration. Decline of primitive tribes in America, Africa and Oceania. Depopulation among Indian tribals and remedial measures.

(C) *Intensive study of any one of the ethnic divisions of tribal India* :

1. The tribes of the N.E.F.A. or North Eastern Frontiers of India.
2. The tribes of the Naga Hills—Tewansang Area.
3. The autonomous tribes of Assam—the Khasis, the Garos, Mikirs and the Lushai.
4. The Australoid tribes of Chotanagpur and Central India.
5. The tribes of Southern India including the tribes of the Nilgiri Hills.
6. The tribes of the Andaman and the Nicobar Islands.

NOTE.—Candidates will be required to answer questions on (C) *and* (A) *or* (B).

16. *Sociology.*

Scope of Sociology, Relations with the social and natural sciences. Methods.

Origins of Society, Primitive life, Stages of social evolution, Social heritage; its mechanisms. Orders of environment. Types of behaviour.

Social Structure, Groups, Institutions, Association, Family. Marriage, Status, Class, Community, Herd and Crowd, Occupation, Property, Personality, Culture and Civilization, Myths and Legends, Language and Speech, Race Contracts and their types, States, Morals and their evolution. Habits, Customs, Mores and Folkways.

Social Change. Technological, economic, demographic forces.

Psychological factors, Interaction, imitation, diffusion. Cultural factors. Role of ideas. Leadership. Laws of social change and social selection.

Social Processes, Competition. Differentiation. Collectivisation. Types of Conflict. Distribution of wealth, social ecology.

Social maladjustment, Mass culture, City and Village, Crime, Social Evils.

Social Control. Agencies. The State and the Law. Welfare State. Religion. Art. Education. Public opinion and Propaganda.

Social Planning, its principles, Indian conditions, Social Work and Welfare.

Social Security, Purpose and Progress.

History of Social Thought. Materialistic and Sociological schools, Indian contribution in the light of Indian Culture.

Elementary Social Statistics. Techniques of Social Surveys.

PART D

[Vide *Sub-Section (B) of Section I of Appendix II*]

Personality test.—The candidates will be interviewed by a Board who will have before them a record of his career. He will be asked questions on matters of general interest. The object of the interview is to assess the personal suitability of the candidate for the Service or Services for which he has applied by a Board of competent and unbiased observers. The test is intended to judge the mental calibre of a candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also social traits and his interest in current affairs. Some of the qualities to be judged are mental alertness, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgment, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity.

2. The technique of the interview is not that of a strict cross examination but of a natural, though directed and purposive conversation which is intended to reveal the mental qualities of the candidate.

3. The personality test is not intended to be a test either of the specialised or general knowledge of the candidates which have been already tested through his written papers. Candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in their special subject of academic study but also in the events which are happening around them both within and without their own state or country, as well as in modern currents of thought, and in new discoveries which should rouse the curiosity of well educated youth.

APPENDIX III

Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this Examination.

General

Government have decided to reserve permanent vacancies, which are to be filled by direct recruitment, for the released Emergency Commissioned Officers and Short Service Regular Commissioned Officers in the following manner :—

Service	*Percentage of Vacancies reserved*
(i) Indian Administrative Service/Indian Foreign Service	20%
(ii) Indian Police Service.	30%
(iii) Central Services. Class I (non-technical) (including those under the Railways).	25%
(iv) Central Services. Class II (non-technical) (including those under the Railways).	30%

By 1st June of every calendar year, the Ministry of Defence will intimate to the Home Ministry their programme of the release of Emergency Commissioned Officers and Short Service Regular Commissioned Officers for the 12 months' period commencing from 1st January of the succeeding year. If the programme envisages actual releases of Emergency Commissioned Officers/Short Service Regular Commissioned Officers for the indicated period, it will be notified in the Gazette that vacancies in the Indian Administrative Service/Indian Foreign Service/Indian Police Service Central Services Class I and Class II (non-technical) to be filled by direct recruitment in the corresponding period will be reserved according to the percentages mentioned above. All the reserved vacancies will be filled as per the special selection procedure laid down in this behalf. Reserved vacancies that remain unfilled for lack of availability of suitable Emergency Commissioned Officers/Short Service Regular Commissioned Officers shall also be filled up permanently along with the unreserved vacancies but an equal number of vacancies will be carried forward to the next year, provided that in any particular year the total number of vacancies reserved for the Emergency Commissioned Officers/Short Service Regular Commissioned Officers and Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates shall not exceed—

(1) in case of the Indian Administrative Service/Indian Foreign Service and Central Services, Class I (Non-technical), 45% of the total number of permanent vacancies to be filled by direct recruitment; and

(2) in case of the Indian Police Service and Central Service, Class II (Non-technical), 50% of the total number of permanent vacancies to be filled by direct recruitment.

No vacancy shall be carried forward for a period of more than four years.

1. *Indian Administrative Service.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as the Government of India may determine.

(b) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government under clauses (b) and (c) above.

(e) An officer belonging to the Indian Administrative Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government.

(f) Scales of pay :—

Junior Scale.—Rs. 400—400—500—40—700—EB—30—1,000 (19 years).

Senior Scale :

(i) Time Scale.—Rs. 900 (6th year or under)—50—1,000—60—1,600—50—1,800. (25 years).

(ii) Selection Grade.—Rs. 1,800—100—2,000.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs. 2,150 and Rs. 3,000 to which Indian Administrative officers are eligible for promotion.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

A probationer will be started on the junior time scale and permitted to count the period spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

(g) *Provident Fund.*—Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955.

(h) *Leave.*—Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Leave) Rules, 1955.

(i) *Medical Attendance.*—Officers of the Indian Administrative Service are entitled to medical attendance benefits admissible under the All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954.

(j) *Retirement Benefits.*—Officers of the Indian Administrative Service appointed on the basis of Competitive Examination are governed by the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

2. *Indian Foreign Service.*—(a) Appointment will be made on probation for a period which will not ordinarily exceed 3 years. Successful candidates will be required to pursue a course of training in India for approximately twenty one months. Thereafter they may be posted as Third Secretaries or Vice-Consuls in Indian Missions whose languages are allotted to them as compulsory languages. During their period of training the probationers will be required to pass one or more departmental examinations before they become eligible for confirmation in Service.

(b) On the conclusion of his period of probation to the satisfaction of Government and on his passing the prescribed examinations, the Probationer is confirmed in his appointment. If, however, his work or conduct has, in the opinion of the Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such period as they may think fit or may revert him to his substantive post, if any.

(c) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is not likely to prove suitable for the Foreign Service, Government may either discharge him forthwith or may revert him to his substantive post, if any.

(d) Scales of pay :—

Junior Scale.—Rs. 400—400—500—40—700—EB—30—1,000.

Senior Scale.—Rs. 900 (6th year or under)—50—1,000—60—1,600—50—1,800.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs. 1,800 and Rs. 3,500 to which I.F.S. Officers are eligible for promotion.

(e) A probationer will receive the following pay during probation :—

First Year—Rs. 400 per mensem.

Second Year—Rs. 400 per mensem.

Third Year—Rs. 500 per mensem.

NOTE 1.—A probationer will be permitted to count the periods spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

NOTE 2.—Annual increments during probation will be contingent on the probationer passing the prescribed tests, if any, and showing progress to the satisfaction of Government. Increments can also be earned in advance by passing the departmental examinations.

(f) An officer belonging to the Indian Foreign Service will be liable to serve anywhere inside or outside India.

(g) During Service abroad I.F.S. officers are granted foreign allowances according to their status to compensate them for the increased cost of living and of servants and also to meet their special responsibilities in regard to entertainment. In addition, the following concessions are also admissible to I.F.S. officer during service abroad :—

(i) Free furnished accommodation according to status.

(ii) Medical attendance facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Return air passage to India up to a maximum of two, for special emergencies such as the death or serious illness of an immediate relation in India or marriage of daughter.

(iv) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 18 studying in India to visit the parents during the long vacations, subject to certain conditions.

(v) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(vi) Outfit allowance at the time of departure for training abroad and on confirmation in the service. Outfit allowance is also granted to various stages of an officer's career in accordance with the prescribed rules. Special outfit allowance is admissible in addition to the ordinary outfit allowance to officers posted in countries where abnormally hard climatic conditions exist.

(vii) Home leave passages for officers, their families and servants after a minimum of 2 years service abroad.

(h) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time will apply to Members of the Service subject to certain modifications. For Service abroad I.F.S. Officers are entitled under the I.F.S. (P.L.C.A) Rules, 1961 to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

(i) *Provident Fund.*—Officers of the Indian Foreign Service are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

(j) *Retirement Benefits.*—Officers of the Indian Foreign Service appointed on the basis of competitive examination are governed by the Liberalised Pension Rules, 1950.

(k) While in India officers are entitled to such concessions as are admissible to other Government servants of equal and similar status.

3. *Indian Police Service.*—(a) Appointment will be made on probation for a period of two years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such maner and pass such examinations during the period of probation as Government may determine.

(b) (c) (d) As in clauses (b), (c) and (d) for the Indian Administrative Service.

(e) An officer belonging to the Indian Police Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government.

(f) Scales of Pay :—

Junior Scale.—Rs. 400—400—450—30—600—35—670—E.B.—35—950.

Senior Scale.—Rs. 740 (6th year or under)—40—1,100—50/2—1,250—50—1,300.

Selection Grade.—Rs. 1,400.

Deputy Inspector General of Police.—Rs. 1,000—100—1,800.

Commissioners of Police, Calcutta, and Bombay.—Rs. 1,800—200—2,000.

Inspector General of Police.—Rs. 2,250.

Director, Intelligence Bureau.—Rs. 2,750.

Dearness allowances will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

(g) (h) (i) (j) As in clauses (g), (h), (i) and (j) for the Indian Administrative Service.

4. *Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Class II.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Government may prescribe.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve in Delhi, Himachal Pradesh or Andaman and Nicobar Islands under the Administration/Government of any of these territories. He may also be required to serve in any police/intelligence organisation of the Government of India.

(e) Scales of pay :—

Grade I—Selection Grade.—Rs. 900 fixed.

Grade II—Time scale.—Rs. 300—25—475—EB—25—650—EB—30—800.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Police Service in accordance with the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are at present entitled to get dearness allowance at the rates admissible to officers of comparable status employed under the Government of Punjab.

(g) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental in remote localities etc. if they are posted at places, either for training or on duty, where such allowances are admissible.

(h) Officers of the Service are governed by the Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1965, and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those Rules. In regard to matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders, they are governed by the rules, regulations and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union.

5. *The Central Information Service, Grade II (Class I).*—(a) the Central Information Service consists of posts all over India, in various media organisations of the Ministry of Information and Broadcasting, requiring journalistic and similar professional qualifications with previous experience of work on a newspaper or news agency or publicity organisations. The service was constituted with effect from 1st March, 1960.

(b) The Service has at present the following grades :—

Grade	Scale of Pay
Class I	
Selection Grade	Rs. 2,250/- (fixed).
Senior Administrative Grade	
(Secior Scale)	Rs. 1,800—100—2,000.
(Junior Scale)	Rs. 1,600—100—1,800.
Junior Administrative Grade	
(Senior Scale)	Rs. 1,300—60—1,600.
(Junior Scale)	Rs. 1,100—50—1,400.
Grade I	Rs. 700—40—1,100—50/2-1,250.
Grade II	Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.
Class II (Gazetted)	
Grade III	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800.
Class II (Non-Gazetted)	
Grade IV	Rs. 270—10—290—15—410—EB—15—485.

(c) Direct recruitment is made to the percentage of vacancies, as specified below, in the following grades of the Service :—

Junior Administrative Grade (Junior Scale)	12½%
Grade I	25%
Grade II	50%
Grade IV	100%

The remaining vacancies in the above grades and also vacancies in the Selection Grade, Senior Administrative Grade, Junior Administrative Grade (Senior Scale) and Grade III are filled by promotion by selection from amongst officers holding duty posts in the next lower grades.

(d) (i) Direct recruits to Grade II will be on probation for two years. During probation they will be given training in the Indian Institute of Mass Communication, on a newspaper or news agency, in different media units of the Ministry of Information and Broadcasting and at the National Academy of Administration. The total period of training will be about 15 months. The period and nature of training will be liable to alteration by Government. During the training, they will have to pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration and a departmental test, which will include a language test. Failure to pass the departmental test during the training period involves liability to discharge from service or reversion to substantive post, if any, on which the candidate may hold lien.

(ii) On the conclusion of period of probation Government may confirm the direct recruits in their appointments in accordance with the rules in force. If the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, he may be discharged from service or his period of probation extended for such period as the Government may deem fit. If his work or conduct is such as to show that he is unlikely to become efficient, he may be discharged forthwith.

(iii) Probationers shall start on the minimum of the time scale of Grade II. In case, any of the Probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(e) Government may require any member of the Service to hold for a specified period a post in the publicity organisation of a Union Territory.

(f) Government may post an officer to hold a field post in any organisation under the Ministry of Information and Broadcasting.

(g) As regards leave, pension and other conditions of service, officers of the Central Information Service will be treated like other Class I and Class II officers.

6. *Indian Audit and Accounts Service.*

7. *Indian Customs and Central Excise Service.*

8. *Indian Defence Accounts Service.*

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years, provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failure to pass the departmental examinations within a period of 3 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General, as the case may be, the work or conduct of an officer or probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation Government or the Comptroller and Auditor General as the case may be may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General, as the case may be, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) In view of the possibility of the separation of Audit from Accounts and other reforms, the Constitution of the Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo changes and any candidate selected for that Service will have no claim for compensation in consequence of any such changes and will be liable to serve either in the separated Accounts Offices under the Central or State Government or in the Statutory Audit Offices under the Comptroller and Auditor General and to be absorbed finally if the exigencies of service require it in the cadres on which posts in the separated Accounts Offices under the Central or State Governments may be borne.

(e) The Indian Defence Accounts Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for Field Service in or out of India.

(f) Scales of Pay :—

Indian Audit and Accounts Service :

Time Scale of I.A. & A.S.—Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1 250.

Junior Administrative Grade.—Rs. 1,300—60—1,600.

Accountants General.—Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

NOTE 1.—Probationary Officers will start on the minimum of the time scale of I.A. & A.S. and will count their service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—The officers on probation will not be allowed the pay above the stage of Rs. 400 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 3.—In the case of probationers who do not pass the End-of1the-Course Test at the National Academy of Administration, Mussoorie, the first increment raising their pay to Rs. 450 shall be postponed by one year from the date on which they would have drawn it or up to the date on which under the Department regulations, the second increment accrues to them, whichever is earlier. The failed candidates will not be required to take the test again.

Indian Customs and Central Excise Service :

Time Scale:—

Superintendent of Central Excise Class I and Assistant Collectors of Central Excise Assistant Collector of Cusoms	Rs. 400—400—450—30 510—FB—700—40—1,100—50/2—1,250.
Deputy Collector of Customs Deputy Collector of Central Excise,	
Assistant Director Deputy Director Additional Collector Appellate.	Rs. 1,100—50—1,300. 60—1600.
Collector of Customs, Collector of Central Excise	Rs. 1,800—100—2,000. —125—2,250.

NOTE I.—The probationers in the Indian Customs & Central Excise Service, Class I will draw pay in the prescribed scale of Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250. During the period of probation, they will be posted to Central Excise Department/Customs Department/Narcotics Department for departmental training and to the National Academy of Administration, Mussoorie for a foundational course of training. At the end of the training at Mussoorie, they will have to pass the 'end-of-the course test'. They will also have to pass Part I and Part II of the Departmental Examination. On passing the 'end-of-the course test' and Part I of the Departmental Examination their pay will be raised to Rs. 450.00. On passing Part II of the Departmental Examination, the pay will be fixed at the stage of Rs. 480.00. The pay beyond the stage of Rs. 480.00 will not be allowed unless they have completed 4 years of service, subject to such other conditions as may be found necessary.

2. In case, any of the Probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE II.—It should be clearly understood by probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Customs and Central Excise Service which the Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes

Indian Defence Accounts Service :

Time Scale :—

Rs. 400—400—450—480—510—EB—700—40—1,100—1,100—1,150—1,150—1,200—1,200—1,250.

Junior Administrative Grade.

Rs. 1,300—60—1,600.

Rs. 1,600—100—1,800 (Selection Grade).

Senior Administrative Grade.

Rs. 1 800—100—2,000—125—2,250.

Controller General of Defence Accounts.—Rs. 2,750 (fixed).

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the time scale and will count their service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—The Officers on probation will not be allowed the pay above the stage of Rs. 400 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules in force from time to time; 'provided further that in the case of an officer who does not pass the end-of-the course test at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment shall be postponed by one year from the date on which he would have drawn it on passing Part I of the Departmental Examination or up to the date on which the second increment accrues to him on passing Part II of the aforesaid examination, whichever is earlier.

9. *Indian Income-tax Service Class I.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failure to pass the departmental examinations within a period of 3 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Scales of Pay :—

Income-tax Officer, Class I.—

Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Assistant Commissioner of Income-tax.

Rs. 1,100—50—1,300—60—1,600.

Commissioners of Income-tax.

Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

(f) During the period of probation, an officer will undergo training at the National Academy of Administration, Mussoorie and the Income-tax Training College, Nagpur. At the end of training at Mussoorie, he/she will have to pass the 'end-of-the-course' test. In addition, I & II departmental examinations will also have to be passed during the period of probation. On passing the end-of-the-course test and the I Departmental Examination, his/her pay will be raised to Rs. 450. On passing the 2nd departmental examination the pay will be raised to Rs. 480. The pay beyond the stage of Rs. 480 will not be allowed unless he/she is confirmed and has completed 4 years of service subject to such other conditions as may be found necessary.

In case, he/she does not pass the end-of-the-course test at the Academy, the first increment will be postponed by one year from the date on which he/she would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 1.—The officer on probation will not be allowed to pay above the stage of Rs. 400 unless he passes the departmental examinations in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 2.—It should be clearly understood by probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Income Tax Service Class I which the Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

10. *The Indian Ordnance Factories Service Class I (Non-Technical Cadre).*—Appointments will be made to the posts of Assistant Manager (Non-Technical). The candidate will be on probation for a period of two years during which period he will undergo such practical training and pass such departmental and language tests as Government may prescribe.

On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of the Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or extend his period of probation for such period as Government may think fit.

The selected candidates will be required to execute a bond at the time of his appointment that he will continue to serve in the Indian Ordnance Factories Service for a minimum period of three years after successful completion of his period of probation.

Assistant Managers, for whom the revised scale of pay is Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950, are eligible for promotion, on the basis of merit, to higher grades in the I.O.F.S., as shown below :—

	Scale of Pay
1. Deputy Manager (Non-Technical)/ Deputy Assistant Director General Ordnance Factories.	Rs. 700—40—1,100 50/2—1,250.
2. Manager (Non-Technical)/Senior Deputy Assistant Director General, Ordnance Factories.	Rs. 1,100—50—1,400.
3. Assistant Director General, Ordnance Factories (Grade II).	Rs. 1,300—60—1,600.
4. Assistant Director General, Ordnance Factories (Grade I).	Rs. 1,600—100—1,800.
5. Deputy Director General, Ordnance Factories	Rs. 1,800—100—2,000.

11. *Indian Postal Service (Class I).*—(a) Selected candidates will be under training in this department for a period which will not ordinarily exceed two years. During this period they will be required to pass the prescribed departmental test.

(b) If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer under training is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of training Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of training for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Scales of Pay :—

Time Scale :—Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250 (Officers under training will draw pay in this time scale).

Directors of Postal Services : Rs. 1,300—60—1,600.

Postmasters-General : Rs. 1,800—100—2,000.

Members, Posts and Telegraphs Board : Rs. 2,250.

(f) The probationers in the Indian Postal Service Class I. would draw pay in the prescribed pay scale of Rs. 400—400—450—30—480—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250. During the period of probation, they will be required to undergo training in the various branches of the Department and in the National Academy of Administration, Mussoorie, in a foundational course of training. At the end of training at Mussoorie they will have to pass the 'end of the course test'. They will also have to pass the Departmental examination as prescribed under the Departmental Rules. On passing the 'end of the course test' and the Departmental examination, their pay will be raised to Rs. 450. On confirmation, if they are confirmed on completion of the probationary period of two years, their pay will be fixed at the stage of Rs. 480. Further regulation of their pay will, however, be determined by their position in the time scale.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course test', at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which, under the Departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(g) It should be clearly understood by the officers on probation that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Postal Service Class I, which Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

12. *Indian Railway Accounts Service.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years during which the service will be liable to termination on three months' notice on either side. The period of probation may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations.

Government may terminate the appointment of a Probationary Officer who fails to pass all the Departmental Examinations within there years of the date of appointment.

(b) Probationers of the Indian Railway Accounts Service will also be required to undergo a course of training at the Railway Staff College, Baroda, and to pass the test prescribed by the College authorities. The test in the College is compulsory and a second chance, in the event of failure will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the officer is such that such a relaxation may be made. They may, however, be put on to a working post on satisfactory completion of two years' training but they may not be confirmed till they have passed the test at the Railway Staff College, Baroda, and passed the higher and lower departmental examinations.

(c) Probationers should have already passed or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Dev Nagri script of an approved standard. This Examination may be the 'Praveen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education, Delhi, on behalf of the Ministry of Home Affairs or one of the equivalent Examinations recognized by the Central Government.

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 450 p.m. unless he fulfils this requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

(d) Officers (including probationers) of the Indian Railway Accounts Service recruited under these rules—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund as amended from time to time.

(e) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the leave rules for the time being in force as applicable to officers of Indian Railways.

The leave rules are, however, liable to revision in the light of the Pay Commission's recommendations. They wil not be permitted to retain the present leave rules, if so decided by the Government.

(f) If for any reason not beyond his control, a probationer in the Indian Railway Accounts Service wishes to withdraw from training or probation, he will be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation.

(g) if, in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(h) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointment to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(i) Scales of pay :—

(a) Junior Scale: Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. (Authorised Scale).

Senior Sacle : Rs. 700 (6th year and under)—40—1,100—50/2—1,250. (Authorised Scale).

Junior Administrative Grade : Rs. 1,300—60—1,600. (Authorised Scale).

Senior Administrative Grade : Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250. (Authorised Scale).

(b) On appointment a probationer shall execute an agreement binding himself and one surety jointly and severally to refund in the event of his failing to complete probation to the satisfaction of the Central Government, any moneys paid to him consequent on his appointment as probationer.

(c) Increment from Rs. 400 to Rs. 450 will be stopped if they fail to pass the prescribed Departmental Examinations within the two years' probationary period. The probationary period will be extended and on their passing the prescribed Departmental tests and being subsequently confirmed their pay will, from the date following that on which the last departmental examination ends, be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

Advance increments from Rs. 400 to Rs. 450 and from Rs. 450 to Rs. 480 in the Junior Scale of Rs. 400—950 may, however, be granted during the period of probation as soon as the probationary officer passes the prescribed examinations.

After the grant of advance increments, the pay of the officer will be regulated according to his normal position in the pay scale with reference to the year of service.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-couse test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Scale and will count their service for increments from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 400 p.m. to Rs. 450 p.m. in the time scale.

NOTE 2.—In the case of persons already in Government Service, their pay on appointment as Probationer will be fixed in accordance with the rules and regulations in force from time to time.

13. *Military Lands and Cantonments Service (Class I and Class II).*

(a) A candidate selected for appointment shall be required to be on probation for a period which shall not ordinarily exceed 2 years. During this period he shall be required to undergo such course of training in Cantonment and Land Administration as may be prescribed by Government for a period of not less than six months.

(b) During the period of probation a candidate will be required to pass the prescribed departmental examination.

(c) (i) If in the opinion of Government the work or conduct of an Officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him after apprising him of the grounds on which it is proposed to do so, and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed.

(ii) If at the conclusion of the period of probation an Officer has not passed the Departmental Examination mentioned in sub-para (b) above, Government may, in its discretion, either discharge him from service, or if the circumstances of the case so warrant, extend the period of probation for such period not exceeding one year as Government may consider fit.

(iii) On the conclusion of the period of probation Government may confirm an officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him after apprising him of the grounds out of which it is proposed to do so and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed, or extend the period of probation for such further period as Government may consider fit.

(d) If no action is taken by Government under Sub-para. (c) above, the period after the prescribed period of probation shall be treated as an engagement from month to month, terminable on either side on the expiration of one calendar month's notice in writing, provided that the Officer shall have no claim to confirmation.

(e) No annual increment which may become due will be admissible to a member of the Service during his probation, unless he has passed the departmental examination. An increment which was not thus drawn will be allowed from the date of passing of the departmental examination.

(f) In case, any of the Probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or upto the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(g) The scales of pay are as under :—

Administrative Posts

(*i*) Director, Military Lands and Cantonments.	Rs. 1,800—100—2,000
(*ii*) Joint Director, Military Lands and Cantonments.	Rs. 1,600—100—1,800.
(*iii*) Deputy Director Military Lands and Cantonments.	Rs. 1,300—60—1,600
(*iv*) Assistant Director, Military Lands and Cantonments.	Rs. 1,100—50—1,400.
Class I	
(*v*) Deputy Assistant Directors, Military Lands and Cantonments, Military Estates Officers and Executive Officers.	Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.
Class II	
(*vi*) Executive Officers	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900.
(*vii*) Assistant Military Estates Officers.	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900.

(h) (i) Class I Officers will normally be appointed as Deputy Assistant Directors, Military Estates Officers, and as Executive Officers to Class I Cantonments and Class II Cantonments to which sub-clause (i) of clause (e) of sub-section (4) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 is applicable (ii) Class II Executive Officers will normally be appointed to Cantonments other than those mentioned in (i) above

(i) (i) All promotions will be made by selection (seniority being considered only when the claims of two or more candidates are equal on merits) by Government on the recommendations of a Departmental Promotion Committee appointed in this behalf by the Government. On promotion from Class II to Class I, pay will be regulated under the Fundamental Rules.

(ii) No officer will normally be promoted to Class I unless he has completed three years of service in Class II.

(j) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time will apply.

(k) No member of the Service shall undertake any work not connected with his official duties without the previous sanction of Government.

(l) The Military Lands and Cantonments Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for Field Service in India.

14. **Transportation (Traffic) and Commercial Department of the Superior Revenue Establishment of Indian Railways.**

(a) Candidates selected for appointment will be appointed as probationary officers in the Transportation (Traffic) and Commercial Department for a period of three years during which they will undergo the training as indicated in para. (n) and put in a minimum period of one year's probation in a working post. If the period of training has to be extended in any case, due to the training having not been completed satisfactorily the total period of probation will be correspondingly extended.

(b) If for any reasons not beyond his control a probationer in the Transportation (Traffic) and Commercial Department wishes to withdraw from training or probation, he will be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation.

(c) Appointments to the service will be on a probation for a period of three years during which the service of the officers will be liable to termination by three months notice on either side. Probationary Officers will be required to undergo practical training for the first two years. Those who complete this training successfully and are otherwise considered suitable will be placed in charge of a working post, provided they have passed the prescribed departmental and other examinations. It must be noted that these examinations should, as a rule, be passed at the first chance and that save under exceptional circumstances a second chance will not be allowed. Failure to pass any of the examinations may result in the termination of service and will, in any case, involve stoppage of increment.

At the end of one year in a working post, the Probationary Officers will be required to pass a final examination, both practical and theoretical, and will as a rule, be confirmed if they are considered fit for appointment in all respects. In cases where the probationary period is extended for any reason, the drawal of the first and subsequent increments on their passing the departmental examinations, and on being confirmed, will be subject to the rules and orders in force from time to time.

(d) On appointment, a probationer shall execute an agreement binding himself and one surety jointly and severally to refund in the event of his failing to complete probation to the satisfaction of the Central Government, any moneys paid to him consequent on his appointment as probationer.

(e) Probationers should have already passed or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Dev Nagri script of an approved standard. This Examination may be the 'Praveen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education, Delhi, on behalf of the Ministry of Home Affairs or one of the equivalent examinations recognised by the Central Government.

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 450 p.m. unless he fulfils the requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

(f) Officers (including probationers) of the Transportation (Traffic) and Commercial Department of the Superior Revenue Establishment of Indian Railways recruited under these rules :—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund as amended from time to time.

(g) Pay will commence from the date of joining service. Service for increments will also count from that date.

(h) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the rules for the time being in force applicable to officers of Indian Railways.

The Leave Rules are liable to revision in the light of the accepted recommendations of the Pay Commission. They will not be permitted to retain the present Leave Rules, if so decided by the Government.

(i) Officers will ordinarily be employed throughout their service on the railway to which they may be posted on first appointment and will have no claim as a matter of right to transfer to some other Railway. But the Government of India reserve the right to transfer such officers in the exigencies of service to any other railway or project in or out of India.

(j) The relative seniority of officers appointed will ordinarily be determined by their order of merit in the competitive examination; if the period of training and consequently the period of probation has to be extended in any particular case due to the training having not been completed satisfactorily, the officer will be liable to lose in seniority. The Government of India, however, reserve the right of fixing seniority at their discretion in individual cases. They also reserve the right of assigning to officers appointed otherwise than by a competitive examination positions in the seniority list at their discretion.

(k) Scales of pay :—

Junior Scale : Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. (Authorised Scale).

Senior Scale : Rs. 700—(6th year and under)—40—1,100—50/2—1,250. (Authorised Scale).

Junior Administrative Grade : Rs. 1,300—60—1,600. (Authorised Scale).

Senior Administrative Grade : Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250. (Authorised Scale).

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Scale and will count their service for increments from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 400 p.m. to Rs. 450 p.m. in the time scale

Increment from Rs. 400 to Rs. 450 will be stopped if they fail to pass the Departmental Examination within the first two years of the training and probationary period. The probationary period will be extended and on their passing the prescribed Departmental tests and being subsequently confirmed, their pay will, from the date following that on which the last departmental examination ends, be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

Advance increments from Rs. 400 to Rs. 450 and from Rs. 450 to Rs. 480 in the Junior Scale of Rs. 400—950 may, however, be granted during the period of probation as soon as the probationary officer passes the prescribed examinations. After the grant of advance increments, the pay of the officer will be regulated according to his normal position in the pay scale, with reference to the year of service.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 2.—In the case of persons already in Government Service, their pay on appointment as Probationer will be fixed in accordance with the rules and regulations in force from time to time.

(l) The increments will be given for approved service only and in accordance with rules of the Department.

(m) Promotions to the administrative grades are dependent on the occurrence of vacancies in the sanctioned establishment and are made wholly by selection; mere seniority does not confer any claim for such promotion.

(n) Courses of training for probationers in the Transportation (Traffic) and Commercial Department.

NOTE 1.—The Government of India reserve the right to reduce at their discretion, the period of training in the case of candidates who have had previous training or experience either in India or elsewhere.

NOTE 2.—Probationers will also have to undergo training at the Railway Staff College, Baroda, in two phases. The test in the Staff College is compulsory and a second chance in the event of failure, will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the Officer is such that such a relaxation may be made. Failure to pass the test may involve the termination of service and in any case, the officers will not be confirmed till they pass the tests, their period of training and/or probation being extended as necessary.

NOTE 3.—The programme of training given below have been drawn up chiefly for the purpose of guidance; they may be varied at the discretion of General Managers to suit particular cases provided that the total aggregate period of training is not ordinarily curtailed.

(1) Length of course—two years.

Item	Period
1. National Academy of Administration, Mussoorie	4 month(s)
2. Area School, to learn Guard's duties	1 "
3. Working as Guard	¾ "
4. Training in Baroda Staff College (1st Phase)	3 "
5. Booking Office, Parcel Office, Goods Shed and Transhipment shed	1 "
6. Traffic Accounts including a period with the Travelling Inspector of Accounts & Personal preparation of balance sheets at stations	1½ "
7. Area School to qualify as Asstt. Station Master	1 "
8. Working as Yard Master, Asstt. Station Master, Station Master, Yard Foreman and Train Examiner	3 "
9. Working as Asstt. Loco Foreman	½ "
10. Working as Assistant Controller	2 "
11. Training at Baroda Staff College (2nd phase)	1½ "
12. (a) Training in District or Divisional Office	1 "
(b) Training as Assistant Power Controller	½ "
13. Training in Headquarters Office (Operating)	1½ "
14. Training in Headquarters Office (Commerical)	1½ "
	23½ "
Periods set apart for journey time for taking up various items for training & inescapable leave	½ "
Total	24 months

(2) Provided he passes the examination at the end of his two years' training, a probationer will be given charge of a working post on probation for a further year.

(3) Examination will be held as may be required at the close of courses as well as at intervals during the period of training.

NOTE.—Before a probationer is put to work independently as a Guard, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman, Assistant Locomotive Foreman or Assistant Controller, he must be examined by a responsible officer of the administration in the respective duties for each of these posts and declared qualified.

15. The Central Secretariat Service, Section Officers' Grade, Class II—

(a) The Central Secretariat Service has, at present, the following grades :—

Grade	Scale of pay
Selection Grade—Deputy Secretary or equivalent.	Rs. 1100—50—1300—60—1600—100—1800.
Grade I—Under Secretary	Rs. 900—50—1250.
Section Officers' Grade	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.
Assistant Grade	Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Selection Grade and Grade I are controlled by the Ministry of Home Affairs on an all-Secretariat basis. Section Officers'/ Assistants' Grades, however, are controlled by the Ministries.

Direct recruitment is made to the Section Officers' Grade and to the Assistants' Grade only.

(b) Direct recruits to the Section Officers' Grade will be on probation for 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the probationers from service.

(c) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Section Officers will normally be heads of 'Sections' while officers of Grade I will normally be incharge of Branches consisting of one or more sections.

(f) Section Officers will be eligible for promotion to Grade I in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Officers of Grade I of the Central Secretariat Service will be eligible for appointment to the Selection Grade of the Service and to other higher administrative posts in the Central Secretariat.

(h) As regards leave, pension and other conditions of service officers of the Central Secretariat Service will be treated similarly to other Class I and Class II Officers.

16. **Customs Appraisers' Service, Class II—**

(a) The prescribed scale of pay is Rs. 350—25—500—30—590—E.B.—30—800—E.B.—830—35—900. Officers recruited direct to this service will be on probation for two years, during which period they will undergo such training and pass such departmental test as may be prescribed by the Central Board of Excise and Customs. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test will result in the discharge of the probationer from service.

(b) On the conclusion of the period of probation and the successful passing of the Departmental Test the Officers will be eligible for confirmation subject to the availability of permanent post. If his work or conduct has, in the opinion of the Collector of Customs concerned, been unsatisfactory he may be discharged from service or his period of probation may be extended as the Collector of Customs concerned, may think fit.

(c) After a period of Service as Appraisers the Officers will be eligible for promotion to the Grade of Principal Appraiser in the scale of Rs. 600—35—950 and thereafter to the posts of Assistant Collectors, Class I.

(d) As regards leave, pension and other conditions of service, they will be treated like other Class II. Officers.

NOTE.—The scales of pay and grades given above are liable to revision.

17. **Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, Class II—**

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Government may prescribe.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the Service. If his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve in Delhi Himachal Pradesh or Andaman and Nicobar Islands under the Administration/Government of any of these territories.

(e) Scales of pay—

Grade I—Selection Grade—Rs. 900—50—1,200.

Grade II—Rs. 300—30—510—EB—30—600—40—720—EB—40—800—50—850.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are at present entitled to get dearness allowance at the rates admissible to officers of comparable status employed under the Government of Punjab.

(g) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental in remote localities etc. if they are posted at places either for training or on duty where such allowances are admissible.

(h) Officers of the Service are governed by the Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1965, and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those Rules. In regard to matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders, they are governed by the rules, regulations and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union.

18. **The Railway Board's Secretariat Service, Class II—**

(a) The Railway Board Secretariat Service consist of the following :—

Service	Scales of pay
(*i*) Assistant Director/Under Secretary.	Rs. 800—50—1250.
(*ii*) Section Officer . . .	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.
(*iii*) Assistant	Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Direct recruitment is made to the posts of Section Officers and Assistants.

(b) Officers recruited direct as Section Officers will be on probation for two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the Probationer from service.

(c) On the conclusion of his period of probation, the Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Section Officers who have acquired sufficient experience by working in the sections in the Secretariat will normally be heads of Sections while Assistant Director/Under Secretary will normally be incharge of branches consisting of one or more sections.

(f) Section Officers will be eligible for promotion as Assistant Director/Under Secretary in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Assistant Director/Under Secretary will be eligible for appointment to higher posts in the Railway Board's Secretariat.

(h) The Railway Board's Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and the Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Service.

(i) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and Privilege Ticket Orders on the same scale as admissible to Railway Officers.

(j) Officers including probationers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules :—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the Rules of that fund as amended from time to time.

(k) As regards leave and other conditions of service, officers of the Railway Board Secretariat Service will be treated similar to other Class I and Class II Officers on Railways but in the matter of Medical facilities they will be governed by the Rules applicable to other Central Government employees headquartered at New Delhi.

APPENDIX IV

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

(These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. But it must be clearly understood that the Government of India reserve to themselves an absolute discretion to reject as unfit any candidate whom they may consider on the report of the Medical Board, to be physically disqualified and that their discretion, is in no respect limited by these

regulations. These regulations are intended merely for the guidance of Medical Examiners and are not meant to restrict their discretion in any way.)

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

(b) However, for certain services the minimum standard for height and chest girth without which candidates cannot be accepted, are as follows :—

	Height	Chest girth (fully expanded)	Expansion
*(1) Transport (Traffic) and Commercial Department . .	152 cms.	84 cms.	5 cms.
**(2) Indian Police Service, Delhi and Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Class II . . .	165 cms.	84 cms.	5 cms.

*[The standard of chest girth/expansion prescribed for the service mentioned at (1) above will not apply to women candidates.]

**(Not applicable to women candidates).

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidates belonging to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Tribals, etc., whose average height is distinctly lower.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together, and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side, and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres, 84—89, 86—93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half centimetre should not be noted.

5. The candidates will also be weighed and his weight recorded in kilograms; fractions of a half of a kilogram should not be noted.

6. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded :—

(i) *General.*—The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eye-lids or contiguous structures of such a sort as to render or likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) *Visual Acuity.*—The examination for determining the acutenes of vision includes two tests, one for distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follows :—

	Distant vision		Near vision	
	Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye
1. Transportation (Traffic) and Commercial Department . . .	6/9 or 6/6	6/9 or 6/12	0·6	0·8
2. I.A.S., I.F.S., Central Information Service (Grade II), Class I, Indian Audit & Accounts Service, Indian Customs & Central Excise Service, Indian Defence Accounts Service, Indian Income-tax Service (Class I), Indian Ordnance Factories Service, Class I (Assistant Managers—Non-Technical), Indian Postal Service, Class I, Indian Railway Accounts Service, Military Lands and Cantonment Service, Class I, Central Secretariat Service, Section Officers' Grade, Class II, Customs Appraisers' Service, Class II, Delhi & Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, Class II, Railway Board Secretariat Service, Class II Military Lands and Cantonment Service, Class II . .	6/9 or 6/6	6/9 or 6/12	0·6	0·8
3. Indian Police Service and Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service (Class II)	6/9 or 6/6	6/9 or 6/12	0·6	0·8

NOTE :—

(1) In respect of Services mentioned at 1 and 3 above. Total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed—4.00D. Total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed+ 4.00D.

(2) In respect of services mentioned at 2 above. Total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed —8.00D. Total Hypermetropia shall not exceed + 6.00D.

(3) *Fundus Examination.*—Wherever possible fundus examination will be carried out at the discretion of the Medical Board and results recorded.

(4) *Colour Vision.*—(i) The testing of colour vision shall be essential in respect of services mentioned at 1 and 3 above.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower Grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below :—

Grade	Higher Grade of Colour Perception	Lower Grade of Colour perception
1. Distance between the lamp and candidates	4·9 metres	4·9 metre
2. Size of aperture . . .	1·3 mm.	13 mm.
3. Time of exposure . . .	5 sec.	5 sec.

For the services concerned with the safety of the Public, *e.g.*, pilots, drivers, guards etc., the higher grade of colour vision is essential but for other the lower grade of colour vision should be considered sufficient.

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and suitable lantern like Edrige Green's shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient.

in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests. Both the tests should be employed.

(5) *Field of vision.*—The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

(6) *Night Blindness.*—Night Blindness need not be tested as a routine, but only in special cases. No standard test for the testing of nightblindness or dark adaption is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough tests, *e.g.*, recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there for 20 to 30 minutes. Candidates' own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.

(7) *Ocular conditions other than visual acuity.*—(a) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) *Trachoma.*—Trachoma, unless complicated shall not ordinarily be a cause for disqualification.

(c) *Squint.*—For services mentioned at 1 and 3 above where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity is of the prescribed standard should be considered as a disqualification. For the other services the presence of squint should not be considered as a disqualification if the visual acuity is of the prescribed standard.

(d) *One-eyed persons.*—The employment of one-eyed individuals is not recommended.

7. *Blood Pressure*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic press is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 10.0 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 and diastolic over 90 should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and a electrocardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise of excitement. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from the clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethescope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 m.m. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as a pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in reading.)

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If, except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examinations clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidates hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be examined by the ear specialist. Provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. This provision is not applicable in the case of Railway Services;

(b) that his/her speech is without impediment;

(c) that his/her teeth, are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect.

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

10. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

NOTE.—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board, special or standing appointed to determine their fitness for the above services. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board, it is open to Government to allow an appeal to a Second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate, otherwise no request for an appeal to a second Medical Board, will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as piece of evidence about the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need

not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the Indian Defence Accounts service are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate, the Medical Board should specially record their opinion as to his fitness or otherwise of field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared 'Temporarily Unfit' the period specified for re-examination *should not ordinarily exceed six months at the maximum*. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) *Candidate's statement and declaration.*

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters) .....
2. State your age and birth place.....
3. (a) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthama, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis ?.....

Or

(b) any oher disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ?.....

4. When were you last vaccinated?.....
5. Have you or any of your near relations been afflicted with consumption scrofula, gout, asthama, fits, epilepsy, or insanity ?.....
6. Have you suffered from any form of nervousness due to over-work of any other cause ?.....
7. Furnish the following particulars concerning your family:—

Father's age, if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death

Mother's age, if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, thier ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death

8. Have you been examined by a Medical Board before ?.....
9. If answer to the above is, Yes, please state what Service/Services you were examined for ?.....
10. Who was the examining authority?.....
11. When and where was the Medical Board held ?.....
12. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known.....

I declare all the above answers to be, to the best of my belief, true and correct.

Candidate's signature.....

Signed in my presence.

Signature of the Chairman of the Board.

NOTE.—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to Superannuation Allowance or Gratuity.

(b) *Report of Medical Board on (name of candidate) physical examination*

1. General development : Good..... Fair..... Poor.....

Nutrition : Thin.....Average..... Obese.....

Height (without shoes).....Weight .....

Best Weight..... When?..... Any recent change in weight ?.....Temperature.....

Girth of Chest.

(1) (After full inspiration)

(2) (After full expiration)

2. Skin: Any obvious disease.....
3. Eyes:

(1) Any disease.....

(2) Night blindness.....

(3) Defect in colour vision.....

(4) Field of vision.....

(5) Visual acuity.....

Acuity of vision		Naked eye	With glasses	Strength of glass Sph.	Cyl.	Axis
Distant vision		R.E.				
		L.E.				
Near vision		R.E.				
		L.E.				
Hypermetropia (Manifest)		R.E.				
		L.E.				

4. Ears: Inspection.....Hearing: Right Ear..... Left Ear.....
5. Glands.....Thyroid.....
6. Condition of teeth.....
7. Respiratory System: Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs?..... If yes, explain fully.....

8. Circulatory System:

(a) Heart: Any organic lesions?.......... .....Rate Standing..................

After hopping 25 times.........
2 minutes after hopping...........

(b) Blood Pressure: Systolic..............Diastolic......

9. Abdomen: Girth..............Tenderness.............. Hernia..................

(a) Palpable: Liver............Spleen................ Kidneys............ Tumours..................

(b) Hemorrhoids............Fistula.................

10. Nervous System: Indication of nervous or mental disabilities ....

11. Loco-Motor System: Any abnormality..................

12. Genito Urinary System: Any evidence of Hydrocele, Varicocele etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance

(b) Sp. Gr.......................

(c) Albumen ....

(d) Sugar.........................

(e) Casts ....

(f) Cells ....

13. Report of X-Ray Examination of Chest.

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ?

15. (i) State the Services for which the candidate has been examined:—

(a) IAS & IFS..............

(b) IPS & Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service.........

(c) Central Services, Class I & II ....

(ii) Has he been found qualified in all respects for the efficient and continuous discharge of his duties in:—

(a) IAS & IFS.............

(b) IPS and Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service.. (*see* especially height, chest, girth, eye sight, colour blindness and locomotive system).

(c) Transportation Traffic & Commercial Department of the Indian Railways.. (*see* especially height, chest, eye sight, colour blindness).

(d) Other Central Services Class I/II............

(iii) Is the candidate fit for FIELD SERVICE.... ....

NOTE.—The Board should record their findings under one of the following three categories:

(i) Fit

(ii) Unfit on account of......................

(iii) Temporary unfit on account of.. ......
....

Place ....

Date......................

Chairman...... ....
Member
Member

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 19th February 1966

No. 26(1)-*Tar*/63.—The question of constituting a Committee of Inquiry to review the working of the Tariff Commission, Bombay, has been engaging the attention of the Government of India for some time. The Government of India have accordingly decided to set up a Committee consisting of the following persons to conduct such a review and make recommendations to the Government on the subject :—

Chairman

1. Dr. V. K. R. V. Rao.
Member,
Planning Commission,
New Delhi

Members

2. Shri M. P. Pai.
Chairman,
Tariff Commission,
Bombay.

3. Dr. D. K. Rangnekar,
Special Representative,
Economic Times, New Delhi.

4. Dr. D. T. Lakdawala,
Department of Economics,
University of Bombay,
Bombay.

5. Shri H. N. Ray,
Additional Secretary,
Ministry of Finance,
New Delhi.

6. Dr. K. S. Krishnaswamy,
Economic Adviser,
Planning Commission,
New Delhi.

Member-Secretary

7. Shri P. K. J. Menon,
Joint Secretary,
Ministry of Commerce,
New Delhi.

2. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(a) To review the working of the Tariff Commission since its inception in 1952;

(b) to suggest amendments to the existing Act in order to effect improvements;

(c) to review the policy of protection to industries taking into account the present restrictions on imports; and

(d) to examine and suggest what other functions can be entrusted to the Tariff Commission having regard to the requirements of development planning in the country and to recommend changes in the Constitution and functions of the Commission.

3. The Committee will submit its report to Government within six months.

4. This cancels all previous Notifications on this subject.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information and copy thereof communicated to all concerned.

B. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd February 1966

No. 7(43)/64-*ICC*(2).—The Government of India in the former Ministry of Commerce and Industry, appointed on 5th September, 1962, a Working Group on Industrial Co-operatives under the Chairmanship of Shri B. P. Patel, with the following terms of reference :—

(i) "To review the present position of industrial co-operatives;

(ii) to recommend specific programmes and physical targets for the organisation of cooperatives during the Third Five Year Plan period and to make recommendations for allocating to cooperatives a certain portion of the funds provided for the entire sector;

(iii) to suggest patterns of financial assistance from the Government;

(iv) to assess financial requirements of cooperatives at various levels and suggest ways and means of meeting them; and

(v) to indicate the lines of development of industrial cooperatives in the Fourth Plan."

2. The Working Group submitted its report on 31st May, 1963. The recommendations of the Group have been examined by the Government of India whose decisions are indicated in the following paragraphs :

PART I

3. The following recommendations have been accepted by the Government of India :

Recommendation No. 1.—The Working Group has suggested that workshops set up by workers in special trades for production purposes should be called "Workshop Co-operatives" and societies which offer services to their members by supplying raw materials, tools and equipment, selling their products or providing credit or other facilities should be called "Industrial Service Societies."

Recommendation No. 3.—Coir cooperatives should be encouraged to purchase raw husk, undertake its retting and sell retted husk to members in addition to their usual activities or sale of yarn and other finished products of their members; and cooperative banks should advance loans to these societies against the security of husks in the process of retting. While accepting this recommendation, the Government of India desire to emphasise that its immediate implementation should form the basic approach for the successful functioning of existing coir cooperatives as well as future expansion programmes in the coir industry.

Recommendation No. 6.—Agricultural primary societies should be encouraged to finance village craftsmen.

Recommendation No. 7.—Supply and Sales societies should take up activities such as market intelligence service, development of ancillary production, undertaking job orders on behalf of members etc. and for this purpose appoint experienced staff.

Recommendation No. 8.—Societies may form an Accounts Unit to help members to keep their accounts, prepare their tax returns etc., on payment of a regular fee.

Recommendation No. 9.—Possibility of forming cooperative credit guarantee organisations be explored.

Recommendation No. 11.—The authorities concerned with the organisation and registration of new societies discuss with the promoters the prospects of the viability, scale of operations and adequacy of membership. Model schemes indicating in broad terms some of the pre-conditions of viability be worked out for the more important industries.

Recommendation No. 13.—There should be special training courses for members and directors of industrial cooperatives and special orientation courses of short duration for those industries officers who are incharge of providing technical, financial and other facilities, supplies of controlled materials, issue of essentiality certificate for import licences, recommending units for government stores purchases and for hire purchase of machinery etc.

Recommendation No. 15.—Standing Advisory Committees for Cooperatives should be set up in each of the All India Boards. Arrangements should be made for the training of selected officers of the Small Industries Service Institutes, National Small Industries Corporation and the different Boards in industrial cooperation. The organisation in the Ministry of Industry responsible for industrial cooperatives should be adequately strengthened.

Recommendation No. 18 *and* 19.—There should be development of inter-cooperative relationship by creating organisational and other contacts between them at various levels. The State Cooperative Societies Acts should be amended suitably to meet the needs of industrial cooperatives.

Recommendation No. 21.—Funds required by members to purchase shares should be given as loans by the Government to the members individually, so that the liability to repay remains with the member. The agency of the society may be used for collection of applications, bonds, receipts, etc. from him and make the required recoveries from his wages or sale proceeds. Concerted efforts should be made by the Government to use a larger portion of its funds as loans for purchase of shares by existing and prospective members.

Recommendation No. 24.—Specific allocations should be made in each State Budget for the development of industrial cooperatives under each group of industries.

Recommendation No. 31.—Systematic efforts should be made by Apex Cooperative Banks to promote financing of industrial cooperatives, create separate wings and appoint deputy managers and cost accountants, supervisors etc. specifically for this purpose. The Government feels that unless this recommendation is implemented by the Apex Banks systematically, appreciable progress in the financing of industrial cooperatives cannot be achieved.

Recommendation No. 32(*i*).—Central Cooperative Banks should have separate wings for industrial finance with a deputy manager or a deputy secretary or any other special officer of the same rank supported by an adequate number of the inspectorial and other staff and separate committees should be set up with representation allowed to industrial cooperatives on their boards etc.

(ii) Government should pay to central cooperative banks and industrial cooperative banks a grant equivalent to 1% of the average outstanding amounts of loans and credits drawn by production type of industrial cooperatives as contribution to be kept in a special bad debt fund. Government accepts this recommendation. A similar procedure is already in existence in the Agricultural sector. It would point out however that this should not in any way replace the statutory obligations on the part of the banks for the creation and maintenance of special bad debt funds.

(iii) At least 20% of the central cooperative banks should be persuaded every year to adopt all the measures suggested by the First Working Group on Industrial Cooperatives to finance industrial cooperative societies for which a specific programme with targets indicating the central cooperative banks and the amounts they would be expected to invest in industrial finance should be prepared and implemented. This will be finalised by the Reserve Bank of India in consultation with the concerned State Government and the Government of India.

Recommendation No. 34.—Government and Khadi and Village Industries Commission loans should be routed through the central cooperative banks and not panchayat samities.

Recommendation No. 37.—The 90% guarantee scheme be continued as a regular scheme. The financing agency may take advantage of either this scheme or the credit guarantee scheme for small scale industries. In the case of some industrial cooperatives like those in Khadi & Village industries and those of the economically backward members a 100% guarantee would be necessary to persuade the banks to finance them. The standing of each such society can be reviewed every 2 or 3 years to decide when the 100% guarantee should be stopped and the 90% guarantee scheme made applicable. A proposal on these lines is currently under the consideration of the Government.

Recommendation No. 38.—A list of areas where the State Bank of India and its subsidiaries are expected to operate should be conveyed to them early by the State Governments and the benefits of the 90% guarantee scheme and the concessional rate of interest scheme should also be extended to loans advanced by them. Details of participation arrangements between industrial cooperative banks and the State Bank of India should be worked out and tried out on an experimental basis in the first instance.

Recommendation No. 39.—Accommodation from the State Financial Corporations and the Industrial Finance Corporation could be facilitated if the margin of security could be relaxed in certain cases against State Government guarantees.

Recommendation No. 40.—The cooperative Acts may be suitably amended to allow the registration of hypothecation charges with the Registrars of Cooperative Societies. The forms of agreement in case of Government loans should be suitably modified so as to restrict the charge of Government loans to the assets created out of the loans or to include a suitable clause allowing banks to advance short and medium term loans against the pledge or hypothecation of goods.

PART II

4. The following recommendations of the Working Group have been accepted by the Government of India with certain modifications :

Recommendation No. 2.—The Working Group has suggested that the aim should be to bring about 30% of the workers in household industries under cooperative organisation by the end of the Third Plan, which in fact would mean an upward revision of the existing programme to about 15,000 new industrial cooperatives and an addition of 15 lakhs members. Thus at the end of the Third Plan period there will be about 48,000 societies. It has also been indicated that the target for working capital would be Rs. 300 per member *i.e.* Rs. 120 crores and for paid up capital an additional amount of Rs. 20 crores. Taking into consideration the tempo of development during the past few years the Government estimates that at the end of the Third Plan there would be 53,500 societies with a membership of 34 lakhs, working capital of Rs. 123 crores, paid up capital of Rs. 30 crores, borrowing of Rs. 70 crores, production of Rs. 122 crores and sales of Rs. 148 crores.

Recommendation No. 4.—Emphasises the need for the organisation of societies of craftsmen and small manufacturers along with the necessity of paying due attention to the formation of workers' cooperatives, and advocates that a distinction be made in regard to the nature and quantum of assistance provided to the different categories. Government agrees that care be taken to see that special assistance meant for societies consisting of workers and artisans is not utilised by the societies formed by well-to-do master craftsmen and industrialists and that the latter are allowed to form service type of societies only.

Recommendation No. 5.—Suggests that loans to industrial cooperatives should be made available by urban cooperative banks on a pilot basis. The question of Government assistance to be provided to these banks will be considered separately.

Recommendation No. 10.—Provides a series of suggestions for improving the working of production and sales societies. Government accepts these suggestions with the proviso that there will be no contribution by Government to the provident fund created by societies for the benefit of their worker members.

Recommendation No. 12.—Envisages the setting up of Federations of Industrial Cooperatives at various levels on single or multi-industries basis. Government accepts the recommendation subject to the condition that there will be no multiplicity of federations.

Recommendation No. 14.—Relates to compilation, supply and publication of statistical data by the State Governments and the Reserve Bank of India. While agreeing with recommendation in general the Government of India feels that as far as arrangements in the States are concerned they may have to be evolved to suit their administrative convenience.

Recommendation No. 16.—Embodies the views of the Working Group on the administrative arrangements in the States. An opinion is expressed that the balance of advantage lies in keeping the industrial cooperatives under the control of the Registrar of Cooperative Societies except in the case of mechanised industries which may be placed under the Director of Industries. Detailed measures have been suggested in regard to the coordination between the Departments of Industry and Cooperation, a proper integration of administrative and technical staff, and the conduct of supervision and audit. While agreeing with these recommendations in general, the Government of India is of the view that as far as the control of the industrial cooperatives by the cooperative, industries or any other department is concerned, it would have to be decided by each State Government according to local conditions and requirements.

Recommendation No. 17.—Contains important suggestions for speeding up the revitalisation programme of dormant societies. The Government of India consider that the Working Group's target of revitalisation of 6,000 societies during the Third Plan period is too high and that an adequate number of the existing dormant societies should be revitalised every year so as to ensure that at the end of the Fourth Plan all industrial cooperatives would be active and functioning properly. Additional staff for the revitalisation programme should be employed in the concerned departments and at all appropriate levels. The highest priority should be given for the implementation of this programme for which adequate funds should be set apart. Along with the revitalisation programme, it is also very necessary that societies which are not worth revitalising should be liqudated quickly.

Recommendation No. 20.—Suggests that government assistance to augment the share capital of primary industrial cooperatives should ordinarily be by way of loans to members for purchase of shares though the practice of government participation in the share capital of such societies in special circumstances on an *ad hoc* basis may be continued; share participation in the case of service type of federations may be upto three times the amount subscribed by the members and in the case of other federations on a matching basis; and the responsibility for redemption of government shares should rest with the members. While agreeing with these views, Government is of the opinion that as far as share participation in the federal cooperatives is concerned it may have to be determined on merits on a larger scale especially in the case of industrial cooperative banks.

Recommendation No. 22.—Stipulates that (i) the period of repayment of loans advanced by State Governments for land and buildings, for workshops etc. for small scale industries and other cooperatives should be raised to 15 years, the first instalment of repayment being due on the 4th anniversary of the disbursement of the loan. In order to rationalise the pattern Government consider that this recommendation may become acceptable to the State Governments in a modified form *viz.* that the first instalment of repayment should fall due on the 5th anniversary of the disbursement of the loan; (ii) Government accept the recommendation that industrial cooperatives should as a convention transfer unconditional grants received for equipment and fixed assets to a fund but is of the opinion that it be named "sinking fund" instead of "depreciation fund"; and (iii) the members' contribution to purchase additional shares, which should not be less than the amount required to meet the instalment, should be determined before the society approaches Government or a financing agency for a term loan.

Recommendation No. 23.—Relates to managerial grants from Government to small scale industries and other cooperative societies, cooperative industrial estates and service federations as follows :—(i) grants to small scale industries and other cooperatives may cover the cost of (a) a manager or a secretary (b) an accountant (c) an engineer, designer or similar other technical and (d) a qualified or experienced salesman appointed by the society. Government is of the view that this recommendation should be considered sympathetically and grants fixed on the merit of each case, within such ceilings as may be fixed by the State or Central Government for different types of societies: (ii) a grant on a sliding scale may be provided to deserving cooperative industrial estates towards the salaries of a manager, an engineer and an accountant; and (iii) the pattern for service federations may include salaries of the staff and rent of office accommodation.

Recommendation No. 25.—Observes that (i) possibilities be examined of the organisation of cooperative societies of small scale industrialists occupying the work sheds in the departmentally managed industrial estates. Government is of the view that the organisation of cooperative societies on the lines suggested would take considerable time and would need careful examination and preparation. (ii) A programme be introduced for the formation of cooperative societies of small industrial units which have been regularly making use of the services of departmentally run common facility workshops.

Recommendation No. 26.—Suggests allocation of separate quotas of controlled raw materials to industrial cooperatives and channelling the same through the apex industrial cooperative institutions. The Government of India consider that in the present conditions of scarcity, it will not be feasible to earmark any quota of raw material to industrial cooperatives. They, however, have no doubt that State Governments would give adequate consideration to the requirements of industrial cooperatives in regard to imported and controlled raw materials. The channelising of such quotas through the apex and federal industrial cooperatives institutions would primarily depend upon the practices and programme of each individual state, but should increasingly be encouraged.

Recommendation No. 27.—Stipulates that industrial cooperatives should be allowed a price preference of not less than 6% as between the quotations of the small scale industrial units within the overall preference of 15% given to such units over the quotations of the larger industrial units. The Government of India consider that an All India pattern for special preference to industrial cooperatives in the lines suggested would not be possible. A minimum of 15% preference should however be ensured to small scale units over that of large units. In some States more liberal patterns *viz.* 10% price preference to produce of industrial cooperatives over that allowed to small scale industrial units is currently in practice. These may continue.

Recommendation No. 28.—Suggests that price fluctuation available to industrial cooperatives should be made available to all types of cooperative processing units. Government is of the view that while financial assistance may continue to be provided to the processing units either under the cooperative or industries plans as at present, necessary technical and other assistance provided to the industrial cooperatives by the Central and State Industries Departments should be provided to the processing units also.

Recommendation No. 29.—Suggests that price flutuation funds should be created from out of the net profits accruing to primaries and federations of industrial cooperatives. This would be examined by the Khadi and Village Industries Commission.

Recomendation No. 30.—Relates to the role of the Reserve Bank of India in the financing of industrial cooperatives. The suggestion relating to amendment of section 17(2)(bb) of the Reserve Bank of India Act and evolving a suitable procedure to induce central financing agencies to use their own resources are under examination in consultation with the Reserve Bank of India. The Government of India agree that, to allow the Reserve Bank of India to provide suitable accommodation under Section 17(2)(bb), the State Governments may issue to it a blanket guarantee as suggested by the Working Group.

Recommendation No. 33.—Suggests steps for improvement in the working of the existing industrial cooperative banks and enumerate measures to be adopted for the setting up of new district industrial cooperative banks. Some States are already going ahead with this programme. The Government of India is of the view that such banks would be helpful in providing institutional finance to industrial cooperatives and desires that in implementing such a programme no rigid stand should be taken with regard to conditions laid down for the organisation of such banks.

Recommendation No. 35.—Suggests that for the benefit of societies in industries other than cotton handlooms, loans should be made available to the Apex cooperative banks by Government in place of Reserve Bank of India loans on certain terms and conditions and that these funds may be placed at the disposal of the Central Cooperative Banks who may advance them to industrial cooperatives on a short term or medium term basis as the case may be on usual banking terms and conditions. While accepting in principle the recommendation that the loans given by Government may be made available to apex banks, Government is of the view that the pattern and procedure will have to be worked out in detail.

Recommendation No. 36.—Suggests that the rate of interest to be charged on loans given to industrial cooperatives should be somewhat favourable, but in any case not higher than what medium and large scale industries have to pay; for this purpose interest rates should be rationalised in such a way that they are uniform for the purpose, irrespective of the source of the funds, *i.e.* whether they come from Government, commercial banks, or cooperative banks. Starting from the point that the interest to be charged to an industrial cooperative should not be less than the Reserve Bank of India rate, the Group have suggested differential rates for small industries and societies organised for socio-economic considerations. Government is of the view that the rate of interest will have to vary depending upon the nature of industry, the

stage of development, the need for Government assistance etc. It however reiterates that the interest chargeable to industrial cooperatives is less than that ordinarily charged to individual entrepreneurs.

Recommendation No. 41.—The Working Group estimates the number of societies at the end of the Fourth Plan to be 68,000 with a membership of 65 lakhs and working capital of Rs. 250 crores. It has also been estimated that the government expenditure on grants, rebates, development measures and other revenue items may be Rs. 65 crores and on share capital loans, share participation, loans for equipment, worksheds etc. to societies and loans to banks Rs. 100 crores. The estimated provision for the Fourth Plan would, therefore, be Rs. 165 crores by Government for cooperative development of industries. It has also been suggested that 50% of the small factories and industrial households in the urban and rural areas should be turned into cooperatives. The Working Group expects a faster growth in the cooperative of small industrialists in the field of mechanized industries most of which are expected to be service cooperatives. Government is conscious of the need for a fast growth of such societies and attempt will be made to include an appropriate provision in the Fourth Plan

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. V. VENKATACHALAM, Jt. Secy.

AMENDMENT

New Delhi, the 23rd February 1966

No. EEI-19(20)/65.—Reference erstwhile Ministry of Industry and Supply (Department of Industry) Resolution No. EEI-19(20)/65 dated the 7th December, 1965 constituting a Committee to study the question of substitution of imported raw materials by indigenous materials in the electrical equipment industry.

In para 1(a) of the Resolution the following amendment shall be made :

Add after S. No. 7.

8. M/s. Associated Electrical Industries (India) Private Ltd., 1 Taratolla Road, Garden Reach P.O. Calcutta.

2. It has been decided that the Committee will submit its report to Government of India by the 31st December, 1966 instead of the 31st January, 1966.

K. N. SHENOY, Dy. Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT AND AVIATION

(Department of Tourism)

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd February 1966

No. 6-AHC(6)/64.—With a view to tiding over the difficulties of Tourist Taxi Operators in the matter of getting loans on reasonable terms, it has been decided to sanction a scheme for advance of loans to recognised tourist taxi operators for purchase of cars for tourist purposes under the Tourist Taxi (loans) Rules 1966, attached. All applications for loans will be considered by a Committee which shall consist of the following :—

Ex-officio Chairman

1. Director General of Tourism.

Ex-officio Members

2. Under Secretary, Ministry of Finance (T&P) Division.
3. Director, Transport, Delhi Administration.
4. Divisional Manager (Admn.), State Trading Corporation.

Ex-officio Member-Secretary

5. Deputy Director General of Tourism.

The quorum for the meeting of the Committee shall be three and all minutes of its meetings shall be recorded and signed by the Chairman or a Member and DDG, Tourist Department.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

Sd. ILLEGIBLE
Secretary.

TOURIST TAXI (LOANS) RULES 1966

1. *Application for loans* :

An applicant for a loan must make an application in the form in Appendix I of these rules and shall submit it in triplicate to the Director-General, Tourism. Loans shall be granted only in respect of :

1. Purchase of second-hand imported passenger transport vehicles through State Trading Corporation ;

2. Cars to be imported by the Department of Tourism from time to time ;

3. Any new car having a seating capacity of not less than four passengers and powered by an engine of not less than 14 h.p.

2. *Eligibility for loan* :

(i) The applicant should have a proper office, with telephone connection, under the charge of a full-time employee able to converse in English with tourists and travel agents.

(ii) He shall employ English-speaking drivers.

(iii) He should have been in tourist taxi business for at least three years.

(iv) He shall submit an Income Tax Clearance Certificate from the appropriate authorities.

(v) He shall submit along with his application a balance sheet and a profit and loss statement pertaining to car hire business for the three previous years accompained by audited statement of accounts. He shall also submit a statement with regard to his earnings in foreign exchange.

(vi) He must not have come to the adverse notice of the Department of Tourism.

(vii) He shall have a fleet of at least three cars.

3. *Scrutiny of the applications by the Secretary of the Committee.*—The Secretary of the Committee shall scrutinise every application received by him carefully and record his views thereon in part B of the application.

4. *Consideration by the Committee.*—The Secretary shall then place the applications before the Committee at its next meeting and in case of any urgency convene a special meeting to consider the application.

5. *Decision of the Committee.*—The decision of the Committee shall be recorded in part C of the application and signed by the Chairman, or in his absence by a Member, and the Secretary. Necessary sanction for the loan and payment of the amount shall thereafter be issued by the Ministry of Transport.

6. *Quantum of loan.*—A loan granted for the purchase of a motor vehicle shall in no case exceed sixty six per cent and two thirds (Two thirds) of the price paid/proposed to be paid by the applicant or Rs. 30,000, whichever is less.

7. *Payment of loan.*—The cheque shall be drawn in favour of the STC/dealer for the amount of the loan and payment shall be made against the delivery of the tourist transport vehicle. However where the purchase has already been made with borrowed money, the cheque shall be issued in favour of the creditor to whom the purchaser may be owing money on account of the purchase, provided the applicant gives adequate proof of his outstanding liability for repayment of the loan taken by him on account of the purchase, of the car/vehicle.

8. *Interest and payment thereof.*—The loan shall be subject to interest at a rate 2% above the prevailing Bank Rate payable after the principal has been recovered.

9. *Security for the loan.*—The applicant shall execute a deed of hypothecation in the prescribed form in favour of the Government, hypothecating the car/vehicle purchased by him out of the loan given to him by the Central Government and the vehicle so hypothecated shall not be encumbered by the purchaser without the previous consent in writing of the Central Government.

10. *Insurance of the vehicle.*—The applicant shall get the vehicle comprehensively insured against all risks at his own costs with the Life Insurance Corporation of India and shall always keep the vehicle so insured so long as any instalment on the loan or interest thereon is outstanding. In the insurance policy so taken there shall be a clause to the effect that the Central Government is interested in the policy and that if the insurance company is required to pay any amount to the applicant as a result of operation of any clause of the policy, the said amounts shall be payable to the Central Govt. direct and not to the applicant. The applicant shall retain the insurance certificate with him while the insurance policy shall be deposited with the Secretary of the Committee recommending grant of the loans.

11. *Inspection of the vehicle.*—The applicant shall produce the vehicle for thorough inspection by any person authorised by the Director General within a week of the purchase of the vehicle and at any time thereafter.

12. *Maintenance of the vehicle.*—The applicant shall at all times maintain the vehicle in good condition at his own cost and if at any time it is observed, after an inspection provided for in rule 14 that the vehicle is not being maintained in proper condition, the Central Government shall have the right to enforce the Hypothecation Deed and take steps for the immediate recovery of the loan with interest or any part thereof.

13. *Period of repayment.*—The loan shall be recoverable in fifteen quarterly instalments, the first instalment being repayable after six months after the date of payment of the loan. Where a loan is paid in instalments, the repayment shall start six months after the payment of the first instalment.

14. *Time for application.*—An applicant must submit his application for loan *before* a vehicle is actually purchased by him or within a period of one month from the date of its purchase.

Where an application is made before a vehicle is purchased, the applicant must provide a bank guarantee acceptable to the Director-General for the repayment of the amount of the loan in case it is not utilised for the purpose for which it is granted and such guarantee shall subsist till the vehicle is hypothecated in favour of the Central Government. The applicant should undertake to complete the purchase of the vehicle and hypothecate the vehicle in favour of the Central Government within seven days from the date of the payment of the loan to him.

Where the applicant has purchased a car with moneys borrowed by him from other sources and he requires a loan for the purpose of paying off the outstanding amount of the loan previously taken, the application for loan must be made within one month of the purchase of the car and the loan shall be granted on condition that the vehicle is not already hypothecated, encumbered or mortgaged and the applicant is willing to hypothecate the vehicle in favour of the Government in accordance with the provisions of Rule 9 above prior to the payment of the loan amount.

15. *Long Term Hire.*—The vehicle purchased with the money advanced by the Government shall not be given to a single customer on a long term hire without the previous permission of the Government.

Explanation.—In this Rule "Long term hire" means hire exceeding one week at a time or any repeated hire for more than one week at a time in favour of the same hirer.

16. *Default by the applicant.*—If any default is committed by the applicant in the payment of the interest instalments or repayment of the principal instalments or in complying with any of the terms and conditions of the loan, the Committee may, at its discretion and depending on the merits of the case—

(i) recall the entire loan granted in accordance with the provisions of the loan agreement and enforce the Hypothecation Deed.

Or

(ii) condone the default altogether;

(iii) charge interest at a higher rate either for the entire period of the default or for any shorter period.

APPENDIX I

Application for a loan for the purchase of a tourist motor vehicle under rule 1 of the Tourist Taxi (Loans) Rules 1966.

PART A

1. Name of applicant and address (full office address and telephone number).
2. (If a body corporate or an association of persons; all details in this regard should be given here).
3. Present income and assets, the certified annual accounts for the last two years should be given alongwith an income tax clearance certificate.
4. Outstanding loans etc. government or private, if any, and the securities given against each of them.
5. No. of motor vehicles owned at present with their full particulars, including names of drivers who can speak English.
6. Has any loan been previously taken for the purchase of a motor vehicle and if so the details thereto.
7. Has there been any default in the re payment of any loan or interest thereon and if so the details thereof.
8. Has any loan been taken from any other source for the purchase of the vehicle in question and if so the details of interest payable, security offered and other conditions.
9. Amount of loan required.
10. Instalments in which it is proposed to be repaid subject to the rules.
11. In case the vehicle is proposed to be purchased with the proceeds of this loan, the details of the Bank guarantee to be given.
12. Details of the vehicle proposed to be purchased/purchased and the party from whom it is proposed to be purchased/purchased.
13. Purchase price and the terms of payment and securities offered, if any.
14. Other information, if any.

I hereby state that I have fully gone through the Tourist Taxi (Loans) Rules 1966 and agree to the conditions mentioned therein. I hereby also state that the facts stated in the application are correct.

Applicant.

PART B

The facts mentioned in the application have been verified and are found correct to the extent information is available.

(This will be necessary only in the case of second hand tourist transport vehicles).

The inspection report of the Technical Officer is enclosed. The grant of the loan is recommended.

Director

for *Director-General (Tourism)*

PART C

This application was considered at the meeting of the Committee held on.....and it was decided that a loan of Rs....., be granted subject to the normal terms/additional terms mentioned below.

Secretary *Chairman*

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 15th/23rd February 1966

No. 33/2/66-*DW.I.*—In this Ministry's Resolution No. F.11(2)/54-DW.I., dated the 14th April, 1955 as amended from time to time, constituting the Chambal Control Board, for the entry (i) under paragraph 3, the following entry shall be substituted :—

Chairman

(i) Minister of State in the Ministry of Irrigation & Power, Government of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated for information to the State Governments of Madhya Pradesh and Rajasthan, the Ministry of Finance and the Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments of Madhya Pradesh and Rajasthan be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

K. P. MATHRANI, Secy.

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1966